राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 8] चतुर्थ विधान सभा के अष्टम सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार, दिनांक 11 मई, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ एवं प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : शपथ अथवा प्रतिज्ञान।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : श्री सुरेन्द्र व्यास !

(श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) ने शपथ ग्रहण की)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इलेक्शन में नहीं रखी थी।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : श्री शंकरसिंह !

(श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) ने शपथ ग्रहण की)

श्री विजयसिंह (मकराना) : सब अकाल की देन है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : मजदूरों का क्या होगा ?

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, वन, चिकित्सा, योजना, अकाल सहायता, चुनाव, देवस्थान विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री जयनारायण सालोदिया : एक प्रश्न तो निपट जाने दीजिये, साहब !

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा !

ढील नदी का बांध-बंध गोपालपुरा

1. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ढील नदी का बांध-बंध गोपालपुरा (तहसील सवाई माधोपुर) कब बनाया गया और इससे संभावित उस समय कितने रकबे की पिलाई का अनुमान लगाया गया था ?

(2) गत दस वर्षों में इस बंध से प्रति वर्ष कितने रकबे की पिलाई होती रही है और प्रति वर्ष कितने रकबे को कितनी बार पानी दिया जाता रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस बंधे की मुख्य नहर पर स्थित उन गांवों की जमीनें

Page No 2

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
बंध की कमाण्ड एरिया में शामिल नहीं की गई थी जो पहले जागीर के गांव थे और इसलिए इस नहर पर स्थित कई गांव अब तक पिलाई से वंचित रहते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या क्या है ? कृपया गांवों के नाम भी बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इन ग्राम निवासियों की विभाग से पानी की पुरजोर मांग है लेकिन उनकी जमीनें मुख्य नहर की पड़ौसी और नजदीक होते हुए भी पानी की कमी के कारण उन्हें पानी दिया जाना सम्भव नहीं हो रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि की दृष्टि से इन गांवों की मांग पूरी करने हेतु विभाग ने चरण का देह की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तैयार कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित की तथा पंचायत समिति, बौंली ने भी इस स्कीम को पूरा किए जाने की पुरजोर मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इसे क्रियान्वित किए जाने हेतु क्या विचार है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस बंध के अधीन गांवों की जमीन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु क्या विकल्प रखती है ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : (1) ढील नदी का बांध जयपुर राज्य के समय 1909 में बनाया गया था। राज्य के समय प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) कमाण्डेड क्षेत्र में केवल तीन जागीर के ग्राम क्रमशः हीडवाड़ी, पीपलवाड़ा एवं सागरवास प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में पूर्णतया सम्मिलित नहीं किए गये थे। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह ग्राम केवल जागीर ग्राम होने की वजह से ही सिंचाई से वंचित रखे गये थे क्योंकि इन गांवों की जमीन जल सतह से ऊंची भी है।

इन तीन ग्रामों में से पीपलवाड़ा ग्राम से नहर में स्थित पक्के फाल को साढे तीन फिट ऊंचा करके सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(4) जी हां।

(5) लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन पानी की कमी तथा ज्यादा लिफ्ट होने की वजह से यह योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कहा है कि राज्य के समय प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं। फिर यह कैसे कह सकते हैं कि केवल तीन गांव रह गये हैं जो पूरी तरह से कमांड एरिया में नहीं लिये गये हैं। जबकि आपके पास आंकड़े नहीं है राज्य के समय के कि कमाण्ड एरिया प्रस्तावित कितना था कौन कौन से गांवों को पानी देना था तो आप तीन गांवों के लिए कैसे कह सकते हैं ? मेरी जानकारी में है कि दस गांव ऐसे हैं जिनमें से नहर होकर निकलती है लेकिन उनको बिल्कुल पानी नहीं मिला है।

श्री जसराज : जो कि विभाग के पास में सूचना उपलब्ध थी उसके आधार पर मैं

Page No 3

(श्री जसराज)
कह सकता हूं कि डीडवाड़ी, पीपलवाड़ा और सागरवास–यह तीन गांव हैं, जो आपने जागीर के गांवों के लिए पूछा है— जिनको पानी नहीं दिया जा सका है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दस गांव हैं कि जिन गांवों के बीच में होकर नहर गई है, तल में होकर, लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और जो लिफ्ट इरिगेशन के लिए कहा है कि इसमें न तो पानी की अधिकता है और खर्चा भी विशेष आता है– इसलिए यह कार्यान्वित नहीं की जा सकती तो मेरा सुझाव यह है, जो हैड की तरफ यह दस विलेजेज हैं जो कि मोरेल नदी की नहर से एक मील पर पड़ते हैं तो इनको मोरेल के कमाण्ड एरिया में ले लिया जाय, इन दस गांवों की भूमि को कमाण्ड एरिया में लेकर पानी दिया जा सकता है। यह मेरा सुझाव है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि वह इस सम्बन्ध में जांच करा कर यदि सम्भव हो तो ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! उत्तर दीजिये।

श्री जसराज : आपका सुझाव....

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : यह अलग प्रश्न है, मोरेल नदी के बांध से पानी दिया जा सकता है या नहीं–पानी, धन की उपलब्धि एवं पानी पहुंच सकता है या नहीं–इन चीजों की जांच करवा लेंगे और जांच करने के बाद जो सही नतीजा निकलता है उसकी पूर्ति करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री शीशराम पूनिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, अभिप्राय यह है, अब तो कोई जागीर का प्रश्न नहीं है। अगर कैनाल अमुक गांवों से गुजरती है तो कम से कम जहां जहां से कैनाल जाती है, नहर जाती है वहां तो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उप मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह सामान्य बुद्धि से भी परे है, विपरीत है। मैं आशा करता हूं, मंत्री महोदय, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड के सिद्धान्त को अपना करके जिन गांवों में से नहर पहले जाती है उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने की व्यवस्था कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से माननीय नेता महोदय को यह मालूम नहीं है कि उन गांवों का जो लेवल है वह भी नहर से ऊंचा है। केवल जागीर के गांव होने की वजह से ही नहीं लेकिन क्योंकि लेवल ऊंचा है इसलिए पानी नहीं पहुंच सकता है। यह भी कारण है। इसलिए जो विकल्प माननीय सदस्य ने दिया है कि मोरेल से पानी पहुंचाया जा सकता है या नहीं–इसकी जांच करवा लेंगे। वह सम्भव हुआ तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम पूनिया।

प्रश्न संख्या 2 के पूछे जाने पर आपति व उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न इस

Page No 4

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्रश्न के सम्बन्ध में खड़ा करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, मुझे क्षमा करेंगे, जिनसे भी यह प्रश्न सम्बन्धित है वह एक अध्यापक है इसलिए मैं समझता हूं कि उनके प्रति भी मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न से कोई अन्याय हो सकता है लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से और सदन की परम्परा की दृष्टि से और नियमों की अनुपालना की दृष्टि से मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मुझे व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर देना चाहिए ताकि आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में हो सके।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी ऐसी मान्यता है और धारणा है कि यह प्रश्न व्यक्ति विशेष के काज को प्लीड करने के लिए किया गया है। किसी एक क्लास के क्वेश्चन को यहाँ पूछा जा सकता है ऐसी मेरी धारणा है, पर्टीक्यूलर जनरल पब्लिक के काज को, पर्टीक्यूलर क्लास के काज को प्लीड किया जा सकता है, सभी अध्यापकों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो तो उसका मामला यहां उठाया जा सकता है लेकिन व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने की दृष्टि से, सरकार के किसी कदम से व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं हो रहा हो और कुछ दिक्कत हो रही हो उनको लाभ हो जाय—उस दृष्टि से प्रश्न नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर कोई व्यवस्था भूत में नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत पहले इस प्रकार का निर्णय दिया गया है, ऐसे निर्णय हैं कि इंडिविजुअल काज को प्लीड करने वाले प्रश्न विधान सभा में न पूछे जायं। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि सदन का मार्गदर्शन रहेगा। मेरी धारणा है कि इस प्रश्न के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष के काज को प्लीड किया गया है और किसी के फेवर में राज्य सरकार का आदेश हो नहीं पाया है। उसकी उन्हें चिन्ता है इस प्रकार का आभास और संदर्भ इससे मिलता है। कोई सामान्य बात होती और कितनों को किया गया है और कितनों को नहीं मिला है। ऐसी कोई बात होती तो बात दूसरी थी। इसलिये यह क्वेश्चन हमारे रूल्स के अनुसार और हमारी परम्पराओं के अनुसार, हमारी स्वस्थ परम्पराओं और नियमों के अनुसार भी उनकी व्याख्या और उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको स्वयं को ज्ञान है। व्यक्तिगत केस प्लीड करने की दृष्टि से इस प्रश्न को डिसअलाऊ करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनिया।

श्री शीशराम पूनिया (सादूलपुर) : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यदि मैं उनके प्रश्नों का संग्रह करके आसन को बताऊंगा तो हो सकता है कि उन्होंने इन्डिविजुअल को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से प्रश्न किये हों, किसी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से प्रश्न किये हो। यह गलत बात है। किसी बदले से यह प्रश्न उठाया हो। मैंने यह प्रश्न किसी व्यक्तिगत तौर से किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से नहीं उठाया है, एक अध्यापक कई साल से सस्पेन्ड है, गवर्नमेन्ट की किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता है। एक आदमी को दिक्कत हो रही है। यहां तक कि उसका एक लड़का मर

(श्री शीशराम पूनिया)
गया। भूख से मर गया। इसलिये यह प्रश्न पूछा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात पर एक्सेप्शन लेता हूं। माननीय सदस्य से पहले ही क्षमा मांग ली थी। न तो उस व्यक्ति से मेरी जानकारी है और न ही मेरा उससे कोई प्रेम और दुश्मनी है। आपसे मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि मैंने यह प्रश्न केवल नियमों और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है। फिर भी माननीय सदस्य की ओर से इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया जाय कि मैंने कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछे हैं, व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की मेरे से भी भूल हो सकती है और अध्यक्ष महोदय उसको डिसअलाऊ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कोई व्यक्तिगत प्रश्न मैंने पूछा हो यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं उनके पड़ौस में ही रहता हूं। मेरे वे परम मित्र हैं मैंने तो लीगल लेंगवेज में बात की है और आप एब्यूजिव लेंगवेज में बात करें यह आसन के देखने की बात है। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : जो जवाब दिया गया है उसमें तथ्यों की बात कही गयी। उस पर वह प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रूल 37। इसमें हमारी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे किस आधार पर स्वीकार किये जाते हैं यह प्रावधान है। प्रायः ऐसे प्रश्न आया करते हैं जो व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखते हैं उनको मैं वहीं पर रोक देता हूं, और स्वीकार नहीं करता हूं। फिर भी सदन में कोई प्रश्न आ सकता है। इस प्रश्न में सिर्फ देखने का तथ्य यह है कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का है या नहीं। या नियम 47 के अन्तर्गत पास्ट हिस्ट्री के प्रश्न हैं, किसी प्रश्न में व्यक्ति विशेष की एडवोकेसी होती है तो उस सम्बन्ध में कई व्यवस्थायें हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रश्न में कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट है या नहीं। और यह प्रश्न व्यक्ति विशेष से ही सीधा सम्बन्धित है या नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है और क्या नहीं है, पब्लिक इन्ट्रेस्ट का है या नहीं है उसको देख कर स्वीकार करना होगा तो स्वीकार करूंगा और नहीं तो आगे के लिये स्थगित करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य।

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के मानसिक चिकित्सालय

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में मैन्टल हॉस्पिटल कितने, कहां कहां और कितने कितने मरीजों के इलाज की क्षमता के हैं और इनमें प्रति वर्ष औसतन कितने मरीजों का इलाज होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मैन्टल हॉस्पिटलों का प्रति वर्ष का कितना बजट है ? हॉस्पिटल वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 6

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि मैन्टल हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कुल कितने डाक्टर हैं ?

(4) प्रत्येक हॉस्पिटल में मानसिक रोग विशेषज्ञ कितने कितने हैं और साधारण योग्यता के डॉक्टर कितने कितने हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): राज्य में मानसिक चिकित्सालय 2 हैं। एक जयपुर में और दूसरा जोधपुर में। जयपुर में 180 शैय्याएं हैं। जयपुर व जोधपुर में रोगियों का इलाज निम्न प्रकार होता है:—

	इन्डोर	आउटडोर
जयपुर	250	21,900
जोधपुर	372	2,000

(2) जयपुर मानसिक चिकित्सालय का वार्षिक बजट 3,61,150 रु. का है व जोधपुर मानसिक चिकित्सालय का वार्षिक बजट 1,65,800 रु. है। जी नहीं। मानसिक चिकित्सालय जयपुर में 6 डाक्टर हैं व मानसिक चिकित्सालय, जोधपुर में 3 डाक्टर हैं।

(3) जयपुर मानसिक चिकित्सालय में 3 मानसिक विशेषज्ञ व 3 ही साधारण योग्यता वाले डाक्टर हैं इसी प्रकार जोधपुर के मानसिक चिकित्सालय में 2 मानसिक विशेषज्ञ व 1 साधारण वाले डाक्टर हैं इसके अलावा 1 गृह चिकित्सक व 1 रजिस्ट्रार भी कार्य करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस के सम्बन्ध में सूची मांगी थी। सूची मुझे नहीं मिली। सूची के अभाव में क्या अर्ज करूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दो ही तो अस्पताल हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पढ़ दी गयी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रिकार्ड जरूर मेंटेन किया जाता है। जो हर एक अस्पताल में है। मानसिक रोगों का इलाज होता है चाहे वह जनरल अस्पताल में हो या मानसिक अस्पताल में हो। उनकी केटेगरी जरूर दर्ज की जाती है जनरल अस्पताल में। उनकी संख्या इकट्ठी की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने सर्वे करवाया है कि मानसिक रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं और उस हिसाब से अस्पताल और डॉक्टर्स की आवश्यकता पूरी होती है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जनरली जो फिजिशियन्स होते हैं वह मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिये दो ही अस्पताल हैं जयपुर और जोधपुर में।

श्री भैरोंसिंह : मैं सर्वे की बात कह रहा हूं। क्या आपने सर्वे करवाया है या

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं क्या यह सही है कि भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री मानसिक रोग से पीड़ित की एक कान्फ्रेन्स हुई थी राजस्थान में उसमें उन्होंने मानसिक रोगों से पीड़ितों की संख्या दस लाख बताई थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : आप स्वयं मानसिक चिकित्सालय कितनी बार गये हैं देखने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन रोगों का इलाज करने में माहिर हैं और वे कर देते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि बहरे, गूंगे और मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को सही तरीके से नहीं रखा जाता है और पशुओं की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बहरे गूंगों का मामला है या मानसिक चिकित्सालय का ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मानसिक रोगों से पीड़ित हैं उनके लिये है।

श्री अध्यक्ष : उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा रोग होता है, जिस प्रकार का इलाज होता है उसी तरह का व्यवहार किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार वर्तमान व्यवस्था है मानसिक रोगों के लिये वह पर्याप्त है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : संख्या के अनुपात में वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, मैं समझता हूं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिससे उसकी अनुपयुक्तता जाहिर हो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : चिकित्सा की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है और प्राइवेट औषधालयों में जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

पंचायत मंत्रीजी।

अध्यापकों का विशेष वेतन

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 7 (ए) (10) एज्यु. सेल-2, दिनांक 6-3-64 के अनुसार किस किस वर्ष में किस किस स्कूल के कितने कितने अध्यापक स्पेशल पे के रूप में कितनी कितनी धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अब तक उन्हें कितनी कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है ? शेष के भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है अतः वह ही इसका जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग से होगा। पंचायत समितियों के नीचे चलने वाले जो स्कूल हैं वे शिक्षा विभाग के दायित्व में हैं या पंचायत विभाग के दायित्व में हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): पंचायत एवं डवलपमेंट डिपार्टमेन्ट के दायित्व में है।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर शिक्षा विभाग कैसे देगा ? आपके उप मंत्री जी ने कहा कि इसका उत्तर शिक्षा विभाग देगा तो यह किस प्रकार से कहा गया जब कि आपका प्रशासनिक दायित्व है तो उत्तर शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : सरक्युलर का हवाला दिया गया है एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट का। उनके डिपार्टमेन्ट के टीचर्स का ही है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो अपना बतला दीजिये कि पंचायत के टीचर्स को भत्ता दिया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं ? पहले दिन ही आपने यह शुरुआत कर दी। सारे टीचर्स परेशान हैं। एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट कहता है कि हमारी रैस्पोन्सिबिलिटी नहीं है और पंचायत मन्त्री जी कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं और हमारी जिम्मेदारी नहीं। जैसलमेर में गवर्नर महोदय ने एश्योरेन्स दिया था कि उनका भुगतान कराया जायगा। गवर्नर का एश्योरेन्स नहीं चलता, गवर्नर की नहीं चलती और मन्त्री महोदय आपस में झगड़ते हैं कि यह उसका है और यह उसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं चाहता कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय यदि मंत्री महोदय जवाब नहीं दे सकते तो आप विधान सभा भंग कर दीजिये। हमारे प्रश्न पूछने से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा को मैं कैसे भंग कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका और विधान सभा का दोनों का अपमान है। क्वेश्चन जो लिस्ट में आ जाते है उसके बाद भी मंत्री महोदय जवाब देना नहीं चाहते और पोस्टपोन कराते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कल जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : या तो आप यह कह दीजिये कि मंत्री जी अयोग्य है जो जवाब नहीं दे सकते। आप रूल्स भी देखिये किसी में यह प्रावधान नहीं है कि मिनिस्टर महोदय प्रश्न को पोस्टपोन करने के लिये रिक्वेस्ट कर सकते हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। केवल माननीय सदस्यों को अधिकार दिया है कि वे पोस्टपोनमैन्ट के लिये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिये नियम है 43। मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं उनको विथड्रा कर सकते हैं, उनको पोस्टपोनमैन्ट की प्रार्थना-पत्र कर सकते हैं। नियमों में यह कहीं व्यवस्था नहीं है कि मंत्री किसी

Page No 9

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्रश्न के पोस्टपोनमेन्ट करने की रिक्वेस्ट कर सकता हो। इसलिये उनकी रिक्वेस्ट का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि मंत्री महोदय यह अनुभव करते थे कि यह प्रश्न उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो उसी समय उनको विधान सभा सचिवालय को लिखना चाहिये और प्रश्न वापिस लौटा दिया जाना चाहिये था यह प्रश्न गलती से हमारे पास आगया। अतः सम्बन्धित विभाग को भेजा जाय। यह तो प्रशासनिक उत्तर-दायित्व को न निभाने की नीति में आता है।

श्री शंकरलाल (जैतारन): जो प्रश्न पूछा गया है वह इसी तरह से पूछा गया है जिसको पंचायत विभाग से सम्बन्धित हम नहीं कह सकते इसमें लिखा है 'शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 7 (ए) (10) एज्यू. सैल-2, दिनांक 6-3-64 के अनुसार किस किस वर्ष में किस किस स्कूल्स के कितने अध्यापक स्पेशल पे के रूप में कितनी कितनी धन राशि प्राप्त करने के अधिकारी है' इसमें कहीं प्राथमिक शालाओं का जिक्र नहीं है जो पंचायतों के अधीन हैं वैसी हालत में पंचायत विभाग से सम्बन्धित इसे कैसे मान सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है स्थिति को समझा जाय।

श्री बालसिंह सोढ़ा: यह गलती सरकार की है। हम जब प्रश्न करते हैं तो यह पंचायत मन्त्री के पास पहुंच गया तो उनको वापिस लौटा कर लिखना चाहिये कि यह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। यह तो पंचायत विभाग की धांधली है।

श्री भैरोंसिंह: जैतारन से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह प्रश्न ही गलत लिखा गया है वे यदि इसको जरा समझने की कोशिश करते तो उनको पता लग जाता कि इसमें किसी प्रकार से एम्बीग्विटी नहीं है। यह मैंने पंचायत मन्त्री को एड्रैस किया है वह इसलिये कि इस शिक्षा विभाग के सरकुलर के अनुसार पंचायतों की स्कूलों पर भी यह लागू किया गया है या नहीं। उन अध्यापकों को भी यह वेतन दिया गया है या नहीं? पंचायत विभाग के अधिकार क्षेत्र में जो संस्थायें हैं उनको यह वेतन भत्ता दिया गया या नहीं इसमें किसी प्रकार की एम्बीग्विटी नहीं है।

श्री शंकरलाल: एम्बीग्विटी साफ है।

श्री अध्यक्ष: इसे विवाद का प्रश्न नहीं बनाया जाय।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): यह प्रश्न उन प्राथमिक शालाओं से सम्बन्धित है जो बोर्डर एरिया में हैं वहां स्पेशल पे दी जाती है या नहीं। जैसलमेर एरिया की स्कूलों को डवलपमैन्ट विभाग से लेकर एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया है। इसलिये हमारा उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: इस प्रश्न का क्या हुआ?

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): यह सरक्युलर सन् 64 में निकला है।

श्री भैरोंसिंह: यह जो डिसीजन लिया है बहुत लेट है। 1964 में यह सरक्युलर निकला है जिस समय ये आपके अधिकार क्षेत्र में थीं उस समय के वेतन भत्ते का भुगतान किया गया या नहीं?

Page No 10

श्री परसराम मदेरणा : यह स्कूलें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आ गई हैं वे ही इस बारे में जवाब दे सकते हैं। Education Department has stepped into the shoes of Development Department.

इसलिये इस क्वेश्चन का जवाब शिक्षा विभाग ही देगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको कल के लिये स्थगित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सत्र के प्रारम्भ से ही आप पोस्टपोन करने की परम्परा डाल रहे हैं। जिस समय यह सवाल मंत्री महोदय के पास गया उस समय यह कह सकते थे कि यह शिक्षा विभाग से संबन्धी है। इसलिये शिक्षा विभाग को एड्रेस किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप गत सत्र की बात देखें तो सब से ज्यादा पोस्टपोनमेण्ट अकाल राहत मंत्री ने चाहे है। आप इस तरह की परम्परा डाल रहे हैं यह उचित नहीं है। इसको पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिये। इस वक्त में यह कतई स्थगित नही किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया कल इसका जवाब आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपकी कोई मानता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं मानता है तो भी मैं आग्रह करता हूं। मेरे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है नियमों में जिसके अनुसार मैं मनवा सकूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन के अधिकार असीमित हैं। आप उन अधिकारों का प्रयोग करना नहीं चाहते। आप यदि अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करने लगें तो किसी की ताकत नहीं कि आसन की अवहेलना करें। आप अपने डिस्क्रीशन का प्रयोग नहीं करना चाहते तो हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : मैं संजीदगी से काम लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आखिर इससे संबन्धित मंत्री कौन है, कौन इसका उत्तर देंगे ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसका निर्णय कौन करेगा कि इससे कौन संबन्धित मंत्री है। जिस समय ये संस्थायें पंचायतों के अन्तर्गत थीं उस समय का भुगतान कौन करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): यह जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उस पर मैं और पंचायत मंत्री तहकीकात कर लेंगे और कल आपके सामने जवाब दे देंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप डंडा रखिये सभी मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

जिला शिक्षणालय जयपुर में अध्यापकों की मैरिट लिस्ट

5. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश प्रसारित किया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिये जिला शिक्ष-

(श्री हरजीराम बुरड़क)
णालयों द्वारा मैरिट लिस्ट तैयार की जावे और आवश्यकता होने पर उसी मैरिट लिस्ट में से प्राथमिकता के आधार से शिक्षकों की नियुक्ति की जावे ? यदि हां, तो कब कब ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला शिक्षणालय जयपुर के कार्यालय में सन् 1967 में तथा 68 में उपरोक्त मैरिट लिस्ट बनाई गई थी ?

(3) उपरोक्त मैरिट लिस्ट में से सन् 1968 में किन किन को कब कब जिला शिक्षणालय जयपुर द्वारा शिक्षक नियुक्त किया गया और उनका उक्त लिस्ट में कौन कौन सा नम्बर था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त लिस्ट के अलावा भी सन् 1968 में जिला शिक्षणालय जयपुर द्वारा शिक्षक नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस को कब कब और क्यों ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि डाइरेक्टर सेकेण्ड्री एज्युकेशन बीकानेर ने दिनांक 22-8-68 को जिला शिक्षणालय जयपुर का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के समय यह आदेश दिया था कि बिना मैरिट लिस्ट के जिन शिक्षकों की नियुक्ति की हो उन्हें तुरन्त हटा दिया जावे ? यदि हां, तो क्या उनकी पालना की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त आदेश डाइरेक्टर द्वारा देने के बाद भी उक्त अधिकारी ने बिना मैरिट लिस्ट के शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किन किन की और कब कब ?

(7) क्या सरकार का इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा है ? यदि हां, तो क्या तथा किस किस के खिलाफ ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां । विभागाध्यक्ष द्वारा अस्थाई आदेश संख्या 20/1966 व 20/1968 प्रसारित किये गये हैं । प्रतियां संलग्न हैं ।

(2) जी हां, यह सत्य है ।

(3) जिला शिक्षणालय जयपुर द्वारा सन् 1968 में उक्त मैरिट लिस्टों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सूची संलग्न है ।

(4) यह सत्य है कि जिला शिक्षणालय, जयपुर द्वारा सन् 1968 में मैरिट लिस्ट के अलावा भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी कारण सहित सूची संलग्न है ।

(5) यह सत्य नहीं है । शिक्षा निदेशक, बीकानेर ने उक्त कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 22-2-69 को न कि दिनांक 22-8-68 को किया था तथा आदेश भी प्रदान किये थे कि बिना मैरिट लिस्ट के नियुक्त शिक्षकों को तुरन्त हटा दिया जावे । उक्त आदेश की जिला शिक्षणालय जयपुर द्वारा पालना कर दी गई ।

(6) जी हां । यह सत्य है । सूची संलग्न है ।

(श्री धीरसिंह)

(7) जांच करवाई जाने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या आप यह विश्वास रखते है कि जिस आदेश का आपने हवाला दिया है उसकी पालना इन नियुक्तियों में हुई है ?

श्री धीरसिंह : जो मैरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां की गई उनकी सूची दी गई है। मैरिट के अलावा जिनकी नियुक्ति की गई उसमें जो कारण बताये गये हैं उसमें मुख्य कारण यह था कि 9वीं 10वीं क्लास को पढ़ाने के लिये सैकण्ड ग्रेड के टीचर्स की शॉर्टेज थी। प्रेशर इतना था कि तुरन्त क्वालिफाइड एम्पलॉइज को नियुक्त किया गया जिसमें सब्जेक्ट वाइज बी० ए०, बी० कॉम मेथेमैटिक्स, साइन्स के टीचर्स को नियुक्त किया गया हालांकि वे मैरिट इन्क्लूडेड नहीं हैं। एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जसे लिस्ट मंगवा कर उनकों नियुक्तियां दीं। चाहिये तो यह था उनको भी मैरिट लिस्ट में इन्क्लूड करते इसमें किसी के साथ पक्षपात करने की बात नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो कारण आपने बताया है उनमें पहली बात तो यह है कि सरक्यूलर में ऐसा कहीं नहीं है। दूसरी बात, जब डाईरेक्टर ने इन्सपेक्शन किया तो उस समय ये कारण वाजिब होते तो डाइरेक्टर गलत नियुक्ति की बात नहीं कहते। आपने 6 को तो हटाया और उधर बाद में बिना लिस्ट के डेढ़ सौ, दो सो आदमियों को नियुक्त कर लिया। तो यह सब क्या सरकार वाजिब समझती है ?

श्री धीरसिंह : ये नियुक्तियां विशेष परिस्थितिवश की गई हैं यह मैंने निवेदन किया है हालांकि नहीं करना चाहिये था, इस हद तक तो गलती की है। इस पर भी जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या विशेष परिस्थिति की बात के लिए शिक्षा विभाग की या सरकार की राय ले ली गई थी, उनकी अनुमति ले ली गई थी ?

श्री धीरसिंह : यह गलती थी, अनुमति लेनी चाहिए थी।

श्री दौलतराम सारण : बिना सरकार की पूर्व अनुमति के, बिना विभाग की अनुमति के यह सारा काम कर लिया गया और इसे आप साधारण बात कहते हैं।

श्री धीरसिंह : सब्जेक्ट, सीनियोरिटी और पढ़ाई का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह किया है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें जांच फिर आप किस बात की कर रहे है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया। श्री सिंचाई मन्त्री जी।

बांधों के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

6. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर उप जिला क्षेत्र में स्थित सूरवाल

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
बान्ध, भगवतगढ़ बान्ध एवं मोरेल बन्धे में कई किसानों की कृषि भूमि व उनके आपसी के कुए डूब में आये हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त तीनों बन्धों में किस किस किसान की कितनी कितनी बीघा जमीन व कुए कितने समय से डूब में आए हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त किसानों की भूमि उक्त बन्धों में डूब में आने के बाद भी उनसे लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो किस किस किसान से प्रति वर्ष कितना कितना रुपया लगान आदि का वसूल किया गया और किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने अभी तक उक्त किसानों की डूब में आई भूमि व उनके कुओं के बदले में दूसरी भूमि व उसका मुआवजा नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री सिचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां ।

(2) सूचि संलग्न है ।

(3) जी हां, लेकिन लगान के वापिस करने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है ।

(4) इन बन्धों की डूब में आये कुओं एवं मकानों का मुआवजा काश्तकारों को दिया जा चुका है । केवल भूमि का ही मुआवजा दिया जाना शेष है । मुआवजा नहीं दिये जाने का कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही अवार्ड जारी नहीं किया जाना है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि बान्धों में, डूब में आने के बाद भी किसानों से उस भूमि का लगान वसूल किया गया है, और आज भी किया जा रहा है तो किस किस किसान से प्रति वर्ष कितना कितना रुपया लगान आदि की शक्ल में वसूल किया गया है, और किया गया है तो क्या नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की भी बात कही है । मैं पूछना चाहता हूं इसका जवाब आपने नहीं दिया ।

श्री जसराज : यह रेवन्यू विभाग से सम्बन्धित है । यह सूची उपलब्ध नहीं हो सकती थी इसलिए नहीं दिया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें आपने अंकित की है क्या यह बात ? आपने तो बिलकुल ही प्रश्न का उत्तर ही टाल दिया । जो मुख्य प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, किस्सा यह है कि सन् 52 से लेकर आज दिन तक 18 सालों तक लगातार उन लोगों से जबर्दस्ती लगान वसूली की जा रही है, जिनकी संख्या 23890 बीघा जमीन है, और 1730 किसानों की है जो डूब में आई है । 52-53 से यह सरकार उनसे लगान वसूल करती चली आ रही है । लाखों रुपया वसूल कर लिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

Page No 14

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह लगान किन नियमों के अन्तर्गत वसूल किया ?

श्री जसराज : नम्बर तीन में ही कह दिया गया है कि वसूल किया गया और गलती से किया गया था। इसको वापिस देने की कार्यवाही जारी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की ओर से राजस्व विभाग को सूचना कर दी गई थी कि अमुक लोगों से मालगुजारी राजस्व वसूल नहीं किया जावे।

श्री जसराज : यह सूचना दे दी गई थी। दुबारा भी चाही गई तो दुबारा भी दे दी गई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब तक रिफण्ड कर दिया जावेगा ?

श्री जसराज : शीघ्रातिशीघ्र। अवार्ड जारी होते ही पेमेन्ट कर दिया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर है। आज 17-17,18-18 साल होने आये। इनका अवार्ड अभी नहीं हुआ, डूब में आये हुओं को मुआवजा नहीं दे पाई यह सरकार, किसान बेरोजगार हो गये सैकड़ों। क्या सरकार इनको बदले में जमीनें अब भी देने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। वन मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर है। हजारों किसान बेरोजगार और बेघरबार हो गये। उनके पास रहने को खाने को साधन नहीं। वे हाली बन कर मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनको दर दर का भिखारी इस सरकार ने बना दिया। उनके बच्चे और परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, यह अत्याचार और सरकार की लापरवाही की पराकाष्ठा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगपुर) : यह इस सरकार की पोलपट्टी की पराकाष्ठा है। यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है कि आज 18 सालों में भी उन किसानों का यह सरकार कुछ प्रबन्ध नहीं कर सकी। यह अन्याय और जुल्म की पराकाष्ठा है। सरकार की लहतलाली और पोलपट्टी की पराकाष्ठा है। इस बारे में सरकार को कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिये शीघ्रातिशीघ्र। यह 52 से चला आ रहा प्रश्न है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया था पहले ये जमीन के बदले में जमीन लेना चाहते थे पर वह उपलब्ध नहीं होने से नहीं दे सके। कुए और मकानों का मुआवजा तो उनको दे दिया गया है। कैश कम्पेन्सेशन के लिये लैंड एक्वीजीशन अफसर को रेफर किया है। वह पहले जयपुर में रहते थे। फिर बाद में दो बार उनकी बदली हो गई। तीसरे के पास कार्यवाही चल रही है। और हालांकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि यह जल्दी से जल्दी मामला निपटाया जाकर कैश कम्पेन्सेशन दिया जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुओं का

Page No 15

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
मकानों का मुआवजा दे दिया गया है, मैं मन्त्री जी को चुनौती देता हूं कि वे ऐसा एक भी किसान बता दें जिसको आपने मुआवजा दिया हो। एक भी किसान को मकान और कुओं का मुआवजा नहीं दिया। सदन में मन्त्री जी गलत उत्तर दें। किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करें। जिनको मुआवजा आज 18-18 सालों से नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो स्पष्टीकरण है अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि किसी को कुओं का या मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया है और मैंने अगर कोई बात गलत कही है तो वे मुझे बताएं। मैं इसकी जांच करा लूंगा और अगर किसी को मुआवजा नहीं मिला है तो पेमेन्ट करवा दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन अधिकारियों ने यह सब किया है और 18 साल से किसानों को तबाह करते आ रहे हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का भी आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री नेक्स्ट जयनारायण सालोदिया। पंचायत मन्त्री।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज के इस जनतन्त्र में किसान को 18 सालों से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उसके अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि अभी तक अवार्ड नहीं दे सके हैं। उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, और जमीन के बदले में जमीन नहीं मिली। और यह किसानों की हिमायत करने वाली सरकार उन दोषी अधिकारियों को दण्ड देने को बात तक सुनने को तैयार नहीं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप भी नहीं सुनना चाहते। उनके पशु और बच्चे मर गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्यों को भी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ऐसे गम्भीर प्रश्नों का उत्तर स्पष्टतौर से नही देना चाहती और सरकार स्वयं दूसरे प्रश्नों के पूछे जाने में बाधक बनती है। सरकार स्पष्ट और सन्तोषप्रद उत्तर दे दें तो यह नोबत ही न आवे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : + + +

श्री अध्यक्ष : लगता ऐसा है आप दूसरे माननीय सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछने देना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं सारा

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
समय इन प्रश्नों को स्थगित करके आपको दे दूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप सरकार से कहिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे अन्य सदस्यों की सुविधा को देखना पड़ता है। मैं निरर्थक आपके संघर्ष में आता हूं। दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दूसरा ले लिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया।

पंचायत मंत्री जी।

वन मंत्री जी।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, मैं बड़े द्वन्द्व में हूं। आप भी स्थान ग्रहण करें (वन मंत्री जी के खड़े होने पर) आपका उत्तर तो बड़ा सीधा है लेकिन आसन पर बैठने पर सीधा नहीं होता है। मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आसन ऐसा प्रयत्न करे कि सवालों का सीधा उत्तर मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष : ताकत दोनों में होती है। एक प्रश्न पर मान लें और दूसरे पर मानते ही नहीं। मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं। लेकिन दूसरे प्रश्नों को काटा जाता है। मैं दर्द को समझता हूं। क्या सदन यह चाहता है कि सारा समय इस प्रश्न पर लगा दिया जाये? मैं चाहता हूं कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय मिले। मैं आपकी अनुमति से दूसरे सदस्यों को समय दे दूं? स्थिति यह आ गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय; मैं विनम्र शब्दों में····

श्री अध्यक्ष : विनम्र शब्दों में कहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने समस्या का निदान करने का आश्वासन नहीं दिया है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : प्वाइण्ट आफ ऑर्डर, सर····

श्री अध्यक्ष : प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मदनसिंह। अध्यक्ष महोदय एक ही सवाल पर बहस करते हैं। आपके विधि विधान में लिखा हुआ है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं है तो स्थगित कर दिया जाये। इस तरह से सदन का अमूल्य समय क्यों नष्ट किया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन अवर पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों को आप सुविधा नहीं देना चाहते हैं। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

Page No 17

(श्री अध्यक्ष)
पंचायत मंत्री महोदय।

श्री जुझारसिंह।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों के साथ पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं। बीच में खड़े हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामदेवजी के मेले में पानी, बिजली आदि की व्यवस्था

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि जैसलमेर जिले की पोकरण पंचायत समिति क्षेत्र में साल में दो बार श्री रामदेव जी महाराज का मेला भरता है। जिसमें लाखों की संख्या में कई प्रदेशों से लोग आते हैं, पर आने जाने व ठहरने की कठिनाई के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई विचार रखती है?

(2) मेले में दुकानों की भूमि की नीलामी व अन्य टैक्स से हर साल जितनी आमदनी होती है वह आमदनी पंचायत समिति की होती है या सरकार की?

(3) मेले की व्यवस्था व बिजली पानी आदि में कितना खर्चा होता है?

उप मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी, हां। दो बार मेला लगता है। और....

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। एक माननीय सदस्य का उत्तर आ रहा है। उनको कम से कम सुविधा दीजिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 23,890 बीघा का लगान वसूल कर लिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री देवीदत्त गोड़िया : अध्यक्ष महोदय, फिर इसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : फिर बता दिया जायेगा कि क्या होगा।

उप मन्त्री!

उप मन्त्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी, हां। दो बार मेला लगता है और यात्रियों के आने जाने व ठहरने का प्रबन्ध है।

(2) दुकानों की नीलामी से 15,958.00 रु० तथा मोटर स्टैण्ड कर से 1,630.00 रु० कुल 17,588.00 की आय होती है। ग्राम पंचायत रामदेवरा को यह आय होती है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(3) मेले की व्यवस्था व बिजली पानी आदि में 7,293.00 रु० प्रति वर्ष औसतन खर्चा होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहीं जहां इतना बड़ा मेला होता है सरकार की ओर से कोई होटल या धर्मशाला बनाई गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सारी लगभग 35 धर्मशालाएं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : धर्मशालाएं पर्याप्त नहीं हैं। लोगों को बरसात में खड़े रहना पड़ता है। यातायात की व्यवस्था भी ठीक नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : टीन की चद्दरों की भी व्यवस्था की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय !

धौलपुर वन बिहार में डिप्टी रेंजर के पद पर नियुक्ति

7. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री शेरसिंह आई. ए. एस. के छोटे भाई को जो वर्कशाप में एक मिस्त्री के पद पर कार्य रहे थे, वन बिहार, धौलपुर में डिप्टी रेंजर के पद पर नियुक्त किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर वन बिहार से रेंजर की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है और रेंजर के समस्त कार्य उपरोक्त मिस्त्री (डिप्टी रेंजर) को सौंप दिया गया है ?

श्री वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी नहीं आ सकी है, इसलिए स्थगन के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री गंगासहाय : क्या बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए बार बार स्थगित कर दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री गंगासहाय : फिर कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर में देखूंगा।

श्री जुझारसिंह !

राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने हेतु राजस्व में स्थानान्तरित वन भूमि

9. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मण्डी तहसील के किन किन स्थानों पर कितना रकबा, राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने हेतु अथवा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन विभाग से राजस्व विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ? इस रकबे को राजस्व विभाग को दिये जाने से पूर्व क्या स्थानीय अधिकारियों से राय मिला ली गई थी ? यदि हां तो क्या उन्होंने उपरोक्त रकबे को वन विभाग से दे दिये जाने की राय दी थी ?

(2) बदले हुए जिस रकबे में अब नई बस्तियां बस गई हैं उनके मवेशियों की चराई व लकड़ी आदि के लिए लगते हुए जंगल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई

(श्री जुझारसिंह)
गई हैं ? क्या इन बस्तियों व वन विभाग के मौजूदा जंगलों के बीच में बफर जोन नहीं रखे जाने के कारण ग्रामीणों व वन विभाग के बीच प्रशासनिक दुविधाएं बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो इनका व्यवहारिक हल ढूंढने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) सूची संलग्न है। जी हां।

(2) स्थानीय ग्रामीणों को प्राप्त चराई व लकड़ी आदि वन-उपज की सुविधाओं के अनुसार इन नई बस्तियों के निवासियों को भी सुविधाएं दी जाती हैं। बस्तियों एवं वन क्षेत्र के बीच बफर जोन नहीं होने के कारण ग्रामीणों व वन विभाग के बीच कोई प्रशासनिक दुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। अतः उनके व्यवहारिक हल ढूंढने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जुझारसिंह : मैंने यह पूछा था कि इस रकबे को ट्रांसफर करने से पहले आप ने आफिसर्स से सलाह कर ली थी कि यह ऐरिया रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दिया जाये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपने पूछा था कि क्या आपने स्थानीय अधिकारियों से सलाह मिला ली थी या नहीं ? 5 तारीख को राणा प्रताप सागर पर मीटिंग की गई थी। वहां स्थानीय अधिकारी भी थे। सलाह मिला कर ही निर्णय लिया गया है।

श्री जुझारसिंह : पानी का कटाव होने के कारण फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने यह रिकमैंड किया था कि यह कल्टीवेशन के लिए नहीं दिया जाए। फिर भी दिया गया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा सवाल नहीं है।

श्री जुझारसिंह : उसमें यह कहा गया था कि इस रकबे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जाए।

श्री नारायणसिंह मसूदा : विस्थापितों को बसाना था इसलिए स्वीकार करना पड़ा था।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न साफ है। आप जवाब भी मेरी इच्छा के माफिक दे रहे हैं। उस जमीन की बनावट ऐसी थी कि उसने पेनिनसुलो बनाया था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा नहीं था कि वहां कटाव था। इस प्रकार के कटाव की समस्या नहीं थी। वह साधारण समस्या हो सकती है। वह अलग है। वह दोनों ओर से बीच में आती है, इसलिए ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री जुझारसिंह : बिलकुल ही जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जो आया है, उससे सन्तोष कर लें।

प्रश्न सं. 10

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री मोहनलाल मोदी।

सिंचाई मन्त्री।

Page No 20

श्री जुझारसिंह : कोई सन्तोष ही नहीं है।

रायपुर बांध से सीपेज

11. **श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) नीमका थाना तहसील में रायपुर बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था, एवं प्रथम बार पानी किस वर्ष में रोका गया ?

(2 क्या यह सही है कि इस बांध से सीपेज जारी है ? यदि हां, तो कितना पानी रोजाना सीपेज में बरबाद हो रहा है ? इससे विभाग को कितना नुकसान होगा ?

(3) क्या इस प्रकार के सीपेज से बांध के टूटने का खतरा है ? यदि हां, तो इस सीपेज की रोक के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं एवं कितना खर्च होने की सम्भावना है और कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : (1) बांध 1967 में पूरा हुआ। प्रथम बार पानी 67 की वर्षा में रोका गया।

(2) जी हां, करीबन 1/2 से एक क्यूसेक सीपेज होता है। इतना पानी सीपेज होना स्वाभाविक है। इसलिए नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं, लेकिन सीपेज को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। तथा बांध को किसी प्रकार से टूटने का खतरा नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है सीपेज को रोकने के लिए ?

श्री जसराज : बांध के डाउन की स्कीम, सारी सप्लाई स्कीम को फिल्टर टो बना दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

बाड़मेर जिले में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

12. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले में किन किन स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं एवं उप-केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों पर चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त स्टाफ एवं दवाई की व्यवस्था है या नहीं।

(3) उक्त केन्द्रों में कहां कहां भवन तैयार हो चुके हैं ?

(4) क्या बाड़मेर जिले में एवं चोहटन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में भवन निर्माण का कार्य सन् 70–71 में हाथ में लिया जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) सामान्यतः स्टाफ एवं दवाइयों की व्यवस्था पर्याप्त है। आवश्यकता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
पड़ने पर दवाइयों के लिये अतिरिक्त प्रावधान भी स्वीकृत किया जाता है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है उसमें यह बतलाया गया है, उप-केन्द्र जो चालू नहीं हैं-खण्डाय, रमनिया, पाडरू, बोधाड, वालेवा, गडरा रोड। यह स्थापित करेंगे। पहले भी नहीं किये थे और बड़ी भारी बीमारी आई थी। इसलिए इस बार कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें। यह कब स्टार्ट किये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहाँ तक उप-केन्द्रों का ताल्लुक है, गडरा रोड, में मोबाइल डिस्पेंसरी काम करती है, बालेवा की जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इस साल कर देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सात-आठ उप-केन्द्र बतलाये हैं उनमें व्यवस्था नहीं है। जो दूसरे उप-केन्द्र बतलाये हैं वहां जो स्टाफ काम कम रहा है- उसका वर्णन नहीं किया गया है। उनके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्टाफिंग पैटर्न सैट है उसको ही चला रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के क्या आधार हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पंचायत समिति के रिजोल्यूशन के आधार पर खोले जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के प्रस्ताव करने के उपरान्त और दस हजार रुपये का कमिटमेंट करने के बाद भी हैडक्वार्टर पचायत समिति के रिजोल्यूशन के अनुसार नहीं बनाये हैं और शहर में बना रखे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सही है कि उप-केन्द्र हैं इनमें से एक नहीं बना है, अब यह डिसीजन लिया गया है कि 45 स्वास्थ्य केन्द्र इस योजना में शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष : योजना मंत्री ! प्रश्न कर्ता !

श्री दौलतराम सारण : केन्द्र तक स्थापित नहीं करते हैं तो बिल्डिंग तैयार करने का क्या प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने प्रश्न किया था कि बायतू और चौहटन में भवन का कब निर्माण किया जायगा। दस हजार रुपये जमा करा दिये हैं तो कब इनका काम स्टार्ट किया जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बायतू और चौहटन के केन्द्र इस साल की लिस्ट में लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : योजना मंत्री !

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रश्न पूछा था, मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करें जब हैडक्वार्टर पर

(श्री दौलतराम सारण)
स्थापित नहीं किये पंचायत समितियों के रिजोल्यूशन के अनुसार तो भवन निर्माण कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : योजना मंत्री !

सूखा क्षेत्रों के लोगों के विकास की योजना

13. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के वर्ष 1970-71 के बजट में सूखा क्षेत्रों के देहातों में रहने वाले अन-एम्पलायड और अन्डर-एम्पलायड लोगों के विकास के लिये 25 करोड़ रुपये का प्रावधान केन्द्रीय सैक्टर में रखा है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इससे सम्बन्धित कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, योजना (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जो योजना राज्य सरकार ने तैयार की है उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है और यह योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(योजना की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्रीमती मदनकौर : यह योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में बताया है मंत्री महोदय ने, वह नहीं रखी है। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि इस योजना में क्या कार्यक्रम फेमिन अफेक्टेड एरिया के लिए रखा गया है ? क्या सारी योजना को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने रख दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, योजना की प्रतियां जरूर भेजी गई हैं। माननीय सदस्य को नहीं मिली है तो मैं यह प्रति दे देता हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : यह माननीय सदस्यों को सदन के अन्दर बता दिया जाय कि यह योजना क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न-कर्त्ता !

श्री खेतसिंह : दूसरा प्रश्न....

श्री विजयसिंह (मकराना) : सदन में लेना देना कौनसा है ?

श्री खेतसिंह : राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस वर्ष के लिए आठ जिलों के लिए आठ करोड़ रुपये की मांग की है। अभी तक रुपया मिला नहीं है। मिलने पर उसकी आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह आठ जिले कौन कौनसे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह आठ जिले कौन कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्रीमती मदनकौर : जिस आधार पर योजना बनाई गई है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उन आधारों को मान लिया है ?

श्री खेतसिंह : यह योजना बनाई गई है, इसका मुख्य आधार है—जिन जिलों के अन्दर लगातार पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है उनके लिए तीन खास तौर पर काइटेरिया रखे गये हैं (1) पिछले साल रेगमाल कितनी हुई है, (2) सस्पेन्शन और रेमीशन क्या किये गये हैं और तीसरा काइटेरिया रखा गया है वह यह रखा गया है कि ड्राट से कितनी पापुलेशन अफैक्ट होती रही है। अब इन आधारों पर जो राज्य सरकार ने योजना भेजी है उसके मुख्य तीन मुद्दे रखे गये हैं—जो रेगिस्तानी जिले हैं वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, चारे की व्यवस्था करने के लिए तथा दुग्ध संग्रह करने के लिए, और जो जिले पहाड़ी है वहां लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और वृक्षारोपण—यह योजना बना कर रखी गई है।

श्री दौलतराम सारण : जिले कौन कौन से हैं।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है, आपके इस कार्यक्रम को क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है ?

श्री अध्यक्ष : कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार ने मान लिया है ?

श्री खेतसिंह : कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार ने माना है या नहीं—यह तो केन्द्रीय सरकार के मंत्री शिन्दे साहब से पूछें। मैं कैसे बता सकता हूं ?

श्रीमती मदन कौर: यह प्रश्न क्योंकि राज्य सरकार से सम्बन्धित है क्योंकि राज्य सरकार ने योजना बनाई है, इसके सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों के बीच में वार्तालाप हुआ है—इस वार्तालाप में क्या निर्णय निकले ? दो वर्ष तो योजना के निकल चुके हैं—लेकिन अभी तक बिल्कुल कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात सरकार ने 25 करोड़ रुपये के अनुदान में से रुपया सैंक्शन करवा लिया है और उनके यहां काम शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री खेतसिंह : यह पच्चीस करोड़ की ड्राट अफैक्टेड एरिया को मदद देने का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में अलग अलग स्टेट का ब्रेक अप नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान को उसमें से काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्रीमती मदनकौर : कितना हिस्सा ले सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कौन कौन से जिले हैं।

श्री खेतसिंह : एक एक सवाल पूछें, मैं आपको सबको तसल्लीबख्स जवाब दूंगा।

अब मैं जिलों के नाम सुना देता हूं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर।

श्रीमती मदनकौर : मेरा तो प्रश्न बहुत स्पष्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जयपुर !

Page No 24

(प्रश्न संख्या 14)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्लीज ! राजवी रूपसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा, प्रश्न संख्या 14।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कब भेजा था ?

श्री खेतसिंह : केन्द्रीय सरकार को प्रपोजल कौन तारीख को भेजे ?

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री खेतसिंह : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप महीना बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : मैं महीना बताने में भी असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप वर्ष बता दीजिये !

श्री खेतसिंह : इसी वर्ष भेजी है, 1970-71 के लिए आठ करोड़ रुपये की मांग की है।

श्रीमती मदनकौर : मांग की है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट कितना देने को तैयार है ?

श्री खेतसिंह : वह निश्चित नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : भीलवाड़ा जिले के लिए मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ?

नगरपालिकाओं के चुनाव

15. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा), श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर), श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कितनी नगरपालिकाओं व परिषदों के चुनाव कब कब से बकाया हैं ?

(2) इनमें प्रशासक कब कब से कार्य कर रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार ने कब कब चुनाव कराने की घोषणा की है ?

(4) राज्य सरकार कब तक सब स्थानों पर चुनाव करना चाहती है ?

चुनाव मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) राजस्थान की समस्त नगरपालिका व परिषदों के चुनाव नावां को छोड़ कर बकाया हैं। कब कब से बकाया हैं। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चुनाव कराने के संकेत निम्नलिखित माह में दिये गये थे :—

1. जून, 1967
2. अप्रेल, 1968
3. सितम्बर, 1968
4. अगस्त, 1969
5. जनवरी, 1970

(श्री नारायणसिंह)

(4) जून-जुलाई, 1970 में चुनाव कुछ को छोड़ कर करा दिये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर): कुछ को छोड़ कर का क्या आशय है आपका ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न के खण्ड (4) में उत्तर दिया है, कुछ को छोड़ कर चुनाव करा दिये जायेंगे। मंत्री महोदय क्या बतायेंगे कि ऐसी कौन कौनसी नगरपालिका हैं जिनका चुनाव आपके अनुसार, जैसा आप कह रहे हैं कि जुलाई-अगस्त में चुनाव होंगे, उस समय नहीं कराये जायेंगे ? ऐसी कौन कौनसी नगरपालिका हैं ?

श्री नारायणसिंह : केवल 18 नगरपालिकायें हैं जिनके अन्दर ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाम बतायें।

श्री नारायणसिंह : जिनके अन्दर सीमा बढ़ जाने के कारण या कलेक्टर की वार्ड वगैरह बांटने की रिपोर्ट नहीं आने के कारण अथवा हाई कोर्ट से स्थगन होने के कारण रोका गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : नाम बता दीजिये, और यह भी बता दीजिये कि किन-किन कारणों से नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नाम बता दीजिये।

श्री नारायणसिंह : जालोर, सवाई माधोपुर, टोडा भीम, डीडवाना, चित्तौड़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जोधपुर, सांभर, बांदीकुई, नीम का थाना, जहाजपुर, सादुलशहर, खैरथल, पाली, आबू रोड, नवलगढ़ और उदयपुर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है हम जानकारी चाहेंगे कि जुलाई और अगस्त के अन्दर चुनाव कराने का संकेत मिला है तो क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करूं कि जुलाई-अगस्त के अन्दर करा दिये जावेंगे और उसके अन्दर यह भी निवेदन कर सकता हूं कि जो थोड़ी बहुत 18 के अन्दर अपूर्णता रह गयी होगी तो वह भी पूर्ण करा दी जावेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय जुलाई-अगस्त की घोषणा कर रहे हैं। क्या निश्चित तारीख तय नहीं हुई है कि अमुक तारीख तक चुनाव करा ही दिये जावेंगे ? क्या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया है ?

श्री नारायणसिंह : जुलाई-अगस्त में निर्णय कर लेंगे कि कौनसी तारीख को करवाना है। शीघ्रातिशीघ्र जुलाई में करा दिये जायं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार की कौनसी दिक्कत है कि जनवरी, 67 से लेकर मई, 1970 तक तीन साल से अधिक हो गये चुनाव बकाया चले आ रहे हैं ? सरकार स्पेसिफिकली यह घोषणा नहीं कर सकती है कि अमुक तारीख तक चुनाव करा ही दिये जावेंगे ?

श्री नारायणसिंह : निश्चित रूप से तारीख बता दूं और कभी उसमें रह जाय

(श्री नारायणसिंह)
तो उस दोष से मैं दूर रहना चाहता हूं । कहीं वार्ड नहीं बने हैं तो बना कर उनको भी उसमें सम्मिलित करने का प्रश्न है । इसलिये जुलाई अथवा अगस्त में निश्चित रूप से चुनाव करा दिये जावेंगे ।

श्री नत्थीसिंह : पिछली परम्पराओं के अनुसार जुलाई और अगस्त में चुनाव कराने की कह रहे हैं उससे मुकरेंगे तो नहीं और फिर कहीं किन्हीं परिस्थितियों के अनुसार पोस्टपोन करेंगे ?

श्री नारायणसिंह : किन परम्पराओं के अनुसार ?

श्री नत्थीसिंह : घोषणा करके उनसे मुकरने की पिछली परम्पराओं के अनुसार तो मुकरेंगे नहीं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : निश्चित घोषणा कर दें ।

श्री नारायणसिंह : जुलाई-अगस्त में पूरा खयाल है कि चुनाव करा दिये जावेंगे ।

पहले स्थगन हुआ है तो उसके कारण मैं सदन में निवेदन कर चुका हूं । अकाल और दूसरे कारण कुछ न कुछ दुर्भाग्य से होते रहे उसके कारण पोस्टपोन करने पड़े ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को पिन डाउन करने के लिये और स्पष्ट नीति घोषित कराने के लिये यदि कोई माध्यम है तो वह विधान सभा ही है । विधान सभा में अप्रेल, 1967 से जनवरी, 1970 तक पांच बार घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव करा रहे हैं लेकिन सरकार ने नहीं कराये और आज भी घोषणा कर रहे हैं कि प्रयास करेंगे तो क्या आप यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते अमुक तारीख तक चुनाव करा दिये जावेंगे ?

श्री नारायणसिंह : अगस्त के बाद माननीय सदस्य मुझे कह सकते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यदि अगस्त तक चुनाव नहीं होंगे तो क्या मंत्री महोदय मन्त्रि-मन्डल से त्याग-पत्र दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न नहीं उठता त्याग-पत्र देने का ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या माननीय मंत्री महोदय सदन में निश्चित रूप से आश्वासन दे सकते हैं कि अगस्त के बाद चुनाव पोस्टपोन नहीं किये जावेंगे और अगस्त के अन्त तक चुनाव सम्पन्न करा दिये जावेंगे ?

श्री नारायणसिंह : अगस्त के बाद सम्पन्न कराने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : सदन में पिछली बार मंत्री महोदय से निवेदन किया था और आग्रह किया था कि सही तारीख बताइये और नहीं बतायी तो मैंने उस वक्त भी कहा था, और आज फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार पहले वह धरी की धरी रह गयी उसी प्रकार आगे भी रह जायगी मई, जून, जुलाई, अगस्त निश्चित बता दीजिये कि जुलाई में या अगस्त तक करा दिये जावेंगे ।

श्री नारायणसिंह : अगस्त के अन्त तक, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव हो जावेंगे ।

Page No 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : यह तय नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न सरकार से करिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नों के उत्तर

सैनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलवर का संचालन

10. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर में सैनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन हो रहा है जिसको राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है ? क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनने से पूर्व यह विद्यालय प्रारम्भ में भूतपूर्व अलवर राज्य में सन् 1940 से प्राथमिक शाला के रूप में प्रारम्भ हुआ था और क्रमवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के रूप में अपग्रेड हुआ था ? यदि हां, तो इस संस्था को कब कब और कितना कितना अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर वर्षवार रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस शिक्षण संस्था का संचालन सन् 1940 में सैनी युवक संघ द्वारा प्रारम्भ किया गया था यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संस्था को भूतपूर्व अलवर राज्य ने अपने पत्र संख्या 5607/ डी. एफ., दिनांक 13-3-40 द्वारा मान्यता प्रदान की थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस शिक्षण संस्था का संचालन इस समय सैनी शिक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? सैनी शिक्षा समिति के विधान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि इस सैनी शिक्षा समिति के चुनाव हर वर्ष नहीं होते ? कृपया सन् 1965 से अब तक के चुनावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इस शिक्षा समिति के विधान के अनुसार सैनी युवक संघ के कुछ पदाधिकारी पदेन शिक्षा समिति के सदस्य होते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सन् 1965 से अब तक क्या इस समिति में सैनी युवक संघ के पदाधिकारियों को सदस्य रखा गया है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री भवानीसिंह सैनी इस सैनी शिक्षा समिति के स्थायी आजीवन मंत्री, मैनेजर तथा प्रधानाध्यापक सैनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं ? यदि हां, तो क्या एक ही व्यक्ति का इन तीनों पदों पर होना राजस्थान सहायक अनुदान नियम, सन् 1963 के विरुद्ध नहीं है ?

(7) क्या यह सही है कि जिला सैनी युवक संघ, अलवर की ओर से एक प्रतिवेदन दिनांक 10-8-1969 को तथा उसका रिमाइन्डर शिक्षा मंत्री जी को दिया था जिसमें सैनी शिक्षा समिति में अनियमितता, अवैधानिकता एवं आर्थिक रूप से धन के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दुरुपयोग के आरोप लगाए गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या इस सैनो शिक्षा समिति के हिसाब किताब का कोई ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? कृपया 1965-70 की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त विद्यालय प्रारम्भ में भूतपूर्व अलवर राज्य में सन् 1935 से प्राथमिक शाला के रूप में प्रारम्भ हुआ, और क्रमवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ था। इस संस्थान को दी गई अनुदान की सूची वर्षवार संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है, सैनी शिक्षा समिति, अलवर द्वारा 16-6-52 से संचालन किया जा रहा है। समिति के विधान की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है। सूची संलग्न है।

(5) यह सही नहीं है।

(6) श्री भवानीसिंह सैनी, सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर के प्रधानाध्यापक हैं तथा शिक्षा संहिता के अनुसार विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही प्रबन्ध समिति का सचिव होता है लेकिन ये आजीवन मंत्री नहीं हैं बल्कि जब तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यवहन करेंगे तब तक मन्त्री रहेंगे। संस्था के विधान के अनुसार ये मैनेजर हैं। श्री सैनी 16-6-52 से मिडिल स्कूल स्तर के प्रधानाध्यापक रहे और 1-7-60 से सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर के प्रधानाध्यापक हैं।

(7) जी हां। यह सही है कि जांच चल रही है।

(8) जी हां। ऑडिट महालेखाकार कार्यालय द्वारा होता है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(सूची व रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान नहर पर काम करने वाले मजदूर

14. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर पर इस वक्त कितने मजदूर काम कर रहे हैं और उन पर कुल कितना रुपया प्रति दिन खर्च हो रहा है।

(2) जो काम नहर पर हो रहा है उसकी देखभाल कौन कर रहा है व फर्जी मस्टर रोल बनाने से रोकने का क्या तरीका निकाला है ?

(3) इन मजदूरों के काम की देखभाल करने के लिये कितने सरकारी मुलाजिमान लगे हुये हैं व उन पर कितना खर्चा प्रति दिन होता है ?

(राजवी श्री रूपसिंह)

(4) राजस्थान में किस किस जिले में कितने कितने राहत कार्य खोले गये हैं व उनमें से प्रत्येक पर कितना कितना रुपया मन्जूर हुआ है व प्रति दिन कितना कितना रुपया खर्च हो रहा है ?

(5) क्या राजस्थान नहर पर काम करने वालों के काम की देखरेख करने के लिये कोई मन्त्री भी वहां रहते हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना पर इस समय 39,180 श्रमिक प्रति दिन कार्य कर रहे हैं और इन पर प्रति दिन लगभग 62,000 रु० व्यय किया जा रहा है।

(2) जो काम नहर पर हो रहा है उसकी देखरेख मौके पर अधिदर्शक व अभियन्ता करते हैं एवं समय पर वरिष्ठ अभियन्ता भी उस काम को चैक करते रहते हैं। नहर परियोजना पर लगे हुए मजदूरों को भुगतान उनके द्वारा की गई खुदाई की पैमाइश के वास्तविक कार्य को देखते हुए किया जाता है। लेकिन फर्जी मस्टर रोल बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इन मजदूरों के काम की देखभाल करने के लिए प्रति 1500 मजदूरों के कैम्प पर दो ओवरसियर, दो वर्क चार्ज सुपरवाईजर, दो मिस्त्री व एक दर्जन मेट आदि लगे हुए हैं। जिन पर प्रति दिन का व्यय लगभग 100) रु० प्रति कैम्प पड़ता है।

(4) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एमरजेन्सी के समय सेना में भर्ती होने वाले छात्रों को दी गई सुविधा

1. श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1963 में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन छात्रों के हितार्थ जो एमरजेन्सी के समय सेना में भर्ती हुए थे, निम्नलिखित सुविधायें प्रकाशित की थी:—

(क) एमरजेन्सी के समय सेना में जाने वाला छात्र यदि बी. ए. (फाइनल) या एम. ए. (फाइनल) में पढ़ाई छोड़ कर गया हो तो उसको डिग्री दी जावेगी।

(ख) एमरजेन्सी की समाप्ति के बाद यदि छात्र वापिस आकर पढ़ाई पुन: आरम्भ करे तो उसको 100 रु. प्रति माह स्कालरशिप दी जावेगी व शुल्क फीस माफ होगी।

(ग) यदि हाँ, तो उक्त दो गई सुविधाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

एमरजेन्सी के समय सेना में भर्ती होने वाले छात्रों को जो सुविधा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है वे अध्यादेश 198- ए. में अधोलिखित हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नागौर जिले के अध्यापकों की पदोन्नतियां

2. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में जुलाई, 1967 से लेकर अब तक किन किन तृतीय श्रेणी के अध्यापकों ने बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उनका तृतीय श्रेणी में सीनियोरिटी लिस्ट में क्या क्या नम्बर थे? सूची साल वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अध्यापकों में से किन किन को कब द्वितीय ग्रेड में प्रोमोशन किस आधार पर किया गया तथा प्रोमोशन किये गये अध्यापकों का तृतीय श्रेणी की सूची में कौन कौन सा नम्बर था? सालवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको अभी तक द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत नहीं किया गया है। तथा उनके वरिष्ठता सूची में कौन कौन से नम्बर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

उत्तर

(1) जिला नागौर में जुलाई, 1967 से लेकर आज तक तृतीय श्रेणी के जिन अध्यापकों ने बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी साल वाइज सूची संख्या एक वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठता क्रमांक सहित संलग्न है।

(2) पदोन्नत वरिष्ठता क्रमांक 72-127-141-262-150-74-89-111-122-130-152-176-188-214-217-233-81-135-143-148-198-219-265 और 290 इस जिले से इन तीन वर्षों में पदोन्नत किये जा चुके हैं।

सूची संख्या दो संलग्न है।

(3) उत्तर के भाग (1) में दर्शाई गई सूची में से भाग नं० (2) में दिये गये वरिष्ठता क्रमांकों के अतिरिक्त अन्य अध्यापकों को अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है।

(4) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को जोधपुर-बीकानेर मण्डल की तृतीय श्रेणी की वरिष्ठता सूची तैयार कर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

छात्रों को अमान्य किताबें

3. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि अध्यापक व बुकसेलर मिल कर ऐसी कई अमान्य किताबें छात्रों को खरीदवा देते हैं जो सरकार की मान्य लिस्टों में नहीं होती हैं पर उन पर कमीशन ज्यादा होता है? यदि हां, तो क्या सरकार यह आदेश निकालने का विचार रखती है कि सरकार द्वारा मान्य पुस्तकों के अलावा कोई दूसरी किताबों का स्कूल में प्रवेश नहीं होगा?

Page No 31

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह भी सच है कि सन् 69 में कक्षा चार को राजस्थान एटलस नाम की गलत किताबें पढ़ाई गई थी जिसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मान्यता दी थी ? यदि हाँ, तो किस अधिकारी ने और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस किताब की प्रतियां निरीक्षक, शिक्षा, टोंक ने बुकसेलरों व लड़कों व स्कूलों से प्राप्त की है।

उत्तर

(1) यह सही है। समय समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं।

(2) यह सच नहीं है कि सन् 69 में कक्षा चार की राजस्थान एटलस नाम की गलत किताब पढ़ाई गई है। विद्यालय निरीक्षक, टोंक ने निवाई के बुकसेलरों व कुछ लड़कों से राजस्थान एटलस की कुछ प्रतियाँ मंगवाई थीं।

जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर द्वारा कुर्सी, तिजोरी आदि की खरीद

4. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर के बैठने के लिए एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी है जिसकी कीमत 150) से कम नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने एक तिजोरी (डबल लाक) कुछ दिन पूर्व खरीदी थी जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि परिवार नियोजन विभाग, अलवर में गाड़ियों के पैट्रोल, आयल, मरम्मत का कोई व्यक्तिगत हिसाब नहीं रखा जाता तथा पैट्रोल आदि प्राईवेट कम्पनियों से खरीदा जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, 1969 में परिवार नियोजन शल्य चिकित्सा कैंप के लिए स्टोरकीपर को 500) रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी ने 10-12-69 को भ्रमण के शल्य चिकित्सा के लगाये गये कैम्प के डा. एलान द्वारा एक हजार रुपये मंगवाने पर इन्कार कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर ने बैठने के लिए एक घूमने वाली कुर्सी (Revolving) राज्य सरकार से सम्बन्धित संस्थान फरनीचर मेकिंग सेन्टर, किशनपोल बाजार, जयपुर से खरीदी है जिस का मूल्य 165) रु० है (कीमत 150)+ सेल टैक्स 15))

(2) वर्तमान अधिकारी ने कोई तिजोरी नहीं खरीदी है बल्कि भूतपूर्व जिला परिवार नियोजन अधिकारी, श्री आर. एन. शुक्ला, ने एक डबल लॉक तिजोरी खरीदी थी जिसकी कीमत 700) रुपये है (मूल्य 625/- बिक्री कर 75/-) चूंकि इस तिजोरी की कीमत राज्य सरकार द्वारा अप्रूवड रेट कॉन्ट्रेक्ट से 265/- रुपये ज्यादा है इसलिए उप शासन सचिव ने भुगतान न करने पत्र दिनांक 24-7-69 द्वारा आदेश दिये थे

Page No 32

(परिवार नियोजन मंत्री)

इस कारण भुगतान नहीं किया गया और जांच पड़ताल हेतु केस राज्य सरकार को भिजवा दिया गया है।

(3) जी नहीं। परिवार नियोजन विभाग, अलवर में गाड़ियों के पैट्रोल, ऑयल मरम्मत का हिसाब व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है तथा पैट्रोल वर्मा शैल डीलर्स मैसर्स गोपाल मोटर्स से खरीदा जाता है। चूंकि उक्त फर्म की पैट्रोल रेट 1.19 पैसा प्रति लीटर है तथा इन्डियन ऑइल कम्पनी की रेट रु. 1.20 पैसा प्रति लीटर है। अतः एक पैसा प्रति लीटर कीमत कम होने के कारण मैसर्स गोपाल मोटर्स के यहां से खरीदा जाता है और इन्डियन ऑइल कम्पनी से नहीं।

(4) यह असत्य है कि माह दिसम्बर, 69 में परिवार नियोजन शल्य चिकित्सा कैम्प के लिए स्टोरकीपर को 500) रु. अग्रिम धनराशि दी गई थी।

(5) जी हां। दिनांक 10-12-69 को भ्रमण के शल्य चिकित्सा के डॉ० एल्हन ने 1000 रुपये की मांग की थी लेकिन चूंकि जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर उस दिन अवकाश पर थे इसलिए रुपया उस दिन नहीं भेजा गया। बाद में जब जिला परिवार नियोजन अधिकारी अवकाश से लौटे और स्वयं कठूमर शिविर में राशि का प्रबन्ध करने गये और डॉ. एल्हन को उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि 600) उन्हें दिनांक 13-12-69 को दे दी गई।

मेल नर्स ग्रेड II की वरिष्ठता सूची

5. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के चिकित्सा विभाग द्वारा क्या मेल नर्स ग्रेड II की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करदी गई है? यदि हां, तो कब? वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मेल नर्स ग्रेड II की वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर किस का नाम है और वह कहां का है और उसकी विभाग में नियुक्ति की तारीख कौन सी है?

(3) उक्त वरिष्ठता सूची से में किस-किस को I ग्रेड में लिया गया है और किस आधार पर?

(4) फर्स्ट ग्रेड मेल नर्सों की वरिष्ठता सूचि की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मेल नर्स श्रेणी द्वितीय की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची 4-3-70 को प्रकाशित की गई है। सूची सलग्न है।

(2) श्री किशनलाल भार्गव का नाम है। वह अटरू जिला कोटा में कार्यरत है। नियुक्ति की तिथि 30-5-60 है।

(3) श्री राधेलाल व श्री किशन गुप्ता को वरिष्ठता के आधार पर प्रथम श्रेणी में पदोन्नति की है एवं श्री शेरसिंह को राज्य सरकार के आदेशानुसार एडहाक बेसिस के आधार पर पदोन्नति की है।

(चिकित्सा मंत्री)

(4) प्रथम ग्रेड मेल नर्स की वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जेतपुरा बांध तथा सूरवाल बांध को बाढ़ से क्षति

6. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968 में बाढ़ के कारण तहसील खण्डार के बांध जेतपुरा एवं तहसील सवाईमाधोपुर के बांध सूरवाल को भारी क्षति पहुंची और विभाग की सतर्कता से यह बांध बमुश्किल बच पाये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों बांधों की जो क्षति पहुंची उसे पूरा करने एवं भविष्य में इन बांधों की पुख्तगी के लिए सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से इन बांधों पर कार्य कराने के व्यय के अनुमान स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए है ? यदि नहीं, तो इन बांधों के टूटने पर होने वाली क्षति की जिम्मेदारी किस पर होगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन बांधों को पुनः सुधार कराने की व्यय की स्वीकृति क्यों नहीं दी? और अब कब इनका काम पूरा करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जेतपुरा बांध के वेस्ट वियर पर भारी क्षति हुई थी। सूरवाल बांध पर अधिक क्षति नहीं हुई थी।

(2) जी हां, जेतपुरा बांध के वेस्ट-वियर पर आवश्यक कार्य कराने के तखमीने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सूरवाल बांध पर मरम्मत का आवश्यक कार्य सम्पन्न हो चुका है। जेतपुरा व सूरवाल बांध के क्षतिग्रस्त भागों की आवश्यक मरम्मत हेतु वर्ष 1968-69 में क्रमशः रु. 1.50 लाख व रु. 1.46 लाख की धनराशि प्रदान की गई थी। जेतपुरा बांध के लिए वर्ष 70-71 में 3 लाख रुपये का प्रावधान है। आवश्यक सुरक्षा कार्य इसी वर्ष करवा लिए जावेंगे।

ओवर सियर के विरुद्ध शिकायतें

7. श्री जयनारायण खामोदिया (निवाई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि सिंचाई विभाग के ओवरसियर श्री रामकुमार हैडक्वार्टर, पीपल ने दिनांक 15-8-1969 को श्री राधेश्याम रेगर निवाई जो अकाल के कार्य पर माशी बांध पर मेट का कार्य करता था को पीपल बुला कर मकान में बन्द करके मारा व पांच दिन तक मकान में बन्द रखा ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि राधेश्याम ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की व मेरे द्वारा भी शिकायत पत्र सिंचाई मंत्री को दिया गया ? यदि हां, तो उस ओवरसियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

Page No 34

(सिंचाई मंत्री)

(2) शिकायत सत्य न होने के कारण अधिदर्शक के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

कारों, बसों, ट्रकों व ट्रैक्टरों के मालिकों में कर की बकाया

8. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में बसों, कारों, ट्रकों, व ट्रैक्टरों के मालिकों की ओर राज्य सरकार के टेक्सों की गत 5 वर्षों की कितनी रकम बकाया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

शराबबन्दी के संबंध में सरकार की नीति

9. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने शराब-बन्दी के सम्बन्ध में जो घोषणाएं की थीं उनको कार्यरूप में लाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने जाने थे और क्या क्या कदम उठाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि शराब बेचने की प्रणाली में भी शराब-बन्दी की घोषणा को कार्यरूप में लाने के लिए कोई परिवर्तन किया गया था ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त घोषणाओं के बाद, भी सरकार ने उक्त निर्णय में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

(4) मौजूदा समय में शराब बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(5) अब तक शराब बेचने की प्रक्रिया में जो रद्दोबदल किया गया है वह किन किन कारणों से किया गया ?

(6) शराबबन्दी के सम्बन्ध में इस समय सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 1-4-72 से सारे राजस्थान में एक फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार पूर्ण नशाबन्दी लागू की जाने की घोषणा की थी । फेज्ड प्रोग्राम यह था कि वर्ष 1969-70 में सप्ताह में 2 दिन, 1970-71 में सप्ताह में चार दिन व 1971-72 में सप्ताह में छे दिन शराब की सारी दुकाने बन्द रक्खी जावे । इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए वर्ष 1969-70 में राज्य की सारी शराब की दुकानें सप्ताह में दो दिन (सोमवार व शुक्रवार) को बन्द रखा गई । इस आशय के जो आदेश प्रसारित किये गये उनका प्रति 'क' संलग्न है ।

(2) शराबबन्दी की घोषणा के कारण शराब बेचने की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

(3) जी हां । 1-4-71 से शनैः शनैः शुष्क दिवसों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर धीरे धीरे नशाबन्दी के क्षेत्र को बढ़ाने का

(आबकारी मंत्री)

निर्णय लिया गया है तथा इस निर्णय के अनुरूप पूर्व में सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिले की तहसील नाडोल, खेरवाड़ा तथा कोटड़ा जहां नशाबन्दी 1-4-68 से लागू की गई थी के अलावा 1-4-70 से राजस्थान के तीन और जिलों जैसलमेर, जालोर व बाड़मेर तथा उदयपुर की तीन तहसीलें गोगुन्दा, धरियावाद व सराड़ा में भी पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई है।

(4) वर्ष 1970-71 के लिये देशी शराब की बिक्री के लिये जो नीति संबंधी आदेश प्रसारित किये गये हैं उनकी प्रति 'ख' संलग्न है।

(5) सन् 1962-63 से पूर्व की प्रणाली के समय अवैध शराब बहुत प्रचलित थी इसे रोकने के प्रयास स्वरूप सन् 1962-63 में गारन्टी प्रथा लागू की गई परन्तु इस प्रणाली से शराब की बिक्री को बढ़ावा मिलने के कारण 1-4-68 से गारन्टी प्रथा को त्याग दिया गया तथा 1968-69 के लिये दुकानें वर्तमान लाइसेन्सधारियों को ही राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार द्वारा ऑफर की जाने सम्बन्धी नीति अपनाई गई। 1970-71 के लिये इस पर पुनः विचार किया जाकर निर्णय लिया गया कि पहले दुकानों को नीलाम किया जावे और जो दुकानें नीलामी से न उठें उन्हें एक निर्धारित राशि तक नेगोसियेशन्स द्वारा उठाया जावे।

(6) राज्य सरकार ने अपनी पूर्व निर्धारित शराब बन्दी की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। परिवर्तन केवल इतना ही किया है कि पूर्व में शनैः शनैः शुष्क दिवसों की संख्या बढ़ा कर पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के स्थान पर अब शनैः शनैः शराब बन्दी क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ओलावृष्टि से फसलों को क्षति

10. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गई शरद्-ऋतु में राजस्थान के कई जिलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई ? यदि हां, तो इससे किस-किस जिले के कितने-कितने गांवों में फसल को कितनी-कितनी हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि से प्रभावित सब क्षेत्रों के जिलाधीशों ने राज्य सरकार को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले की इस रिपोर्ट के अनुसार किस-किस तहसील के किस-किस गांव में कितनी-कितनी हानि होना प्रकट किया गया है ? तहसीलवाइज प्रभावित गावों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस ओलावृष्टि से कई गांवों के काश्तकारों की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन प्रभावित लोगों को अब तक क्या राहत दी है ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रभावित काश्तकारों को बिना सूद तकाबी ऋण दिए जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधीशों ने अब तक किस-किस तहसील में किस-किस गांव में कितनी-कितनी तकाबी वितरित की है? और यदि नहीं, तो क्यों? वितरित तकाबी की राशि की गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को तकाबी का जो माप घोषित किया था उसके अनुसार जिलाधीशों को अभिष्ट राशि एलॉट नहीं की? यदि हां, तो जिलेवार समुचित राशि काश्तकारों को शीघ्र तकाबी मिल सके इस हेतु कब तक आवंटन करदी जावेगी।

(6) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिला की तहसील सवाई माधोपुर के प्रभावित काश्तकारों ने चारे के इन्तजाम की मांग जिलाधीश को की है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिये क्या निर्णय लिया है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

झुंझुनूं नगर में रसद अधिकारी द्वारा राशन की चीनी पर छापे

11. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं नगर में मार्च, 1970 में जिला रसद अधिकारी (झुंझुनूं जिला) ने राशन की चीनी के लिये कुछ स्थानों पर छापे मारे? यदि हां, तो किन-किन लोगों के यहां छापे मारे और कितनी बोरी बरामद की?

(2) क्या इस मामले में कोई केस दर्ज किया गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से केस दर्ज नहीं किया गया?

उत्तर

(1) जी हां, निम्नलिखित दो रिटेलरों के यहां छापे मारे गये थे जिनके यहां से 34 बोरी चीनी बरामद की गई थी।

(1) मैसर्स मूलचन्द शुगर रिटेलर कैंकराना

(2) „ „ बंवरा (तहसील उदयपुरवाटी)

(2) इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। विभागीय कार्यवाही कर रिटेलर की समस्त सिक्युरिटी की राशि जब्त की गई है।

तहसील सोजत के अकाल राहत कार्यों में अनियमिततायें

12. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री ने दिनांक 21-2-70 को एक ज्ञापन जिलाधीश, पाली को सोजत तहसील में अकाल राहत कार्यों में स्थानीय तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितता आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
किया था ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि इस ज्ञापन में तहसीलदार के सम्बंध में यह शिकायत की थी कि वे 20 रु० या उससे अधिक चुकारे पर 10 पैसा प्रति मजदूर काटते थे ? क्या यह भी सही है कि उक्त 10 पैसे के रसीदी टिकिट न लगा कर वह पैसा तहसीलदार ने अलग रख छोड़ा था जो कि शिकायत करने पर जमा कराये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ज्ञापन में एक शिकायत यह है कि ग्राम बुटाला, तहसील सोजत के तालाब का काम 15-5-69 से 30-5-69 तक चला जिसमें मांगीलाल मालवीय और हनुमानसिंह राजपूत, ग्राम बुटाला मेट थे और उन दोनों गांवों के मजदूरों की मजदूरी नहीं चुकाई गई ? क्या इस शिकायत की जांच कराई गई ? इसका क्या नतीजा निकला ?

(4) क्या इस ज्ञापन में दी गई सभी शिकायतों की जांच करली गई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये शिक्षा उप-कर

13. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये शिक्षा उप-कर की राशि को खर्च करने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों द्वारा वसूल किये गये शिक्षा कर की राशि को निर्धारित प्रक्रिया के अलावा दूसरे कार्यों में भी खर्च कर दिया जाता है ? यदि हां, तो जिला नागौर की पंचायत समितियों द्वारा अब तक कितनी-कितनी राशि उक्त कर की वसूल की गई तथा किस-किस कार्य में खर्च करनी थी और किस-किस में खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस सम्बन्ध में नागौर जिले की पंचायत समितियों द्वारा कोई अनियमिततायें बरती गई हों तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) कोई नियम बनाये हुए नहीं हैं। पंचायत समिति की निजी आय के उपयोग के बारे में जो निर्देश जारी किये हुए हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) शिक्षा उप-कर से हुई आय को शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर खर्च किया जाता है। जिला नागौर की पंचायत समितियों के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण

14. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में नियुक्त अध्यापकों का स्थानान्तरण समिति के विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के विकास अधिकारी ने चालू वर्ष से लेकर गत चार वर्षों में किन-किन अध्यापकों का स्थानान्तरण कहां से कहां, कब-कब कितने समय तक उक्त स्थान पर कार्य करने के बाद किया ? वर्ष वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त विकास अधिकारी ने दो वर्ष से कम समय तक एक स्थान पर कार्य करने वाले अध्यापकों को भी स्थानान्तरण किया है ? यदि हां, तो किन-किन का कब-कब और इस प्रकार के स्थानान्तरण की सक्षम अधिकारियों से कब-कब स्वीकृति ली गई ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किया गया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का अधिकार विकास अधिकारी को है। पंचायत समिति, लाडनूं में अध्यापकों के पिछले चार वर्षों में हुए स्थानान्तरण के बारे में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख कर दिया है।

(3) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

प्रमुख, प्रधान, सरपंच व पंचों के निलंबन आदि के मामले

15. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने प्रमुख, प्रधान, सरपंच व पंचों को सरकार ने कब व किस जुर्म मे मुअत्तिल कर रखा है ? कारण सहित तालिका को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कितनों पर विभाग, पुलिस व अदालतों में केस चल रहे हैं ? अलग अलग पदवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुल 48 निलंबित हैं। स्थिति निम्न प्रकार है:-

प्रमुख 0, प्रधान 1, उपप्रधान 1, सदस्य 1, सरपंच 44, उप-सरपंच 1।

पंचों का निलम्बन राज्य सरकार से नहीं होता है। इसके लिए जिलाधीश ही

(पंचायत मंत्री)

अधिकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) 28 मामले विभागीय जांच में, 2 मामले पुलिस में एवं 19 मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इनमें से पुलिस में एक मामला ऐसा है जिसकी विभागीय जाँच भी चल रही है। सदन में रखी सूची के कालम क्रमांक 13 से 15 पर विवरण अंकित कर दिया गया है।)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।

पंचायत विभाग द्वारा भारत सेवक समाज जयपुर को ऋण

16. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग ने भारत सेवक समाज, जयपुर को सन् 1961 के बाद कोई ऋण दिया है? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य के लिए? ऋण लेने वाले के साथ किये गये इकरारनामों की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऋण लेने वालों ने इकरारनामे की शर्तों का कहां तक पालन किया है?

(3) उक्त ऋण का उपयोग और वापिस भुगतान के सम्बन्ध में कोई अनियमितताएं हुई हों, तो उनका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। मार्च, 1962 व मार्च, 1963 में क्रमशः 100,000 व 2,00,000 इस प्रकार कुल 3,00,000 का ऋण निर्माण कार्यों के लिए दिया गया। इकरारनामों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

(3) संस्था द्वारा लेखों की जांच न करायी जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋण के उपयोग में क्या अनियमितताएं हुई? ऋण का वापिस भुगतान शर्तों के अनुसार नहीं किया गया है।

(इकरारनामों की प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई हैं।)

खाद्य विभाग द्वारा कोटा देने की सिफारिशें

17. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले के भीनमाल म्यूनिसिपल एरिया को इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया है तथा वहां के कुछ व्यक्तियों को खाद्य विभाग द्वारा इण्डस्ट्री लगाने हेतु कोटा देने की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो सिफारिश किन-किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में की गई है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास इण्डस्ट्री

(श्री गंगासहाय)

न होते हुए भी उनके सम्बन्ध में सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जिन्होंने इण्डस्ट्री के नाम पर जो प्लान पेश किया है उसकी कितनी कितनी लागत लगी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जालौर जिले के भीनमाल म्युनिसिपल एरिया में केवल खसरा नं. 2233 में से 100 बीघा 7 बिस्वा भूमि को राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। जहां तक किसी व्यक्ति को कोटा देने हेतु खाद्य विभाग द्वारा सिफारिश करने का प्रश्न है, खाद्य विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजगढ़ तहसील के अकाल राहत कार्यों में गबन

18. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल सहायता कार्यों में राजगढ़ तहसील, जिला चूरू में फर्जी मस्टर रॉल बना कर बहुत बड़ी मात्रा में धन का गबन किया गया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और जिलाधीश को अनेक लिखित शिकायतें की गई हैं ?

(2) इस तहसील के प्रत्येक मस्टर-रॉल में बड़ी संख्या में फर्जी नाम हैं और काफी बड़ी संख्या में पूर्णतः मस्टर रॉल फर्जी हैं, उनमें अंकित नाम के व्यक्ति कभी उस काम पर नहीं आये या ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं है या नाम ही कल्पित हैं। क्या सरकार इन सब मस्टर रॉल की छानबीन किसी उच्च अधिकारी से जनता के सामने करवाने को तैयार है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष अकाल सहायता कार्यों पर तहसील राजगढ़ में फर्जी मस्टर रॉल बना कर धन के गबन के सम्बन्ध में कुछ लिखित शिकायतें राज्य सरकार और जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं।

(2) इनमें से जिन शिकायतों में फर्जी नाम होने के स्पष्ट आरोप थे उनके मामले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मुकदमें दायर करवा दिये गये हैं। जिनमें आरोप स्पष्ट नहीं थे उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं था। राज्य सरकार नियमानुसार कानूनी कार्यवाही सदैव करने को तत्पर है। ऐसी स्थिति में सभी मस्टर रॉल की छानबीन करवाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

सूअर मारने पर जुर्माना

19. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हरिसिंह पुत्र प्रभुसिंह नट, निवासी ग्राम साहोड़ी तहसील अलवर से रेन्जर सिरस्का ने दिनांक 27-12-69 को 300) रु० जुर्माना और 8 रु. पेट्रोल के कुल 308 रु. सूअर मारने के आरोप में वसूल किये हैं ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि हरिसिंह नट ने एक शिकायत वन विभाग के उच्च अधिकारियों के पास की है कि उसने उक्त सूअर करना का वास के अपने काश्त के खेत में फसल खराब करने के कारण मारा था कि उसको वन विभाग के अधिकारी, द्वारा 26-12-69 को गिरफ्तार करके बुरी तरह पीटा गया और सूअर को नीलाम नहीं करके रेंजर ने स्वयं ही उसका लाभ उठाया है ?

(3) क्या यह सही है कि हरिसिंह नट ने उक्त रेंजर के जुर्माने के हुक्म की नकल अपील करने के लिए मांगी थी लेकिन रेंजर द्वारा नकल नहीं दी गई ?

(4) क्या विभाग द्वारा इस मामले की कोई जांच कराई गई है ? अगर हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । केवल 300) रु० मुआवजा वसूल किया गया था जिसकी रसीद श्री हरीसिंह नट को दे दी गई थी ।

(2) श्री हरिसिंह नट की ओर से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी—वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पीटने व सूअर का लाभ उठाने की बात अब तक की जांच से सत्य नहीं पाई गई ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं, अभी तक कि जांच से श्री हरिसिंह नट का हथगोला डाल कर सेन्चुरी क्षेत्र में सूअर मारना, सेन्चुरी स्टाफ द्वारा श्री हरिसिंह का मृत सूअर के साथ पकड़ा जाना एव सरिस्का वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा वन अपराध को श्री हरिसिंह की सहमति से 300) रु. मुआवजा जमा कराने पर कम्पाउन्ड करना तो प्रकट होता है किन्तु वन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा पीटना अथवा सूअर को स्वयं ही हड़प जाना प्रकट नहीं होता । आगे जांच जारी है ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजा मानसिंह (वि. सं. 110) ने दिनांक 11-5-70 से दिनांक 17-5-70 तक सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है । क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें अजमेर की अमलगेमेटेड बिजली कम्पनी पर सरकार का कब्जा हो उसके पूर्व कम्पनी के इन्जीनियरों के द्वारा उसकी कीमती मशीनरी एवं बहुमूल्य चीजों की हेर फेर किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, से

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त हुई है जिसमे उन्होंने प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष द्वारा राज्य मंत्रि-मंडल के एक सदस्य पर जातीयता आदि के आरोप लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध राजस्थान कैनाल से हरियाणा को पानी देने के सम्बन्ध में 5 मई, 1970 को हरियाणा के सिंचाई मंत्री का समाचार-पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य से है। इसकी सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, ने दी है। ऐसे ही एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा, से भी प्राप्त हुई है।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों में प्रति व्यक्ति दी जा रही 12½ रु. की सहायता व ऋण की राशि को राज्य सरकार द्वारा बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा, से भी प्राप्त हुई है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा, से मिली है जिसमें राजस्थान के एक उपमंत्री द्वारा राज्य की पुलिस की गतिविधियों के विरुद्ध की गई भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति बतलाई गई है। इसी आशय के स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं श्री केदारनाथ, श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा, से भी प्राप्त हुई है।

श्री विजयसिंह, सदस्य विधान सभा, ने नसीराबाद उप-चुनाव के बाद नसीराबाद की पुलिस द्वारा स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बुला कर तंग किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री केदारनाथ व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा, ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें कहा गया है कि राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में कुछ जमींदार एवं जागीरदार दोषी अधिकारियों से मिल कर फसलों को जबरदस्ती उठा लेजा रहे हैं व खेतीहर मजदूरों को अदालत के सामने झूठे हलफनामे पेश करने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, ने जयपुर नगर में पीने के पानी के अभाव तथा नगर में व्याप्त गंदगी को हटाने में नगर परिषद की अकर्मण्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामनारायण चौधरी, श्री शीशराम व श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें दक्षिण पंथी विदेशी राष्ट्र की दिन प्रति दिन घुस पैठ मुल्क में बढ़ती जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्य को यथाशीघ्र सूचित करूंगा।

श्री रामकिशन : दक्षिण पंथी क्या ? सुना नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अब कोई एक्सप्लेनेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा ताकि सही स्थिति बाद में आ जावे। चार इन्जीनियर राजकोट गुजरात से आये हैं अजमेर में।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी की है।

श्री भगवानदास शास्त्री : बहुमूल्य कीमती मशीनरी वहां से लेजा कर राजकोट में लगा रहे हैं। फिर कम्पन्सेशन देने जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप किन नियमों के आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : बेच रहे हैं और लगा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न को मैं कल नहीं लूं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : उनसे पूछा जाता है, नयी लाइन डाली जाती है। रशियन इंजीनियर को अरेस्ट किया जाय। सरकार के साथ धोखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री भगवानदास शास्त्री : लाखों की सम्पत्ति लूटी जा रही है। जनता अमलगेमटेड सप्लाई कम्पनी से परेशान हो रही है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा रही है। आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री : चारों इन्जीनियर बाहर से आकर मशीनरी और बहुमूल्य चीजें लेजा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो चुका है माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें जिस प्रकार के तथ्य अंकित किये हैं और उसकी जो पृष्ठ भूमि है वह बडी गम्भीर है। सदन के सभी माननीय सदस्य उस पर चिन्तित होंगे और राज्य में जो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसके लिये मैं ही नहीं कह रहा हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाथूराम जी मिर्धा ने जो वक्तव्य दिया है और जो 22 अप्रेल का समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों द्वारा जातीयता का जहर फैलाया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बड़ा गम्भीर मसला है, अध्यक्ष महोदय। राज्य मंत्रि-मंडल के दो सीनियर मंत्रियों के सम्बन्ध में संकेत करते हुए इस प्रकार के समाचार छपे हैं कि वे दो जातियों को परस्पर लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, षडयन्त्र कर रहे हैं और राजस्थान की पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस सक्रिय सहयोग उसमें दे रही है। श्री मिर्धा ने इस बात का दुःख प्रकट किया है कि सरकारी मशीनरी का, पुलिस विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा हथियार लेकर जलूस निकाला जा रहा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ! मुझे इस पर व्यवस्था देना अवशेष है। जानकारी के लिये इसको भेजा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं, जातीयता का जहर फैलाया जाता है, जन-जीवन में कम्युनल टेन्शन फैलाया जाय और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मंत्रि-मंडल के बड़े बड़े मंत्री इसमें सहयोग देते हैं, उनकी साजिश है। हथियार बन्द जलूस निकाले जायं, पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार नक्सलपंथियों का बर्ताव है उसी प्रकार की कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की जाय और मंत्रि-मंडल के सदस्यों के प्रति संकेत है कि उनके इशारे से यह है, पुलिस उसमें निष्क्रिय है, जन-जीवन को ग्रस्तव्यस्त करने का आरोप लगाया है। मंत्रिमंडल के सदस्य श्री माथुर पर यह आरोप लगाया गया है कि जातीयता का जहर फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने इसमें जानकारी की है और मुझे व्यवस्था देना अवशेष है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जातीयता का जहर फैलाने के लिये सुखाड़िया मंत्रिमंडल के उपर आक्षेप है और पुलिस पर आक्षेप है कि उसने कोई कार्यवाही नहीं की !

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं कहता कि प्रदेश कांग्रेस प्रेसीडेन्ट के वक्तव्य पर क्या कार्यवाही की और पुलिस के सम्बन्ध में क्या कहना है, क्या एक्शन लिया ? इन सारी घटनाओं के सम्बन्ध में मैं कांग्रेस के इन्टरनल डिस्प्यूट पर नहीं जाना चाहता किन्तु राजस्थान की जहां तक 2½ करोड़ जनता का प्रश्न है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ग्रॉर्डर प्लीज ग्रॉर्डर ! मैंने इसकी जानकारी के लिये भेजा है मैं इस पर जानकारी के बाद व्यवस्था देने वाला हूं आप जो बोल रहे हैं, और राज्य सरकार की ओर से जवाब आ जाय तब ही इस पर व्यवस्था दी जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : दो प्रश्न एक साथ हैं। एक तो पी.सी.सी. के अध्यक्ष ने वक्तव्य निकाला है और दूसरा राज्य सरकार के उपमंत्री महोदय ने वक्तव्य निकाल कर पुलिस कि व्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : सदन को मालूम है। जानकारी प्राप्त की है।

श्री नत्थीसिंह : इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार के खिलाफ सरकार के मंत्रि मंडल के उपमंत्री अनशन करें, चाहे आप उन पर कोई भी एक्शन लें, चाहे आप उनको पार्टी से निकालें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जातीयता और पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में वक्तव्य निकालें। और सुखाड़िया मंत्रिमंडल निर्दोष व्यक्ति को सींकचे में डाले और पुलिस रिश्वत लेती है और दस दस साल के बच्चों के साथ हबशियाना व्यवहार करती है….

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस गवर्नमेन्ट को बयान देना होगा और बयान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज ही प्रस्ताव आया है और इस पर अभी व्यवस्था देना है। भाषण नहीं होगा।

ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष जिनको इतनी इम्पार्टेन्स दी जा रही है, वे कोई बात कभी कह दें। हमने अनेकों बार कहा है कि नाथूराम जी भ्रष्ट हैं, झूंठ बोलते हैं और उनके वक्तव्यों पर इस प्रकार का असर लगाये। यह तो केवल हत्याकाण्ड को ढंकने के लिये वक्तव्य दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न अभी सदन के सामने नहीं है। इस प्रश्न पर अभी व्यवस्था देनी है और आज ही यह प्रश्न आया है। मैं कल इस पर व्यवस्था दूंगा और नियमों के अन्तर्गत जो स्थिति होगी उसको बता सकूंगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप इस पर व्यवस्था देंगे। रूल्स में व्यवस्था है। मैंने निवेदन किया कि कोई मन्त्रि-मंडल का उपमंत्री, कोई एक्शन करता है, पुलिस की ज्यादतियों को लेकर भूख हड़ताल तक कर देता है और वह वक्तव्य समाचार-पत्रों में निकलते हैं कि पुलिस की ज्यादतियां हैं, रिश्वत लेती है। श्री शिवचरणसिंह जी ने भूख हड़ताल की और गम्भीर चार्जेज लगाये। उस पर होम मिनिस्टर को खड़े होकर बयान देना चाहिये। लोगों से रिश्वत ली जाती है, उन पर झूंठे मुकदमे लगाये जाते हैं और यहां तक की दस-दस साल के बच्चों को फंसाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर स्टेटमेंट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं जो व्यवस्था दूंगा उसी पर तो यह प्रश्न पैदा होगा। कल ही मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री नाथूलाल करौल (जमवारामगढ़) : शिवचरण जी ने जो चार्जेज लगाये हैं वे सही हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों का प्रश्न है। ऑर्डर प्लीज!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : नियमों का प्रत्येक सदस्य ध्यान रखता है। उनको पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : संतुष्ट नहीं हैं माननीय सदस्य। दोनों जानकारी मुझे है।

नियमों के अनुसार मैं व्यवस्था दूंगा, और उस पर वाद-विवाद होगा। आज वह स्थिति नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : नियमों के अनुसार स्टेटमेन्ट आना चाहिये। सही स्थिति आनी चाहिये। वरना उस प्रस्ताव का मूल्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आज ही स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैंने उन पर जानकारी प्राप्त की है और जितनी

Page No 46

(श्री अध्यक्ष)

शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है उतनी शीघ्रता मैंने की है और आप मुझे बाध्य करें कि आज ही स्टेटमेन्ट हो जाय यह संभव नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके बारे में जन-जीवन आन्दोलित होता है। अध्यक्ष महोदय, और मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि संसोपा के जुलूस पर पुलिस ने लाठियां चलायीं और लोग घायल हुए। लोक सभा के अध्यक्ष ने रूल्स को तत्काल सस्पेन्ड करके उस पर तत्काल बहस करायी। ये जो आरोप लगाये हैं मंत्रियों के ऊपर वह एक उपमंत्री के द्वारा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ही अध्यक्ष के द्वारा लगाये गये हैं। उपमंत्री जी ने इसके लिये भूख हड़ताल की और तुरन्त मुख्य मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उनसे संपर्क स्थापित किया और उनका अनशन तुड़वाया। जो हालत है वह उनको पता है इसलिये वे इसका उत्तर दें और सदन इस पर चर्चा करे।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर जो भी चर्चा होगी, जो व्यवस्था होगी, वह कल ही दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उसके अन्दर लिखा है सदन की आज की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित की जा कर इस प्रश्न पर विचार किया जाय। इसलिये आप जिस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं कि कल जानकारी करके व्यवस्था दूंगा यह इसमें आता नहीं है। प्रस्ताव में साफ कहा है कि एडजोर्नमेन्ट आफ दी हाउस इसमें आप जानकारी क्या करेंगे? आपने ही यह जानकारी की परम्परा का निर्माण किया है। इस आधार पर एक स्थगन प्रस्ताव पर आप दस दिन तक जानकारी करते रहेंगे और अन्त में बोरिंग करने वाला पांच-चार पेज का रूलिंग दे देंगे 'यह प्रस्ताव आम जनता के लिये महत्व का नहीं है अतः मैं अनुमति नहीं देता, अतः यह ड्राप किया गया' या तो आप एडजोर्नमेण्ट मोशन की जो रूल्स में परिभाषा लिखी हुई है उसे बदल दीजिये। आप से तो यह रिक्वेस्ट की गई है कि आप हाउस को स्थगित करके इसको पहले लीजिये उसको आपके लिये मानना मुश्किल नहीं है। उप मन्त्री महोदय ने जो बातें कहीं हैं अखबारों के जरिये और आपके समक्ष रखी हैं उनको मुख्य मन्त्री जानते हैं, गृह मन्त्री भी जानते हैं। और जिस कारण भूख हड़ताल की उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि उप मन्त्री महोदय इस बारे में अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा रही है कि जो सार्वजनिक महत्व के मामले हों उनके बारे में यह नहीं हो सकता कि गवर्नमेण्ट को इसकी जानकारी न हो। ऐसी हालत में जब कि उनके पास सब तरह की जानकारी है वे चाहें तो इस समय भी स्टेटमेण्ट दे सकते हैं और उसके बाद चर्चा हो सकती है। सच बात तो यह है कि सरकार यह नहीं स्वयं चाहती है कि जो भी भ्रम जनता में है उसका निवारण करे। होना तो यह चाहिये था कि स्वयं गृह मन्त्री या मुख्य मन्त्री स्थिति के बारे में बताते। उप मन्त्री की दो बातें तो सही मानी हैं अब रहा सवाल

(श्री भैरोंसिंह)
भूख हड़ताल का अब उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी को और गृह मन्त्री जी को क्या कहना है वे सारे तथ्य सदन के सामने आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 'आज' शब्द का इन्टरप्रीटेशन दिया है। स्थगन प्रस्ताव जो दिये जाते हैं उसमें कोई आधारभूत प्रश्न होता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं एडजोर्नमेण्ट मोशन के बाद उस पर चर्चा होती है। अपने यहां यह परम्परा कहां तक ठीक है कि आसन द्वारा उस पर व्यवस्था देने के बाद भी चर्चा होती है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। 'आज' शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया है उससे अर्थ यह नहीं कि स्थगन प्रस्तावों को 'आज' ही लिया जाय इसका प्रयोग सुविधानुसार लिए जाने से सम्बद्ध है।

इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव में हाउस का स्थगित करने का प्रयोग हुआ है वह भी सुविधा का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मेरी रूलिंग बोरिंग होती है, यह उनकी धारणा हो सकती है। शायद जो व्यवस्था उनके मुफीद नहीं होती है उसके सम्बन्ध में उनको ऐसा अनुभव होता होगा, और जो मुफीद हो जाती है तब तो वही 'बोरिंग रूलिंग' सुखद हो जाती है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक स्थगन प्रस्ताव आया है आज ही। मुझे मालूम है यह विधान सभा का सत्र कितने दिन चलने वाला है उसी सीमा के अन्तर्गत हाउस के कार्य-क्रम को निपटाने की चेष्टा करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : होता इसी तरह से है। मेरे कहने का यह अर्थ न समझा जाय कि मैं इस प्रश्न को रखना नहीं चाहता। मैंने आपसे निवेदन किया है कि इस बारे में कल निर्णय दूंगा। जब मैंने कल कह दिया है तो वह परसों नहीं होने वाला है। आज स्थगन प्रस्ताव मिला है और मैंने आज के लिये मोहलत चाही है। उसके बाद उस पर स्टेटमेण्ट या उसको विचारार्थ लिया जाना है। ऐसी स्थिति में आसन के प्रति शंकाओं का स्थान नहीं रहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो हमारा अनुभव है।

श्री अध्यक्ष : आपका जैसा अनुभव रहा है, वही रहेगा। लेकिन आप पुराने अनुभव के आधार पर मुझे बाध्य नहीं कर सकते, और न आपके इस तरह के अनुभव का निराकरण ही हो सकता है। जो स्थगन प्रस्ताव आया है उसके बारे में जानकारी आज ही प्राप्त करके कल इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा। इस बारे में मैं राजस्थान सरकार को भी सजग करना चाहता हूं कि जहां मेरे द्वारा व्यवस्था देने का प्रश्न होगा। अविलंब राज्य सरकार को उसके अनुसार आचरण करना होगा। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। अब नियमों के अनुसार इस सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं होगा।

मैं इस प्रश्न पर रूल्स को रिलेक्स करके वाद-विवाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। आज ही यह प्रश्न आया है अतः इस पर कल ही व्यवस्था और कल ही उसकी कार्यान्विति।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न

Page No 48

(श्री रामकिशन)
इस स्थगन प्रस्ताव को आप अन्य स्थगन प्रस्तावों के समान न समझें यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है अतः इस पर अविलम्ब विचार होना चाहिये। उप-मंत्री महोदय ने इस बारे में अनशन किया है। हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। हम भी चाहते है कि आज यदि इसको नहीं लिया गया तो इसके और दूसरे परिणाम भी निकल सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज गृह मंत्री एवं मुख्य मंत्री दोनों बिराजे हुए हैं। इस स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री जो पूरी तरह से परिचित हैं क्यों कि उन्होंने ही समझौता प्रस्ताव भेजा है और उसी पर उप मंत्री महोदय की भूख हड़ताल टूटी है। उस क्षेत्र में गृह मंत्री जी ने तुरन्त आई. जी. पी. को भेजा है उन्होंने वहां की सारी जानकारी हासिल की है। वैसी स्थिति में मैं नहीं सोचता कि कल तक इसके टालने में आपको कोई नई जानकारी मिल जायगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, वैसे मैं आग्रह नहीं किया करता, बहुत दिनों के बाद आग्रह कर रहा हूं आज ही इस स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य होना चाहिये और फिर सदन उस पर विचार करे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी का संग्रह करना आवश्यक नहीं होता है। जानकारी तो पहले से ही प्राप्त होती है उसके बारे में निश्चित निर्णय होते हैं, निश्चित भावनायें होती हैं, जिनके बारे में पहले से राज्य सरकार को जानकारी होती है।

यह जो स्थगन प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत हुआ है यह ऐसा है कि जिसके बारे में राज्य सरकार को पहले से ही जानकारी है। वैसी स्थिति में आप कल किस बात की जानकारी चाहेंगे। जैसे हरियाणा को पानी दिये जाने का सवाल है, वह तो राज्य सरकार की नीति से संबन्धित है इसके लिये तो सूचना एकत्र करने की जरूरत नहीं है। अकाल राहत क्षेत्र में जो 12½ रुपया दिये जाने की बात है वह भी राज्य सरकार के निर्णय से संबन्धित है। शिवचरणसिंह जी ने उपवास किया इसमें भी जानकारी प्राप्त करने का सवाल नहीं है। शिवचरण जी खुद मौजूद हैं, मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री भी मौजूद हैं और इस सम्बन्ध में जो चर्चायें चली है उसकी तसवीर उसका सारा विवरण अखबारों में आया है। अखबार पढ़ कर भी यह जानकारी मिल जाती है....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति है।

श्री दौलतराम सारण : इसलिए यह कहना कि इस बारे में जानकारी प्राप्त करना है उचित प्रतीत नहीं होता।

इसके अलावा नाथूराम जी के वक्तव्य का मामला है इसके बारे में भी लम्बे चौड़े अखबारों में संवाद आये है। इसका भी स्पष्टीकरण उनके द्वारा भी हो चुका है। इसमें मुख्य मंत्री जी ने उनसे बातचीत भी की है इनके और उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान भी हो चुका है। इसमें आगे जानने की क्या आवश्यकता है।

इसलिये मेरा आग्रह है कि ये जो स्थगन प्रस्ताव आपके सामने आये हैं उनके बारे में इसी समय निर्णय दें। ताकि उन पर चर्चा हो सके। जब आज की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया है तो

(श्री दौलतराम सारण)
फिर इस प्रश्न को कल के लिये रखना निरर्थक है। नियमानुसार भी इसको आज ही लिया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री शिवचरण जी ने पुलिस पर आरोप लगाया था उसका पुलिस सूत्रों ने खन्डन किया है। उसके बारे में आज की 'राजस्थान पत्रिका' में वक्तव्य भी छपा है। अन्धाधुन्ध गिरफ्तारी का तो खन्डन किया गया है लेकिन रिश्वत लेने के बारे में कहा है इनमें कुछ तथ्य हैं। तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं ये पुलिस सूत्र कौन से हैं आपके आफिशियल्स ही तो हैं। होम मिनिस्ट्री के अलावा तो और हो नहीं सकते।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आइ एम इन पजेशन आफ दी हाउस ·

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दे दी है फिर भी अनुशासन को भंग किया जा रहा है और उसी पर बोलते जा रहे हैं। क्या इन पर यहां के नियम लागू नहीं हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था पुलिस विभाग ने कुछ फैक्ट्स को कन्ट्राडिक्ट किया है और कुछ को स्वीकार किया है। इसके साथ ही आज 11 मई की पत्रिका में श्री शिवचरणसिंह जी का भी स्टेटमेन्ट आया है। उसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाये हैं। इतना होने के बावजूद मैं नहीं समझता होम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री को खड़े होकर स्टेटमेन्ट देने में क्या आपत्ति है।

इस बारे में स्थिति बहुत गम्भीर है, अतः आप इस तथ्य को न छिपायें इसका स्पष्टीकरण अवश्य करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : वैसे तो यह मामला ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्यों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं जितने भी प्रश्न मेरे सामने आये हैं उस बारे में व्यवस्था दे दी है। कल ही मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : राजस्थान का पानी हरियाणा को दिया जा रहा है। इस बारे में आज ही स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर, आप बोलते ही जाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां यह कहा गया हमारा पानी नहीं देंगे लेकिन हरियाणा को अब क्यों दिया जायगा इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य, श्री आर्य.... क्या करूं, चेम्बर में चला जाऊं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति हो रही है ...

श्री अध्यक्ष : आर्य, श्री आर्य ऑर्डर, ऑर्डर।

इसके आगे का भी कार्यक्रम है। मैंने जैसा निवेदन किया। मेरी भावना को भी थोड़ा समझें।

श्री नत्थीसिंह : क्या राज्य सरकार मजबूर है कुछ कहने में। नियमों से चलिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य। थोड़ा सा लिहाज रखिये। नियम तो कहां चले जा रहे हैं। नियम रहे ही कहां हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आज वक्तव्य देने में राज्य सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री अध्यक्ष : परेशानी मुझे है। ऑर्डर प्लीज, श्री मुकुट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कौन होते हैं बोलने वाले ? सरकार को जवाब देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप कोन होते हैं बोलने वाले। मैं सदन का सहयोग इस प्रश्न पर चाहता हूं। मैं सदन की उद्विग्नता को समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने आपसे निवेदन किया है कि सरकार आज वक्तव्य देना नहीं चाहती ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। मुझको यहां यह स्थगन प्रस्ताव मिला है। मैंने जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के प्रारूप के सन्दर्भ में कल व्यवस्था देने का निर्णय लिया, वह व्यवस्था है मेरी और यह सदन को मैंने विश्वास दिलाया है। और जिन पर व्यवस्था इस सदन में नहीं हुई है उस दिन दी जाकर उस पर क्रियान्विति होगी। यदि आप यह कहें कि राज्य सरकार ने कुछ मुझसे आग्रह किया है, ऐसा नहीं है। प्रश्न मेरी सुविधा का है। इसलिये।

श्री भैरोंसिंह : इसके पहले राज्य सरकार को आपने कहा है, पूछा है ? और क्या इस पर भी राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट की है ? आपने कापी इसकी सरकार को दी है।

श्री अध्यक्ष : कापी मिनिस्टर कन्सर्न्ड को जावेगी। भेज दी गई।

श्री भैरोंसिंह : तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदस्यों के अधिकारों पर आघात है। इसका उत्तर आज ही सरकार से मिलना चाहिये। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं बहुवचन लगा देता आप कहेंगे कि खड़ा हूं। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि प्रतिलिपि भेज दी है।

श्री भैरोंसिंह : और उन्होंने कहा है कि आज वक्तव्य नहीं दिलवाया जावे यही है न ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो आगे बोल नहीं रहा हूं, यही कह कर बैठ गया हूं। अगर आप यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चले।

श्री भैरोंसिंह : तो अध्यक्ष महोदय ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सदन की कार्यवाही चले या नहीं चले। हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन नहीं चलेगा, एडजोर्न होगा, हो जावेगा पर सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकारों पर कुठाराघात होने नहीं देंगे। यह क्या बात हुई ?

Page No 51

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह क्या तरीका है, हाउस एडजोर्न करने की धमकी देकर हमें चुप करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : व्यवधान होता है तो मुझे सोचना है। मेरी बात को धमकी मानना ठीक नहीं। मैंने आपको धमकी नहीं दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान नियम 50/51 की तरफ खींचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी बात कह दूं।

श्री नरसीसिंह : किस रूल में लिखा है कि आप जानकारी सरकार से चाहेंगे ? रूल कौनसा है ? बता दीजिये। नियम 54 कहता है कि वन एट्थ सदस्य खड़े हो जावें तो एडजोर्नमेन्ट मोशन एडमिट होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम 18 से ज्यादा हैं। तो नियम तो यह कहता है। फिर आपकी मरजी हो तो रोक दीजिये।

श्री मदनसिंह : हम 18 ही नहीं हैं। चालीस हैं। यह रूल का सवाल है। आप फिर चाहें तो रिजेक्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : खड़ा आपने कर दिया। खड़े आप हो गये। मैं कहां हूं, मैं यह देख रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पेचीदा प्रश्न पैदा हो गया। आप भटक रहे हैं। आप यह कह दीजिये नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप नियम 50 का पालन करें।

श्री अध्यक्ष : रूल 54—Mode of asking for leave to move adjournment motion—

The Speaker if he, gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House:

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 50 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दिस हैज बीन डन। अब आगे चलिये।

श्री अध्यक्ष : आगे चल देता हूं। डिक्टेट मत करिये।

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave

Page No 52

(श्री अध्यक्ष)

being granted to rise in their places and if not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than one-tenth of the total number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वन फिफ्थ खड़े हो गये हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : कन्सेन्ट का प्रश्न इन्वॉल्व्ड है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब प्रस्ताव इन ऑर्डर है.........

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के इन ऑर्डर होने का प्रश्न फिर है। फिर प्रक्रियाएं हैं। अब मैं तो आज बैठा ही रह गया और आपने नियमों का हवाला दे दिया और आपने माननीय सदस्य इन्क्लूडिंग विरोधी दल के माननीय नेता तक को आदेश दे दिए कि खड़े हो जाइये। मैं चौकन्ना होकर बैठा रह गया। क्या व्यवस्था दूं।

एक माननीय सदस्य : आपने व्यवस्था तो बैठे बैठे दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं परम्पराओं और नियमों के प्रति। कुछ इस ओर ध्यान दें। मैं माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करता रहा हूं। किन्तु आज की यह भी अनहोनी घटना है। इस हाउस में माननीय सदस्य बैठे हैं वे वन टेन्थ के प्रश्न पर एक साथ खड़े होकर कह दें और वह भी नियमों के अनुसार नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि कन्सेन्ट के प्रश्न पर रूल क्या कहते हैं। माननीय सदस्यों के लिये यह आसन नया नहीं है। यह आपका ही है। यह स्मरण रख कर चलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा है। सारे सदन का यह आसन है।

श्री मदनसिंह : यह आसन सबकी सुविधाओं के लिये है, सरकार की सुविधाओं के लिये नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप वहां बैठकर निर्णय दे दें और कोई व्यवस्था दे दें। और स्पीकर के सम्मुख, 'कन्सेन्ट' एवं प्रस्ताव के इन ऑर्डर होने का प्रश्न विचाराधीन है। यह उपयुक्त नहीं होगा फिर भी मैं इसको वाद विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : नहीं बैठूंगा मैं। आप नहीं बिठा सकते।

श्री अध्यक्ष : अजी दांता साहब। माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम को देख लें।

श्री अध्यक्ष : मैं सारे प्रावधानों को समझ गया हूं। मैंने जो व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह कोई व्यवस्था नहीं है।

Page No 53

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार और श्री मुकुट-बिहारीलाल गोयल, एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रूल 50 का फरमाया था·······

श्री अध्यक्ष : दस साल हो गये हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसीलिए····

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जो प्रावधान व्यक्त कर दिया वह कर दिया । लेकिन मैं माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को समझता हूं । इस प्रश्न पर कैसे सम्यक और सामयिक निर्णय लिया जाये, आज के जो वाद-विवाद का विषय रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Don't try to divert.

श्री अध्यक्ष : I know you are the last man to be diverted.

इसलिए मैं इस प्रश्न पर चिंतन·······

एक माननीय सदस्य : और मनन ।

श्री अध्यक्ष : और मनन के लिए सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं । माननीय सदस्यों को निमन्त्रित करके, राज्य सरकार को भी निमन्त्रित करके इस पर निर्णय लिया जाये । हम मिलेंगे आधे घण्टे के बाद पुनः सदन में । सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 12.42 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई ।)

पुनः सदन की बैठक 1 बज कर 14 मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण सदन साइलेन्ट है क्या हमारी सुनवाई हो रही है ?

श्री शिवचरणसिंह से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : मैं साइलेन्स को तोड़ रहा हूं ।

स्थगन प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने श्री शिवचरणसिंह, उपमंत्री, राजस्थान सरकार की भूख हड़ताल के संबंध में दिये हैं उनके नाम हैं : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजीराम बुरड़क एवं श्री देवीदत्त गाड़िया । प्रस्तुत प्रस्ताव को रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजीनेस के रूल 50 के अन्तर्गत मेटर आफ अरजेण्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मान कर मैं इस पर कन्सेन्ट देता हूं ।

कन्सेन्ट नियम 50 के अन्तर्गत दिये जाने के बाद इसको इन आर्डर घोषित करते हुए संबन्धित माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनमें से एक अपनी सीट पर खड़े होकर एडजोर्नमेण्ट मोशन को मूव करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के उप मंत्री, श्री शिवचरणसिंह द्वारा की गई भूख हड़ताल के सम्बन्ध में जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
स्थगन प्रस्ताव की सूचना हमने दी थी उसको सदन में प्रस्तुत करने के लिये नियम 50 के अन्तर्गत आपने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, यह माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर है।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। डाकू उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में चम्बल क्षेत्र के अन्तर्गत जो राजस्थान प्रशासन द्वारा और राज्य के पुलिस विभाग द्वारा जो कार्यवाहियां की जाती रही हैं उस सम्बन्ध में निर्दोष व्यक्तियों को, छोटे छोटे बालकों को जिस प्रकार से अन्धाधुन्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया और लोगों से रिश्वतें ले लेकर जिनको पुलिस अधिकारियों ने छोड़ा और वहां की जनता के साथ जिस प्रकार का अनाचार-अत्याचार पुलिस के लोगों ने इस अभियान के नाम पर किया है उसके विरोध में उप मंत्री महोदय ने भूख हड़ताल की है....

श्री अध्यक्ष : आप लीव मांगेंगे।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि इस स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी को कोई आब्जेक्शन नहीं है, अतः मैं स्वीकृति देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव पर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह इस बात का संकेत है कि श्री शिवचरणसिंह की भूख हड़ताल से एक ऐसा मुद्दा पैदा हुआ है जिससे कि इस सदन को गहरी चिन्ता है। श्री शिवचरणसिंह इस सदन के सदस्य ही नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इसलिए इस भूख हड़ताल की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। यह तो इस सरकार और कांग्रेस पार्टी के सोचने का प्रश्न है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिवचरणसिंह के बयान से, जो उनका आज आया है, अध्यक्ष महोदय आज के समाचार पत्रों में उन्होंने जो बयान दिया है वह अत्यन्त गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले को उन्होंने पढ़ा होगा। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों से आने वाले माननीय सदस्य अपनी अपनी बातें रखेंगे, इसलिए मैं उन तथ्यों के विवरण में अधिक नहीं जाते हुए दो चार बात सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

जो तथ्य हमारे सामने आया है, डाकू उन्मूलन अभियान में राजस्थान पुलिस ने क्या क्या अत्याचार मचा रखा है। डाकुओं का सफाया, चम्बल क्षेत्र में रहने वाले, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में हैं, जितने हिस्सों में है, वहां जो डाकुओं से ग्रस्त इलाका है, वहां से डाकुओं का निराकरण किया है, इसने कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान पुलिस आज तक सफल नहीं हो सकी है। पिछले 20 साल का अनुभव बताता है कि राजस्थान में जितने डाकू दलों का सफाया किया गया है, उससे ज्यादा 20 साल में डाकुओं का निर्माण हुआ है। आज दिन दहाड़े लोगोंको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उड़ाया जाता है। दुकानों पर बैठे हुए लोगों को उड़ाया जाता है। लोगों को घरों से सोते हुए उड़ाया जाता है। 50 हजार रुपये लेकर उनको छोड़ा जाता है। वह एक अलग सिलसिला है। लेकिन गरीबों को पुलिस ने फंसाया है। रिश्वत ली है। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, राजपूत रेजिमेंट का एक सिपाही, उसका नाम है अध्यक्ष महोदय, सैनिक सफेदीसिंह। उसको भरतपुर जिले के रूपा के कला से पकड़ कर 7 दिन शिविर में रखा गया है। ऐसे और तथ्य आपके सामने आयेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आजकल महिलाओं को शिविर में रखेंगे। बच्चों को पकड़ना, रिश्वत लेकर छोड़ना। यह आम शिकायतें हैं। एक पुलिस अधिकारी ने ही अखबारों में यह बयान दिया है, उन्होंने यह कहा है कि रिश्वत लेने की शिकायत जरूर है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राजस्थान विधान सभा का करोड़ों रुपया बजट में, सप्लीमेण्ट्री बजट में, एक्सेस ग्राण्ट में सैंक्शन करके देते हैं! यह अनुदान के रूप में क्या इसीलिए हम स्वीकार करते हैं? राजस्थान पुलिस जनता की रक्षक के रूप में बने वह राजस्थान की पुलिस जनता की भक्षक बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो यह शिकायतें विशेष जिलों से सम्बन्धित हैं, मगर वह सारे राजस्थान की हैं। इस सदन में यह शिकायतें उठाते आये हैं। मैंने हमेशा कहा है कि राजस्थान पुलिस जनता की रक्षक नहीं है भक्षक बनी हुई है। जनता की दिन दहाड़े लूटालूट मची हुई है। पैसा खाया जा रहा है। इस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं। इस सम्बन्ध में उप मन्त्री महोदय ने भूख हड़ताल की है। इसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। सरकार में कई बातें, और जनता में कई बातें फैली हैं। उनसे यह पता चलता है कि आप पर डाकुओं से सांठगांठ के आरोप लगाये जाते हैं। उस क्षेत्र में श्री शिवचरणसिंह की डाकुओं से सांठगांठ के आरोप लगाये गये हैं। उन्होंने उनकी जांच की मांग की है। मैं चाहता हूं राजस्थान सरकार जांच करे। राजस्थान के एक उप मंत्री की डाकुओं से सांठगांठ हो, सरकार जांच न करे तो मैं समझता हूं, कि उनको मंत्रि मंडल में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज तो एक मंत्री सामने आया है। मैं कहता हूं कि 37 के 37 के ऊपर भी यह हो सकता है। यह आरोप के जांच की मांग उन्होंने वक्तव्य में की है। राजस्थान सरकार ने कितने निर्दोष व्यक्तियों को छेड़ा, कितनी रिश्वत की शिकायतों के खिलाफ चार्जशीट दी हैं? कितने प्रकार की शिकायतें आयी हैं? मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि डकैतियों की कब कब शिकायतें मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से की हैं? मुझे अफसोस है कि यह सरकार सुनने से इन्कार करती है। सुनती नहीं है। जब आरोप लगाते हैं तो यह जांच नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री को मिलने का समय नहीं मिले। यह हालत तो मंत्रियों की है। अगर मुख्य मंत्री डिप्टी मिनिस्टर को समय ग्राण्ट नहीं करते हैं, वह सुन नहीं सकते हैं। यह मान कर चलना होगा कि इस सारे अभियान में पुलिस ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। महिलाओं को बुलाने की सैंक्शन पुलिस अधिकारी देते हैं, पुलिस अधिकारियों को मुख्य मंत्री सुखाड़िया ने दी है। नहीं तो आपने कुछ क्यों नह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया है ? राजस्थान की जनता में यह भावना बन गई है कि राजस्थान में कोई वैधानिक सरकार काम नहीं कर रही है। यह पिण्डारियों की सरकार है। इस भावना के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो····

श्री रामनारायण चौधरी : आप गलत बात कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आशा करके चलता हूं कि श्री रामनारायण चौधरी ने यह समाचार अवश्य पढ़ा होगा। इसलिए इन तथ्यों के सम्बन्ध में कि पुलिस अधिकारियों ने निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा है। बच्चों को पकड़ा है, रिश्वत ली है, रिश्वत लेकर छोड़ा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, महिलाओं को शिविर में रखा है, रिश्वत खाई है–इस प्रकार के गम्भीर आरोप इस सारे वक्तव्य का निचोड़ है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इनके वक्तव्य की एक एक बात पढ़ कर सुनाऊं, इन्स्टान्सेज सुनाऊं–इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। मैं समझता हूं, यह गम्भीर मसला है। यह गम्भीर मसला है और इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है। इस सूरत में राजस्थान की जनता को कौन न्याय देगा ? कौन राजस्थान की जनता की बात सुनेगा ? राजस्थान की जनता की बात को सुनने वाला कौन है ? यदि उप मंत्री को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े और उनकी बात को प्रशासन नहीं सुनता है तो बाकी जनता की सुनने वाला कौन है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पहले कि इस पर आप आगे बहस करें····

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बहस तो शुरू हो गयी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो आपका इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन है, एडजोर्नमेंट मोशन की इस सम्बन्ध में जो सूचना प्रस्तुत की गई है, जो नोटिस दिया गया है, इसमें हैं :

'Restriction on right to make motion—

(i) Not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) Not more than one matter shall be discussed on the same motion.

(iii) The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence.

(iv) The motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session."

यह प्रस्ताव है····

श्री नाथूसिंह : किसका है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपकी तरफ से दिया हुआ प्रस्ताव है।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : कृपा करके····

Page No 57

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो बहस हो रही है उसके लिए यह प्रस्ताव दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : यह किनका है, कोन है प्रस्तावक ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुकुटबिहारी लाल गोयल, करीब करीब वही प्रस्ताव है जिस पर कहा जा रहा है....

श्री देवीदत्त गढ़िया : करीब करीब आपका क्या मानना हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : भाषा अलग अलग है ।

श्री मदनसिंह : प्रस्ताव में शिवचरण सिंह पर आरोप लगाया है और अब उल्टी बात हो रही है । यह उल्टी बात हो रही है कि पुलिस की गलती है । वह आरोप शिवचरणसिंह पर लगाया है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आगे मैं कह रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आपका यह व्यवस्था का प्रश्न है तो बहस में तो दोनों पक्ष आयेंगे, दोनों की सच्चाई जानी है—डाकुओं को संरक्षण देने की शिकायत है और पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को मारने, डराने और धमकाने की भी है ।

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिये ।

श्री नत्थीसिंह : दोनों बातें इसमें हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कन्सेन्ट, स्वीकृति प्रदान की है इस बात के लिए कि सदन में इस प्रस्ताव को रखें । इसके बाद में कार्य संचालन के नियमों के नियम 52 के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

"(i) Not more than one such motion shall be made at the same sitting.

(ii) Not more than one matter shall be discussed on the same motion.

(iii) The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence.

श्री नत्थीसिंह : स्पेसिफिक मैटर हो गया ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुन लीजिये, आगे मत बढ़िये ।

"(i) Not more than one such motion shall be discussed at the same sitting."

मैं इस नियम के पार्ट 3 और 4 का हवाला नहीं देता, लेकिन एक और दो पार्ट का हवाला दूंगा :

"(i) Not more than one such motion shall be made at the same sitting". सैकिण्ड है : "Not more than one matter shall be discussed on the same motion"; तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक मुझे ज्ञात हुआ, एक मोशन आया है, इस मोशन का कोई दूसरा प्रारूप हो, अगर सैकिण्ड

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
कोई प्रारूप हो तो मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि एक मोशन एक रूप का डिस्कस करने के लिए था या दूसरा और कौनसे की इजाजत दी गई है ? उसके बाद ही उस पर विवाद शुरू हो सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मोशन में मूल में वही भूख हड़ताल है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इस पर प्रकाश नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव आये हैं और प्रस्तावों की विविध भाषा है। सभी में भाषा अलग अलग तरीके की है। सभी भाषा के अन्तर्गत जो प्रश्न आता है वह व्यापक है। इसलिए आप आरम्भ रखें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : तथ्य अलग अलग हैं। एक तथ्य यह है कि डाकू....

कई माननीय सदस्य : बैठो ! बैठो !

श्री नत्थीसिंह : आप शिवचरणसिंह जी को कन्डेम करना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस को कन्डेम करने का नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : एक भी नहीं बचेगा। आप शिवचरणसिंह जी के लिए कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये। जल्दी समाप्त करिये।

श्री जगन्नाथ : उप मन्त्री की कोई सिफारिश नहीं मानता। गोरधन की सच्ची इन्क्वायरी करो। सही इन्क्वायरी करके इन्साफ किया जाय जो आरोप लगाये हैं उनमें।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें। शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय नाहर साहब का मतलब यह था कि डाकू उन्मूलन अभियान में पुलिस के काम में शिवचरणसिंह ने बाधा उत्पन्न की है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी संकेत किया था, अध्यक्ष महोदय, और मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं और गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार, यह अभी नहीं आज से पूर्व जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने या गृह मन्त्री जी ने कभी कोई जांच करवाई क्या ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा 13 अक्टूबर, 1969 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या जानकारी मिली, राज्य सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या जांच करवाई और उस जांच को कार्यवाही को करने से क्या नतीजा निकला ? अगर जांच नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई। यह आरोप उनके ऊपर है। इस समाचार का शीर्षक है :

'पंच सरपचों पर डकैतों प्रश्रय देने का आरोप, सवाई माधोपुर जिले की पुलिस की शिकायतें करौली 12 अक्टूबर। सवाई माधोपुर जिले के उच्च पुलिस अधिकारियों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के अनुसार जिले के अनेक सरपंचों तथा पंचों का डकैतों को प्रश्रय देने में सक्रिय हाथ है और इसके कारण जिले में डकैती विरोधी अभियान में पुलिस को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार इन प्रमुख व्यक्तियों को एक उप मंत्री का समर्थन प्राप्त बताया जाता है जिनके निरन्तर हस्तक्षेप के कारण जिला प्रशासन एवं पुलिस क्षेत्रों में तीव्र असंतोष व्याप्त है।

पुलिस ने इस प्रकार के अनेक प्रमाण एवं तथ्य एकत्र किये हैं जिनके अनुसार इस क्षेत्र में सक्रिय डाकुओं की इन तत्वों से सांठगांठ है। बताया गया है कि नादोती तहसील के खजाने पर नियुक्त पुलिस जवान जगराम, जो कुछ समय पूर्व एक भूतपूर्व सरपंच के भाई की हत्या कर रायफल तथा कारतूसों सहित फरार हो गया था, वह रूपा डाकू के दल में शामिल हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का समाचार सवाई माधोपुर के पुलिस सूत्रों के अनुसार 13 अक्टूबर, 69 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। मैं गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो पुलिस सूत्रों से यह समाचार छापा गया है, डाकुओं के साथ पंच, सरपंच की सांठ-गांठ है, डाकुओं को एक उप मंत्री का प्रश्रय प्राप्त है। तो कौन है वह उप मंत्री? क्या इसकी जांच कराई है? इस सम्बन्ध में किसी के द्वारा इन्वेस्टीगेशन कराया है? क्या यह आरोप सही है या गलत है। गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री इस सदन में जब वक्तव्य दें तो इस सम्बन्ध में भी जानकारी दें। इस सदन के अन्दर पहले तमाम बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार लोगों को डाकुओं के द्वारा उठाया जाता है, किस तरह से भरौती दी जाती है। राजस्थान की सवाई माधोपुर, भरतपुर जिला, बांसवाड़ा, मांगरोल, किशनगंज, शाहबाद के इलाके की इस बेल्ट में पिछले बीस सालों से डकैतियों की घटना बढ़ती जा रही है, लोगों को दिन दहाड़े उठाया जाना है, गोली से मार दिया जाता है, महिलाओं की इज्जत सेफ नहीं है, लोगों से पैसा लिया जाता है—लेकिन राजस्थान की पुलिस आज दिन तक इन डाकुओं का सफाया करने में नाकामयाब साबित हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक उप मंत्री की भूख हड़ताल के पीछे क्या तथ्य हैं उनको निर्भिकता के साथ वे रखेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप स्पेसिफिक मैटर रखिये। ताजा घटनाओं को रखिये। यह नहीं कि तीन चार महीने पहले की घटनाओं का जिक्र करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं तथ्य रखूंगा, टाइम, डेट महीना, रात वगैरह वगैरह सब बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैंने कुछ तथ्य सदन के सामने रखे हैं। जो भी स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज ये चाहते हैं उसके सम्बन्ध में मुकुटबिहारीलाल जी तथ्य सदन में रखेंगे। डागाजी, जो भी तथ्य इस के पक्ष विपक्ष में आते हैं सदन में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। आप अगर यह कहना चाहें कि शिवचरणसिंह जी की डाकुओं से सांठगांठ है तो मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है। मैंने बहुत ही आब्जेक्टिवली समाचार-पत्रों में जो आया उसके बारे में तथ्य रखे हैं। अगर उस समाचार के आधार पर उस समय जांच करा ली गई होती तो आज जो भूख हड़ताल से स्थिति उत्पन्न हुई है वह नहीं हुई होती।

आज राजस्थान की जनता में भय व्याप्त है कि राजस्थान में एक उप मन्त्री जी की भी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको भी भूख हड़ताल करनी पड़ती है तो सामान्य जनता की कौन सुनेगा? इन सबकी तो डाकुओं के साथ सांठगांठ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, मुझे यह नहीं कहना चाहिये था. पर जो तथ्य हैं सामने उनके आधार पर मजबूरन कहना पड़ता है। अगर उप मन्त्री जी की सांठ-गांठ नहीं है तो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की है, सदन में विचारार्थ रखता हूं और केवल इतनी ही अपनी बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं नियम 56 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। समय पर नियन्त्रण रखना है मुझे।

"The Speaker, if he is satisfied that there has been adequate debate, put the question:

Provided that if the debate is not concluded within two hours from the time at which it was commenced it shall automatically terminate and no question shall be put".

इसलिये समय पर नियन्त्रण रखना उचित है। ये भाषण दो घन्टे के समय के अन्दर ही समाप्त होंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दो घन्टे का समय कम है। इतना महत्वपूर्ण मसला है यह. इसके लिये यह समय कम है।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने नहीं रखा है, यह तो नियम में रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपना मोशन रखा है वह कृष्णकुमारजी के मोशन से भिन्न है, इनकी भाषा अलग अलग है। भाव भी अलग अलग हैं और तथ्य भी भिन्न हैं। तो इसलिये मैं एक बार वह मोशन सुनना चाहता हूं कि क्या है?

श्री नत्थीसिंह : वह बहुत व्यापक है।

श्री मूलचन्द डागा : तथ्य सामने आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह रिलेवेन्ट पोर्शन सुना देता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य, आप उठ न जाइये। मैं तो मोशन सुना रहा हूं। राज्य के उप मंत्री की भूख हड़ताल से राज्य की जनता का अब अपनी जान-माल की रक्षा के लिये पुलिस विभाग पर से विश्वास उठ गया है और उनकी यह धारणा हो गई है कि यह सरकार उनकी जान-माल की रक्षा नहीं कर सकती। यह सुरक्षा का

(श्री अध्यक्ष)
मामला है, आदि, आदि, पुलिस पर से विश्वास उठ गया है, आदि।

श्री कृष्णकुमार गोयल का है, "डाकुओं का गिरोह सक्रिय है। विशेषतया पडौसी राज्यों में डाके डाल कर राजस्थान के इन क्षेत्रों में ये शरण लेते रहे हैं। इन डाकुओं को कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक प्रकार से सहायता मिलती रही है। इसकी रोकथाम के लिये राजस्थान की पुलिस ने सक्रियता से कदम उठाना आरम्भ किया तो राज्य के एक उप मन्त्री श्री शिवचरणसिंह ने पुलिस के इस कदम के विरुद्ध भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी" यह आपका कथन है। कृष्णकुमार हो गये।

अब आप ले लीजिये श्री केदारनाथ, वे कहते हैं, "बेगुनाहों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, पुलिस द्वारा की जा रही अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां एवं रिश्वत लेने आदि की घटनाओं से एक भयानक परिस्थिति पैदा हो गई। यह प्रश्न रूप में पेश किया है। राज्य में भयावह परिस्थिति पैदा हो गई है। सामान्य जीवन अस्तव्यस्त है। परिणाम भयानक निकल सकते हैं।"

श्री देवीदत्त गाड़िया का "राजस्थान के उप मंत्री श्री शिवचरणसिंह द्वारा पुलिस द्वारा किये जाने वाले जुल्म व अत्याचारों तथा डाकू उन्मूलन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों को लेकर किये गये अनशन, जो कि सरकार विरोधी है, तथा सरकार पर लगाए गए गम्भीर आरोप आदि मामलों के कारण आज राजस्थान की दो करोड़ जनता में भयंकर चर्चा तथा लोकतान्त्रिक नीतियों के विरुद्ध है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय हमारा यों ही खतम होता जा रहा है साहब।

श्री अध्यक्ष : "भयकर चर्चा है, आदि आदि"। आरम्भ रखें। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं वे समय की सीमा में बोलें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें दो प्रकार के मैटर हैं और दो प्रकार के मैटर चल नहीं सकते।

"(i) Not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पहले ही डिसकस होगया मामला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो उसमें वन मैटर है, नाट मोर दैन वन है। एक ही है विषय इसीलिये कहा है कि सभी विषयों का होकर भी एक ही विषय बनता है। आरम्भ रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो मैटर हैं आपके सामने। एक नहीं है, आप इस पर और गौर करिये।

श्री अध्यक्ष : दो मैटर हैं तो एक कर दिये जावेंगे। माननीय सदस्य ख्याल रखें कि एक ही मैटर है।

श्री रामकिशन (वैर) : राज्य के उप मंत्री महोदय ने डाकू-उन्मूलन के सम्बन्ध में जो भूख हड़ताल की है मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं और यह मान कर चलता हूं कि भरतपुर क्षेत्र में और सवाई माधोपुर जिले के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

आज से तीन-चार दिन पहले मैं हिंडौन जा रहा था। हिंडौन से पहले जिला परिषद् के सम्बन्ध में एक दो गूजरों के गांव में जाने का मौका मिला था। जैसे ही मेरी जीप गांव में गई एक भी आदमी वहां नजर नहीं आया और जो औरतें, बच्चे थे वे भी भागते नजर आये। कुछ आदमी थे वे भी भागने लगे। मैंने उनको रोका और पूछा यह तमाशा क्या है? भागते क्यों हो? उन्होंने पूछा आप पुलिस के आदमी तो नहीं हो। जब हमने कहा कि नहीं हम पुलिस के आदमी नहीं हैं, तो वे रुके। फिर फिर जिस गांव में हम गये वहां यही हाल देखा। पुलिस के आतंक के डर से गांव के गांव खाली होगये हैं। बयाना तहसील के कपूराना गांव में गये। बोरड़ी गांव में गये। वहां लोगों ने कहा कि हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। महाराजसिंह नाम का गूजर डकैत हो गया है उसकी वजह से हमें पुलिस सता रही है। उससे हमारा पचास-सौ साल से कोई सम्पर्क नहीं है। कोई हम उसको नहीं जानते। हम उसके कोई रिश्तेदार नहीं। पर आर. ए. सी. के लोग सुबह-शाम आते हैं और कहते हैं बताओ वह डाकू कहां है? गांव में अगर आदमी नहीं मिलते हैं तो औरतों को ही पकड़ कर ले जाते हैं और बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। यह तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय मैंने लोगों को एक बात कही कि आप ये सारी शिकायतें जिलाधीश के पास क्यों नहीं पहुंचाते, उनके पास पहुंचानी चाहिये थीं। एस. पी. भरतपुर के पास पहुंचानी चाहिये थी, राज्य के गृह मंत्री के पास पहुंचानी चाहिये थी। तो वे लोग कहने लगे कि हम गांव से और घरों से बाहर निकल नहीं सकते। पुलिस हमें बुरी तरह से मारती है, पीटती है, लूटती है। शिकायतें करने जावेंगे तो ज्यादा मार पड़ेगी। तब मुझे यह पता नहीं था कि राज्य के किसी उप मंत्री ने भूख हड़ताल की है। मैं उन लोगों का 12 तारीख देकर आया था और कह कर आया था कि जिनको भी पुलिस इस तरह से सता रही है वे कपूराना गांव में इकट्ठे हों। हम सरकार के सामने सारे तथ्यों को रखेंगे।

जहां तक मैंने जो कुछ देखा उस पर से कह सकता हूं कि पुलिस ने डाकू उन्मूलन अभियान के जोश में यह सब किया है, मैं नहीं समझता कि इसमें राज्य के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री का हाथ है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावर) : कौनसा गांव है किसने बात कही?

श्री रामकिशन : आपने सुना तो है नहीं।

श्री नत्थीसिंह : आप सुनना नहीं चाहते, केवल मक्खन लगाना चाहते हैं। हम वे तथ्य भी रखेंगे कि किस तरह से यह सरकार के कुछ लोग डाकुओं को पनाह देते हैं। इन तथ्यों का कोई छिपा

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं सकता। डाकुओं का साथ देने वाले ये, डाकुओं के नाम पर क्या क्या करते हैं, वे तथ्य भी आपके सामने आवेंगे और इन दोनों कामों के लिये जिम्मेदार आप हो।

श्री विजयसिंह : आप सफेदपोश डाकू।

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन कर रहा था।

(1.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामकिशन : मैं गोल मटोल नहीं बोलूंगा। ग्रामवार नामवार बोलूंगा। मैंने गांव के लोगों से कहा कि वे 12 तारीख को इकट्ठे हों और सारे तथ्य राज्य के गृह मन्त्री के पास भेजें, मैं मान कर चलता हूं कि ये घटनाएं हुई हैं। मैंने इनके बारे में आई. जी. से, गृह मंत्री जी से और एस. पी. से खुद बातें की हैं। मैंने कई बार कहा है कि पुलिस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि एक डेढ़ वर्ष में कई लोगों की इन पुलिस कम्पों में हत्यायें हुई हैं। वहां पुलिस ने डकैतों के मामले में शोहरत भी प्राप्त की है। जिन लोगों का गांवों से आतंक के मारे बाहर निकलना मुश्किल था वहां डाकुओं की समस्या का कुछ समाधान हुआ है और गांवों में विश्वास भी जमा है। इस दिशा में पुलिस के कदम सराहनीय हैं। सही भी हैं। पर इस कदम की तहत किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती, कतई नहीं दी जा सकती कि निर्दोषों को पकड़ा जावे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जावे, स्त्री और बच्चों को पकड़ा जावे। जो डकैत हैं, बदमाश हैं, उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जावे, जो, शरण देते हैं उनको दण्ड दिया जावे पर चूंकि इस अभियान में पुलिस को सफलता मिली है किसी हद तक तो इस नाते उसको यह छूट नहीं दी जा सकती कि चूंकि डाकू गूजर जाति के हैं इसलिये सारी गूजर जाति को ही डकैत मान कर उनके साथ ज्यादती और जुल्म किया जावे।

इस समय भी मासलपुर में कैम्प है, रुदावल में है। इन शिविरों में काफी लोग थे। ढाई तीन सौ आदमी एक विशेष जाति के पकड़े गये। आज पुलिस जो तरीका अपना रही है और जो इन कैम्पों में कर रही है वह किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन ढाई सौ तीन सौ में से पांच-चार हो सकते हैं जो डाकुओं को शरण देते हों। पर उन पांच-चार का पता लगाने के लिये यह तरीका जघन्य है, कुत्सित है और हर तरह से निन्दनीय है। इसे एक दम बन्द किया जाना चाहिये। इन ढाई तीन सौ की जांच भी की गई पर आज तक पुलिस इनमें से एक आदमी के खिलाफ भी चालान पेश नहीं कर सकी है। इस तरह से जन-जीवन को अस्तव्यस्त करना दूसरी तरह का डाकूपन है। असलियत तो यह है कि महाराजसिंह चूंकि गूजर है तो चलो फलां गूजर को कैम्प में बुला लो। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक जाति विशेष को ही सारे भरतपुर जिले में, बयाना रूपवास तहसीलों में सवाई माधोपुर के इलाके में डकैत और चोर बना दिया गया है। इनमें भी और जातियों की तरह कुछ चोर हैं।

(श्री रामकिशन)
और निश्चित तौर पर हैं । डाकुओं को संरक्षण देने वाले भी हो सकते हैं, निश्चित तौर पर हो सकते हैं, पर आप इसके लिये सारी जाति को तंग और हैरान करें यह कतई उचित नहीं है । आप उनको मजबूर करिये । कुछ बागी जो होते हैं उनमें से मुखबिर बन जाते हैं और वे डर के मारे किन्हीं इज्जत वाले लोगों के नाम बता देते हैं, और यह पुलिस उनको सबको पकड़ कर कैम्प में डाल देती है । यह कहां का तरीका है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन कैम्पों में पुलिस के द्वारा जो कुछ भी जुल्म और ज्यादतियां और अत्याचार निर्दोष लोगों पर किये जाते रहे हैं और इन कैम्पों में जितने लोगों को बुलाया गया वे सब गूजर थे । फिर पिछले वर्ष एक उत्तर प्रदेश का जाटव डाकू था शिड्यूल्ड कास्ट का । तो उसके लिए सारे जाटवों को कैम्पों में बुलाया गया । डाकू अगर जाटव हुआ तो जाटवों को बुलाना शुरू कर देती है पुलिस और डाकू अगर गूजर हुआ तो गूजरों को । पिछली साल हफीजत गांव के कोली के सिलसिले में सारे कोलियों को बुलाया गया ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : गूजर डाकू नहीं होता । कोई हो सकता है । सारी जाति नहीं हो सकती । यह पुलिस की ज्यादती है ।

(हियर, हियर की आवाज)

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन कर रहा था कि हफीजत गांव में उस कोली के यहां डकैती हुई । डकैत चूंकि जाटव था पुलिस एक सम्पत नाम के आदमी को, जिसकी उम्र 34-35 साल की है, जाटव हरिजन था, पकड़ कर ले गई कैम्प में । उसे रुदावल के कैम्प में रखा गया । पर उसका आज दिन तक पता नहीं है । लाश को कहां डाल दिया है, क्या किया है उसको मार दिया गया है पता नहीं है ।

इसी प्रकार से महाराजसिंह डकैत के बहनोई को पुलिस पकड़ कर ले गई । जरूरी नहीं कि वह भी डकैत ही हो । बाड़ी के कैम्प में नौ महीने रखा गया । उसका बाप मर गया, पशु भी मर गये । वह कभी डकैत नहीं रहा सात आठ साल से उसने महाराजसिंह को देखा तक नहीं । उसके गांव में नहीं गया । बाप के मरने पर उसके क्रियाकर्म के लिये भी उसको जाने नहीं दिया गया । हमने कहा कि उसके लड़के को भेजो । पर कुछ नहीं किया गया ।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, सेवर में कैम्प लगा । किशन डकैत था । किसी से उसका सम्बन्ध नहीं । रिश्तेदारियां नहीं । दूर दूर के रिश्तेदारों को जो जाति से जाटव थे उन सबको पकड़ कर इकट्ठा कर लिया । 18-19 औरतें थीं । एक सत्रह साल की औरत थी । मैं थाने में गया । हमारे कहने के बावजूद 36 दिन तक उसको थाने में रखा गया । आज यह हालत है कि जिस गांव में हम जाते हैं पुलिस आम तौर पर लोगों को, औरतों को, बच्चों को पकड़ती रहती है । उन पर कार्यवाही कुछ नहीं करती । चार पांच कैम्प बना रखे हैं । उनमें एस. पी. क्या आदेश देता है हमें पता नहीं । डी आई.जी. क्या आदेश देते हैं हमें जानकारी नहीं । काफी लोगों को इकट्ठा किया जाता है

(श्री रामकिशन)
पांच सात को रोक लेते हैं किसी तरह रिश्वतें वगैरह लेकर बाकी को छोड़ देते हैं। तो रिश्वतों का बाजार भी आज वहां गर्म है।

उच्चैन कस्बे में मुकुट जी का गांव है। जाटव डकैत उधर हैं तो एक जाटव को पकड़ कर पुलिस ले गई। जब बहुत दिनों तक नहीं छोड़ा तो उसकी मां ने आत्म-हत्या कर ली। वही एक घर भर में कमाने वाला था, जब भूखों मरने लगे घर वाले और पुलिस ने उसको छोड़ने से इन्कार कर दिया तो उसने मकान से कूद कर आत्म-हत्या कर ली। घर में पीछे पांच प्राणी खाने वाले हैं। वे आज भूखों मर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक दो किस्से नहीं हैं। पचासों किस्से हैं, हमारे पास, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भूख हड़ताल पुलिस की इन जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ गृह मन्त्री के खिलाफ राज्य के उप मंत्री शिवचरणसिंह ने की है, वह भूख हड़ताल तो हमें करनी चाहिये थी। हमें यह प्रश्न उठाना चाहिये था। हमने राज्य के सारे अधिकारियों को इन जुल्म और ज्यादतियों के बारे में सूचनाएं दी हैं और बराबर देते रहे हैं। पर न सरकार के मन्त्रियों ने, न मुख्य मंत्री ने और न गृह मंत्री ने और न राज्य के पुलिस अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया है न कुछ किया है इसकी रोक-थाम के लिये। भरतपुर जिले की स्थिति यह है कि डकैतों के नाम पर सारे थाने के सब-इन्सपेक्टर लगे हुए हैं, वहां कोई जनता को शिकायत होती है, चोरी होती है, मारपीट की वारदात होती है तो पुलिस थाने वाले कह देते हैं हमें अभी फुरसत नहीं है, हम तो डकैती उन्मूलन में लगे हैं। इन कारणों से कई थानों में तो इतनी हत्यायें बढ़ गई हैं कि जिनकी कोई सुनने वाला नहीं रह गया है। अब हम तो केवल सरकार से कह सकते हैं कि यह हो रहा है, यह थानेदार अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, इसको हटा दो, उसे सजा दो, इसकी जांच कराओ, इसके अलावा हम और कोई इस सरकार के गृह मंत्री की या पुलिस अधिकारियों की खुशामद तो कर नहीं सकते। सारे तथ्य सामने रख देते हैं। पर इनमें कोई सुनने वाला रह नहीं गया है। नतीजा यह है कि सेवर थाने में होतीलाल नाम का आदमी चार पांच दिन पहले मार दिया गया पुलिस हिरासत में। गृह मन्त्री जी को मुकुटबिहारी-लाल जी ने चिट्ठी लिखी। तो कई मामले हैं इस प्रकार के। यह एक नहीं है।

तो निवेदन करना चाहता हूं कि इन कैम्पों में जो भरतपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में जाति विशेष के साथ अन्याय हो रहा है ज्यादतियां और जुल्म ढाये जा रहे हैं ये बन्द होने चाहियें। इसका दूसरा पक्ष भी है।

इस दूसरे पक्ष के लिये हम सतर्क हैं। डाकुओं के उन्मूलन में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इसके लिये मैं पुलिस को बार बार बधाई भी देता हूं। अच्छे अच्छे गिरोहों को इन पिछले दिनों में इसने साफ किया है। पर साथ साथ यह भी चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली तत्व इन डकैतों को संरक्षण भी दे रहे हैं। राज्य के गृह मन्त्री जी की तरफ से, मुख्य मंत्री की

Page No 66

(श्री रामकिशन)

तरफ से चर्चा भी चलाई जाती है। मुझसे कभी अलग से कहेंगे तो बता दूंगा। पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा कि इस आदमी को मत हटाइये। इसको हटाने के लिये कहने वाले डाकुओं से मिले हुए हैं। पर यह सरकार बहरी है। इसे क्या भय है। उप मंत्री पर आरोप लग रहे हैं और यह सरकार जांच कराना नहीं चाहती उनकी। क्या ये गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि ये बदनाम हो जावें कि ये चोर और डकैतों से मिले हुए हैं। जो पुलिस से उसकी ज्यादतियों से लड़ रहा है, जो साहसी है, वह बदनाम हो जावे। क्या सरकार यह चाहती है कि यह भावना समाज में फैले ? मिलिट्री में जो प्लाटून कमाण्डर था। जिसको थानेदार की हैसियत थी। आज उसके पास कई ट्रक हैं, लारियां हैं, पत्थर की खानों के ठेके हैं। इन सब की पुलिस अधिकारियों को सूचना है। मेरी नहीं है यह सूचना। मैं इन तथ्यों को भी सदन में रखना चाहता हूं। इनके अलावा 3 एग्रीकल्चरल फार्म हैं, स्पिनिंग मिल्स में इनके शेयर्स हैं. रोलिंग मिल में हिस्से हैं। इतना पैसा इनके पास कहां से आया ? यह सब पैसा डकैतों से और एक हंसाराम के मार्फत, महाराजसिंह के सहकारियों के मार्फत आया बताते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन आरोपों की जांच करावे। पुलिस के द्वारा लगाये जा रहे आरोपों की भी जांच करावे और शिवचरणसिंह जी द्वारा पुलिस पर लगाये जाने वाले आरोपों की भी जांच कराई जावे और ये जो पुलिस के अत्याचार इन कैम्पों में हो रहे हैं ये तो सर्व विदित हैं हम भी इनके खिलाफ हैं, इनको तो एकदम बन्द कर दिया जाना चाहिये और अब जो डकैत हैं और जो प्रभावशाली आदमी हैं उनके खिलाफ प्रभावशाली कार्यवाही की जानी चाहिये।

(2 म. प.)

लेकिन साथ साथ उप मन्त्री के सम्बन्ध में जितनी बातें कही जा रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मैं केवल उस सन्दर्भ में कह रहा हूं जो कि सारे मन्त्रि-मण्डल के बारे में है। मैंने पूछा चर्चा कैसी चल रही है। कहते हैं यह सब ऊपर से चलाया जा सकता है। सुखाड़िया जी कहते हैं अगर कार्यवाही की गई तो सरकार टूट जाएगी। सरकार नहीं चल सकेगी। तथ्यों की सफाई जभी होगी जब जांच होगी। यह समस्या धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों की प्रमुख समस्या है। हमेशा शिकायत की स्थिति रहती है। यह हल की जानी चाहिए। जिनका सम्बन्ध रहा हो, उन्हें ही पकड़ा जाये। जाटों को पकड़ा, जाटवों को पकड़ा, लेकिन किसी ब्राह्मण को नहीं पकड़ा है। आज भरतपुर जिले के क्षेत्र में डकैतियों में कुछ रिलीफ मिला है। नदबई थाने में डकैती हुई। थानेदार ने कहा कि हम जांच नहीं कर सकते हैं। हम पैसा देते हैं। हम थाने के ट्रान्सफर में पैसा देते हैं। यह सच है। एस. पी. कहते हैं कि हम डकैतियों में फंसे हुये हैं। एस. पी. तो यह कहते हैं लेकिन थानेदार इनक्वायरी नहीं कर रहा है। मैंने गृह मंत्री जी से भरतपुर के थानेदार के बारे में कहा कि वह रिश्वत लेता है तो उन्होंने कहा, मजाक में कहा, कि मैं उससे कह दूंगा कि रिश्वत लें तो सही लेकिन रामकिशन की मारफत हो लें। टेलीफोन पर यह कहा। भरतपुर में कभी

(श्री रामकिशन)

ऐसा नहीं हुआ है। नदबई में कत्ल हुआ। समेरी थाने में कत्ल हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जगह जगह कत्ल हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा। लोगों को गांव गांव पकड़ा जा रहा है। कई मर गये हैं। कैम्पों में औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं। जिन लड़कों की शादी होकर आई है, उनकी औरतों को ले लिया है। औरतों को भीतर ले गये उनको बाहर बैठा दिया। सेवर थाने के महुआ गांव में शादी हुई। सेवर कैम्प में दूल्हे को बाहर बैठा लिया गया। आज वहां यह स्थिति बनी हुई है। सरकार मजबूती से दखल दे। श्री शिवचरणसिंह ने भूख हड़ताल से जो कदम उठाया है, वह उचित कदम उठाया है। अगर शिवचरणसिंह डकैतों से मिले हुए हैं तो डागा जी और मोदी जी जरूर बतलाएं कि और कौन डकैतों से मिले हुए हैं? कैसे कैसे पैसा आता है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उप मन्त्री शिवचरण सिंह के उपवास पर राजस्थान की जनता के सामने आज जो स्थिति पैदा हो गई है, यह शिवचरणसिंह उप मंत्री इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इस राजस्थान सरकार की नकम्मी नीति के विरुद्ध उन्होंने जो अनशन किया है। आज राजस्थान की जनता यह महसूस कर रही है कि इस सरकार के हाथों में जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है। आये दिन ऐसा क्यों होता रहता है? जनता की सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। गंगानगर में 4 महीने आन्दोलन के दौरान कोई घटना नहीं घटी। ज्योंही आन्दोलन धीमा हुआ रोजाना कत्ल होते हैं। अनूपगढ़ में हजारों बीघा जमीन अधिकारियों ने पुलिस के जरिये हजारों नाजायज कब्जे पकड़े हैं। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस के आई. जी. का लड़का बन्दूक लिये फिरता है। कितने ही आदमियों को खत्म कर दिया है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। आये दिन यह होता है शिवचरणसिंह ने उप मंत्री होते हुए यह अनशन किया है, यह इस बात का प्रमाण है कि यह राजस्थान सरकार बिल्कुल निकम्मी है। राजस्थान की जनता की जान माल की सुरक्षा इसके हाथों में नहीं है। राजस्थान सरकार पुलिस अधिकारियों पर जिन्दा रहना चाहती है। जैसे कि जौहरी बाजार में गोली चलवाई। उन आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट आई। उनको भेजा गंगानगर में भेज कर गोली चलवाई। यह कितनी शर्मनाक बात है। राजस्थान की दो करोड़ जनता को यह सरकार इस तरह से धोखा नहीं दे सकती है। क्योंकि यह प्रमाण है कि इस प्रकार से राजस्थान के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आये दिन ऐसे काण्ड होते हैं। सुनवाई नहीं होने पर उप मन्त्री भूख हड़ताल करे, इससे बड़ी और शर्मनाक क्या बातें हो सकती है? मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि इन्होंने त्याग-पत्र दिया। उस पर सुनवाई नहीं हुई। आखिर भूख हड़ताल की। यह सही था या गलत था, लेकिन यह सही है कि राज्य में उप मन्त्री की बात नहीं सुनी गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्री को फौरन त्याग-पत्र दे देना चाहिए। यह इस लायक नहीं है। मुख्य मंत्री

(श्री रामचन्द्र आर्य)
को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। राजस्थान की जनता की सुरक्षा नहीं है। आने वाला जमाना यह देखेगा कि किस प्रकार से तुम्हारे राज्य में किस प्रकार लोगों को कत्ल किया गया है, अपहरण हुआ है। डाकू का इलजाम लगा कर लोगों का कत्ल हुआ है, यह जांच होगी। इस प्रकार की घटनाएं हमेशा आती रही हैं। यह भी इलजाम लगा दिया है। मैं यह भी इलजाम लगाता हूं कि गृह मन्त्री के कारण राजस्थान पुलिस ऐसा कर रही है। अभी भी इन्होंने इस वाइ-इलेक्शन में पुलिस का डट कर साथ लिया और खुले आम प्रशासन का ताण्डव नृत्य कराया और लोगों को दबा दवा कर उनसे वोट लिये गये (शोरगुल-व्यवधान) आप इस प्रकार मुझे रोक नहीं सकते····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको क्या मिलने वाला है ? इनकी चिलम भरने से आपको क्या मिलने वाला है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार आज खुले आम लोगों की हत्या करवा रही है। गृह मंत्री जी की लापरवाही से नोहर के कस्बे के अन्दर एक सिन्धी को सरे आम मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, लेकिन उस केस में मुलजिम को आज तक नहीं पकड़ सकी है पुलिस। इस प्रकार के अनेक केसेज उनके सामने आते हैं, आये दिन अधिकारियों के तबादले टेलीफोन से होते हैं। गृह मंत्री और मुख्य मंत्री ने इस प्रशासन को झकझोर दिया है। गृह मंत्री और मुख्य मंत्री प्रशासन को नहीं चलने देते हैं। यह बाकी के मंत्री तो नाम मात्र के मंत्री हैं। यह शोभाराम जो बैठे हैं। राजस्थान कैनाल के कमिश्नर का तबादला कोई समस्या का निराकरण है ? उसको तो सस्पेन्ड करना चाहिए था क्योंकि उसके रिश्तेदार ने सैंकड़ों मुरब्बे पर नाजायज कब्जा किया। इससे सम्बन्धित जो तहसीलदार हैं और एस. इ. है उनको सस्पेन्ड करना चाहिए। लेकिन शोभाराम जी की नहीं चलती है····

श्री रामनारायण चौधरी : सबूत क्या है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आज चलती है मुख्य मंत्री जी की। मैं समझता हूं कि लानत है ऐसे मंत्रि-मंडल में मंत्री रहना क्योंकि इस प्रकार के प्रशासन में रह कर अपने आपको निर्दोष नहीं कह सकते, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जो जुल्म करते हैं उसमें उनका साझा है। शोभाराम जी आप कितने भी ईमानदार बने फिरें लेकिन राजस्थान की दो करोड़ जनता की नजर में आप उतने ही गुनहगार हैं जितने गृह मंत्री या मुख्य मंत्री हैं। मैं यह कहूंगा, यह प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता का जन-जीवन आज किसके हाथों में सुरक्षित रह सकता है ? इस प्रकार की परिस्थितयों में यह क्या सम्भव है कि हमें न्याय मिलेगा ? मैं तो यह कहता हूं कि इस सरकार के होते हुए कि जनता के किसी भी आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है। इसका प्रमाण है, उप मंत्रीजी ने आज इस राजस्थान सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करके इसे प्रमाणित किया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ? अगर उप मंत्री जी गुनहगार हैं तो इनके खिलाफ केस चलाओ, खुली अदालत

(श्री रामचन्द्र आर्य)
लगाओ। लेकिन कौन करेगा एन्क्वायरी ? आप सी. बी. आई. के हाथों में यह एन्क्वायरी दीजिये। राजस्थान की कोई पुलिस, राजस्थान का कोई सरकारी अधिकारी इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ एन्क्वायरी नहीं कर सकता। इसलिए यह एन्क्वायरी सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। वही ढाक के तीन पात हैं। आप जो कुछ करेंगे, आपके खिलाफ जो रिपोर्ट आयेगी तो जिस प्रकार बेरी कमीशन की रिपोर्ट को दबाया गया उसी तरह से उसे दबा देंगे। मेरा तो यही निवेदन है इस सदन से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऐसी सरकार, जो राजस्थान की दो करोड़ जनता के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, की निन्दा करनी चाहिए, इनकी सार्वजनिक रूप से निन्दा करनी चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए और राजस्थान के कोने कोने में जाकर इनके खिलाफ बगावत पैदा करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के बदमाश लोगों को संरक्षण नहीं मिले। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर दो प्रकार के मुद्दे सदन के सामने आये हैं। पहला मुद्दा तो यह है, राजस्थान में पुलिस द्वारा डाकू विरोधी अभियान के सम्बन्ध में जो ज्यादती की गई हैं उन ज्यादतियों का निराकरण किया जाय। दूसरे प्रकार का प्रश्न इस प्रकार उपस्थित होता है—डाकू विरोधी अभियान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही में माननीय उपमंत्री का सहयोग है या उससे असहयोग है? और इससे आगे बढ़ कर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस प्रकार के डाकुओं से माननीय उप मंत्री की कोई सांठ-गांठ है ? इस प्रश्न को लेकर माननीय उप मंत्री ने भूख हड़ताल की है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम राजनैतिक क्षेत्र से साम्प्रदायिकता के उन्मूलन की चर्चा करते हैं, जब साम्प्रदायिकता का प्रश्न विधान सभा में खड़ा होता है तो कई माननीय सदस्य विचार प्रकट करते हैं कि साम्प्रदायिकता का प्रचार खत्म होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता जा रहा है कि न केवल राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर जातीयता का प्रभाव बढ़ रहा है, बल्कि अराजक तत्वों के अन्दर भी जातीयता का प्रभाव बढ़ रहा है। आज डाकुओं में भी कोई राजपूत डाकू है, तो कोई गूजर डाकू है और ब्राह्मण डाकू है और आज स्थिति ऐसी है कि राजपूत राजपूत डाकू का समर्थन करता है, गूजर गूजर डाकू का समर्थन करता है और ब्राह्मण ब्राह्मण डाकू का करता है ...

श्री रामकिशन : ब्राह्मण नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : सुनिये। लोगों में इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हुई है, उस भ्रान्ति के कारण न डाकू का भला हो सकता है, न उस भ्रान्ति के कारण राजस्थान की जनता का भला हो सकता है। उसमें यह भी भ्रान्ति का कारण कई बार बनता है, अगर गूजर जाति के डाकू को पता लगे कि किसी ब्राह्मण ने उसका विरोध किया है तो उस गूजर डाकू का शिकार ब्राह्मण बनेगा, अगर गूजर जाति के डाकू को पता लगे कि

(श्री भैरोंसिंह)

उसका विरोध किसी राजपूत ने किया है तो राजपूत उसका शिकार बनेगा । इस प्रकार से एक जाति के डाकू के शिकार दूसरे जाति के हों, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर हिंसा करने पर उतारु हो जाय तो यह जातीयता का गम्भीर मामला है । अगर इस प्रश्न को ढीला छोड़ा या इसका उन्मूलन नहीं किया तो जो राजस्थान में डाकुओं के माध्यम से जातीयता का विषेला प्रचार बढ़ रहा है वह राजस्थान की जनता के हित में कष्टदायक बनेगा । यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस प्रश्न को, मैं समझता हूं, ज्यादा उभारने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । यह सरकार के समझने का प्रश्न था, जो मामला जातीयता के आधार पर गम्भीर बनता जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। वह कहां तक सही है, कहां तक नहीं—यह मैं नहीं कहता, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे कि राजपूत, ब्राह्मण और गूजर इन जाति के डाकुओं ने डाके डालना शुरू किया तो एक हरिजन डाकू भी पैदा हो गया और उसने फैसला कर लिया कि जो हरिजन पीड़ित है उन हरिजन पीड़ितों को संरक्षण देने के दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों में वह डाका डालेगा जहां पर यह तीनों जाति के डाकू डाका नहीं डालते हैं । उसने यह अभियान चालू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद में वह पकड़ा गया । लेकिन आज जातीयता के आधार पर जो डाकू संगठन चल रहे हैं उनका खात्मा करने में यह सरकार असफल रही है यह बात सही है । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, भरतपुर जिले में और कोटा जिले में डाकुओं का उत्पात चल रहा था उसका पिछले डेढ़ साल, दो साल से खात्मा हुआ है, उसमें कुछ कमी आई है-तो यह निश्चित बात है कि पुलिस अधिकारियों ने कोशिश करके डाकुओं की कार्यवाही को रोकने की चेष्टा की है । लेकिन प्रश्न यह आता है कि माननीय उप मंत्री जी ने पुलिस पर आरोप क्यों लगाये ? आज वह ऐसे आरोप लगाते हैं कि निरपराध व्यक्तियों को पकड़ा गया, लोगों से रिश्वतें ली गई तो, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दो बातों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने भी उनके इन दोनों आरोपों को सही स्वीकार किया है । यह कैसे स्वीकार किया है । मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान पत्रिका में 10 मई, 1970 का वक्तव्य छपा है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं बाकी की चीजों में नहीं जाता, इसमें आगे है :

"महा निरीक्षक, आरक्षि, सुल्तानसिंह ने कहा, डाकू उन्मूलन अभियान में जो निर्दोष पकड़े गये हैं उनको तत्काल रिहा किया जाय"।

इसका मतलब यह है कि उप मंत्री जी जो आरोप लगा कर चलते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । यह तथ्य है और इसको आई. जी. ने स्वीकार किया है कि जो निर्दोष व्यक्ति है उनको रिहा किया जाय । यह एक तथ्य है जो उप मंत्री ने इस सदन में और इस सदन के बाहर प्रस्तुत किया था, वह पुलिस अधिकारियों के कथन के अनुसार सही तथ्य था । सही था तो यह सरकार के

(श्री भैरोंसिंह)

विचार करने का प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रकार की ज्यादतियां पुलिस के मार्फत क्यों हुई ? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत ली या नहीं ? उस सम्बन्ध में भी एक पुलिस के अधिकारी के वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 10 मई करोली में यह वक्तव्य दिया है, उसमें सवाई माधोपुर के पुलिस एस.पी. के नाम से वक्तव्य छपा है, उसमें लिखा है :

"अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों की नहीं रिश्वत की शिकायत जरूर है" ।

तो उनके आरोप दो बातों के थे, एक तो निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई—इस बात को आई. जी. पी. ने स्वीकार किया है और रिश्वत ली जाती है इसको एस. पी. ने स्वीकार किया है । यह दोनों तथ्य हैं पुलिस के हिसाब से यह सही बात साबित होती है तो उप मंत्री जी की जो शिकायत है उसके बारे में सन्देह नहीं हो सकता कि लोगों के साथ ज्यादती हुई है—इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । अब उप मंत्री जी ने कदम उठाया उसके औचित्य की बात मैं आगे कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वह पुलिस के कथन के अनुसार सही साबित होते हैं ।

तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इनके विरोध में आरोप लगाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि यह आरोप कोई विरोधी सदस्य बैठ कर नहीं लगाते हैं—यह आरोप जनता में इस प्रकार लगाये जा रहे हैं कि किसी आदमी को पूछे तो वह निश्चित रूप से कहेगा कि डाकू उन्मूलन हो जाता लेकिन उनको उप मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिये नहीं हो रहा है । इसमें भी समझना चाहिये कि यह बात यहां तक ही सीमित नहीं है, जनता के लोग कहते हैं, विधायक भी कहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है और जो शिवचरण जी ने वक्तव्य दिया है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह बात अपने आप में प्रमाणित होती है । यह वक्तव्य राष्ट्रदूत में छपा है । करोली 10 मई :

"जब उनसे पूछा गया कि एक मंत्री होने के नाते अपनी ही सरकार के विरुद्ध अनशन जैसा कदम उठाना क्या आपकी दृष्टि में उचित है, तो उप मंत्री ने कहा कि उनका यह अनशन व्यक्तिगत रूप में था । श्री शिवचरणसिंह ने संवाददाताओं को बताया...."

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे पढ़ रहा हूं :

"श्री शिवचरणसिंह ने कहा कि उनके विरुद्ध यह भी प्रचार करने का प्रयास किया गया कि उनका डाकुओं से सम्बन्ध है । इस पर उन्होंने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिख कर यह अनुरोध किया कि पुलिस सूत्रों के हवाले से उनके विरुद्ध जो प्रचार किया जा रहा है उसकी खुली जांच कराई जाय ।" इसका मतलब न केवल यह है कि केवल जनता ही इस बात का प्रचार कर रही है । बल्कि पुलिस सूत्रों का और पुलिस अधिकारियों का भी इस प्रचार में हाथ है और वह दुनियां को और सरकार को यह बताने की कोशिश कर रही है कि डाकुओं को संरक्षण देने में श्री शिवचरणसिंह का हाथ है । ऐसी स्थिति में उन्होंने मांग की

(श्री भैरोंसिंह)

थी कि इस प्रकार से पुलिस सूत्रों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उसकी राज्य सरकार जांच कराये। राज्य सरकार को भी चाहिये कि एक उप मंत्री पर पुलिस सूत्रों द्वारा जब इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि इनकी डाकुओं के साथ सांठगांठ है, जांच कराये। तो इनके कहने के बावजूद भी सरकार ने उसकी जांच कराई या नहीं ?

इसी के साथ साथ गृह मंत्री जी को इस बात का पता है कि एक पंचायत समिति की जीप डाकुओं को भोजन पहुंचाने के लिये काम में ली गई जिसकी लोग-बुक सरकार ने जप्त की है। क्या आपने उसकी जांच की है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति के अधिकारियों ने उस जीप को किस प्रकार से उपयोग में लिया इसकी जांच की है ? पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी लोग बुक को देखने से पता पड़ा कि पुलिस जीप का उपयोग किया गया और उस जीप के साथ उप मंत्री का नाम जोड़ दिया। मैं मुख्य मंत्री जी आप से पूछना चाहता हूं डाकू गरीबों को लूट रहे हैं आज वे लोग इज्जत से वहां रह नहीं सकते वैसी स्थिति इस डाकू उन्मूलन अभियान के नाम पर पुलिस के डाकू वहां के लोगों का शोषण करेंगे। आपने क्या इस प्रकार की इनको इजाजत दी है ? लाखों रुपया आप इन पर खर्च करते हैं ये ही सूत्र आपके इस बात का भी प्रचार कर रहे हैं कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह उप मंत्री की उपस्थिति में हो रहा है, क्या इन बातों की जांच नहीं कर सकते ? क्या आप इसी तरह से वहां की डाकुओं की समस्या का समाधान करना चाहते हैं ?

श्री शिवचरण जी की डाकुओं के साथ सांठ-गांठ है यह जो आरोप उन पर है इस बारे में सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि डाकुओं को संरक्षण देने वाले उप मंत्री को आप सरकार में न रखें। आपको इस बात की जानकारी मिलने के बाद भी उनको आपने सरकार में रख रखा है यही आपका प्रशासन है ? इसका मतलब तो यह हुआ डाकुओं की सांठ-गांठ से आप प्रशासन को चलाना चाहते हैं। इसी बिना पर आप जनता से यह चाहते हैं कि वह डाकू-उन्मूलन में आपका सहयोग करे ? आज वहां की जनता चिल्ला रही है, डाकू उनको घर से बाहर निकलने नहीं देते, उनको इज्जत की जिन्दगी बसर करने नहीं देते, बहू-बेटियों की इज्जत वहां सुरक्षित नहीं है। पुलिस वाले डाकुओं से मिले हुए हैं, सरकार उनको उन्मूलन करने में बाधक बनी हुई है। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार के सम्बन्ध में, जो सूचनायें पत्रों में छपी हैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। जब मुख्य मंत्री जी से उन्हीं की सरकार के उप मंत्री की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में पत्रकारों ने पूछा कि आप इसको उचित समझते हैं तो उनका कहना था कि मैं इसको उचित नहीं मानते। जिस चीज को वे अनुचित मान कर चलते हैं तो उस अनुचित कार्य को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की है ? उप मंत्री की भूख हड़ताल को वे अनुचित मानते हैं तो उन्होंने अब तक इनको सरकार में क्यों रख छोड़ा है ? राज्य सरकार भी यह मानती है कि पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तो वैसी हालत में उन पुलिस अधिकारियों

(श्री भैरोंसिंह)

को सजा मिलनी चाहिये जिन्होंने रिश्वतें ली हैं। इसके अलावा पुलिस वाले जिनके विरोध में प्रचार कर रहे हैं कि ये डाकुओं से मिले हुए हैं क्या उस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जाकर कोई तथ्य सामने लाये गये हैं? अगर उसमें श्री शिवचरण सिंह जी को दोषी पाया गया है तो उनको मंत्रि-मडल से क्यों नहीं निकाला गया? ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके कारण जनता में शंका का होना जरूरी है। इससे यह भी जनता में प्रचार है कि उप मंत्री जी की सांठ-गांठ डाकुओं से है और ये ही डाकुओं के उन्मूलन के अभियान में रोड़ा अटकाते हैं। मुख्य मंत्री में यदि हिम्मत है तो वे इन उप मंत्री को बरखास्त करें या इनको गिरफ्तार करके जेल के सीकचों के हवाले करें। ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं इसी नाते उन्होंने यह हिम्मत की है और मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को चनौती दी है। आपमें हिम्मत है तो इनकी चनौती को स्वीकार कीजिये। यह सही है कि इनकी भूख हड़ताल ने जनता में जागरण पैदा किया है, इन्होंने पुलिस के गन्दे कारनामों को खोल कर रखा है, लेकिन पुलिस ने जो इनके ऊपर आरोप लगाये हैं उसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वे इस बारे में जांच करवाये। ऐसे पुलिस अधिकारियों के नाम बताये जायं जिन्होंने उप मंत्री महोदय का नाम इसके साथ जोड़ा है। इन बातों को इस तरह से जनता के सामने रखा गया है जातीयता के आधार पर डाकुओं का संगठन बना हुआ है। मैं समझता हूं यह केवल संगठन जातीयता के आधार पर डाकुओं में ही हो ऐसी बात नहीं राजनैतिक आधार पर भी इन जातीय संगठनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज इस प्रकार के संगठनों को बढ़ावा दिया गया तो आगे जाकर ये ही संगठन जिस प्रकार की आज देश की स्थिति चल रही है उसमें ये ही नक्सलवादी रूप धारण करके गली-गली और गांव गांव में फैल जायेंगे और देश में इस प्रकार की अराजकता पैदा कर देंगे जिसको संभाल पाना सरकार के लिये मुश्किल हो जायगा। अगर ऐसे संगठनों को राजनैतिक संरक्षण मिलेगा तो यह जनता के लिये अभिशाप साबित हो जायेंगे। इस लिये सरकार को चाहिये कि बिना किसी हिचकिचाहट के उप मंत्री के खिलाफ जो पुलिस का आरोप है उसकी जांच करानी चाहिये और उसके बाद जो वास्तविक स्थिति सरकार के सामने आये उससे सदन को अवगत कराना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन दो तीन माननीय सदस्यों के वक्तव्य को सुन कर मैं यह अनुभव करता हूं कि मैं भी अपने दल की ओर से दो शब्द निवेदन करूं।

यह चम्बल रेवीन्स हैं इसका एक इतिहास है और जहां तक मुझे मालूम है सौ वर्षों का इतिहास है वहां पर डाकू पनपते हैं, मारे जाते हैं और फिर पनपते रहते हैं यह वहां की रेकरिंग डिसीज सी है। इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखे बिना नहीं रहा जा सकता। जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न है यह निर्विवादित बात है कि यह सरकार का प्रश्न है, सरकार का अन्दरूनी प्रश्न है। इसके अन्दर हम लोगों को विशेष, खास तौर से देश की परिस्थिति को देखते हुए, दखल नहीं करना चाहिये। किन्तु साथ-साथ एक तरफ सरकार के उप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मंत्री पर संगीन और गंभीर आरोप लगाये गये हों, वहां जनतन्त्र की परम्परा को देखते हुए सरकार के उप मंत्री ने भूख हड़ताल क्यों की यह दरियाफ्त करने का काम सरकार का है। इसके साथ-साथ पुलिस की ज्यादती होना कुछ हद तक स्वाभाविक है। इसको चाहे जो कुछ सरकार करे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिनके वक्तव्यों और विचारों को मैंने सदैव मान किया है और मान करता आया हूं उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाये हैं पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में मैं समझता हूं आधुनिक दृष्टिकोण से आज की सदी में वह अशोभनीय ही नहीं अत्यन्त घृणित हैं। सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की पुलिस की ज्यादतियां वहां की जनता के साथ हो रही है जिनको लेकर माननीय उप मंत्री जी ने भूख हड़ताल की है दूसरी और उन पर भी आरोप लगाये गये है तो उनके लिये सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यह होगा कि वे सरकार से त्याग-पत्र दें। और त्याग-पत्र देने के पश्चात् यह सरकार से मांग करें कि उनके आचरण के सम्बन्ध में जांच कराई जावे। अगर वे इससे बरी होते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ कर कोई भी सदस्य इस सदन के सम्मुख श्रेष्ठ उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकता।

ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम तो मैं यह कहूंगा कि यह जो चर्चा हुई है इसको सरकार नजरन्दाज नहीं करे और उसके साथ साथ माननीय उप मन्त्री महोदय को भी यह कहूंगा कि उनके सम्बन्ध में भी जो आरोप लगाये गये हैं उनको देखते हुए उनके लिये सम्मानीय तरीका केवल मात्र एक ही रह जाता है जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा को मद्दे नजर रखते हुए कि त्याग-पत्र देकर यह मांग करें कि उनके आचरण के सम्बन्ध में जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : बीच में मेरा एक निवेदन है कि इसमें सरकार का उत्तर भी पहले आ जावे नहीं तो फिर दो घण्टे का बहाना लेकर सरकार चुप ही न रह जावे। उप मन्त्री शिवचरण जी को बोलने का भी प्रोवीजन इसमें रखा जाना चाहिये, इस डिबेट में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो उपाध्यक्ष महोदय सदन में आज एक अद्भुत बात पर चर्चा हो रही है। यह प्रजातन्त्र के इतिहास में पहला अवसर है कि जब एक डिप्टी मिनिस्टर ने सरकार का सदस्य रहते हुए सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भूख हड़ताल की हो। ऐसी मिसाल दुनिया के किसी प्रजातन्त्र में नहीं मिलेगी।

श्री नत्थीसिंह : सिवाय बंगाल को छोड़ कर जहां मुख्य मन्त्री ने भूख हड़ताल की थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक तरह का सेंसर मोशन था। पर वह तो डाकुओं

Page No 75

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
की सरकार है। मुख्य मन्त्री होते हुए भी कहते थे कि यह डाकुओं को सरकार है।

इस तरह से डिप्टी मिनिस्टर ने जो भूख हड़ताल की है और जिस मुद्दे पर की है, उससे स्पष्ट है कि उनका इस सरकार में अविश्वास है और उनका यह कहना है कि यह डाकुओं के विरुद्ध अभियान नहीं है बल्कि जनता पर अत्याचार कराने वाली सरकार है। यह पुलिस जुल्म है पुलिस की रिश्वत खोरी की भूख मिटाई जा रही है। यह होम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर में परस्पर संघर्ष की कहानी है और ये दोनों ही साथ साथ इस सरकार में बैठे हुए हैं यह और भी विचित्र बात है। अगर उनका यह अभियोग सही है कि पुलिस अत्याचार कर रही है और रिश्वतखोरी कर रही है, जनता को सता रही है तो गृह मन्त्री को इस अभियोग पर इस्तीफा दे देना चाहिये इस सरकार से और अगर उप मन्त्री गलत हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। फिर पुलिस का कहना सही है कि ये डाकुओं से मिले हुए हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर पुलिस का यह अभियोग सही है तो डिप्टी मिनिस्टर को तुरन्त हटा कर उन पर अदालत में खुला अभियोग चलाया जाना चाहिये और जेल भिजवा देना चाहिये। पर मैं समझता हूं यह सरकार इन दोनों कामों में से एक भी करने वाली नहीं है।

टोंक में एक विचित्र बात हुई साला-बहनोई को हरा दे यह तो समझ में आता है, पर बहनोई ने साले को हरा दिया। यह एक विचित्र बात है, तो राजस्थान में विचित्र बातें होती रहती हैं। डिप्टी मिनिस्टर सरासर क्लीयर कट चार्ज पुलिस पर लगाये और यह सरकार उसकी भी जांच नहीं कराए यह सरासर आश्चर्य की पराकाष्ठा है। भूख हड़ताल आदमी तभी किया करता है जब उसके सारे और प्रयत्न बेकार हो जाते हैं।

अब सिर्फ बात यह थी कि उनको स्तीफा देकर फिर भूख हड़ताल करनी चाहिये थी। सरकार में बैठ कर उसके ही खिलाफ भूख हड़ताल यह गलत है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो सरकार एक अपने डिप्टी मिनिस्टर की नहीं सुनती, वह क्या किसी एम. एल. ए. को सुनेगी और क्या जनता की बात सुनेगी? इससे बढ़ कर प्रजातन्त्र की खिल्ली और क्या हो सकती है? यह प्रजातन्त्र की सरकार तो फिर नहीं कही जा सकती। डिक्टेटरशिप है यह तो। यह जनता की सरकार कहां से आई? इस सरकार के राज में तो इसके डिप्टी मिनिस्टर तक की सुनवाई नहीं हो सकती। यह तो वंडरफुल बात राजस्थान में ही हो सकती है।

राजस्थान का होम मिनिस्टर भी वंडरफुल है। एक मुंह से कह दिया राजस्थान में नक्सलपन्थी पैदा हो गये हैं, उनके दमन के लिये कानून बनाने का ऐलान भी कर दिया। पर तुरन्त ही थोड़े से समय में चुनावों के वक्त दूसरे मुंह से कह दिया कि अब कानून बनाने की जरूरत नहीं, हमने नक्सलपन्थियों को समाप्त कर दिया। यह उनकी वण्डरफुल उपलब्धि है। मैं तो भारत सरकार से उनके लिये सिफारिश करता हूं कि इस तरह से जादू की तरह नक्सलपन्थियों को समाप्त करने वाले होम मिनिस्टर को तो प्रोमोशन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

देकर गवर्नर बना कर बंगाल में भेज देना चाहिये। ये वहां के नक्सलपन्थियों का तुरन्त खात्मा कर देंगे। ये कांग्रेस के लिये बहुत आवश्यक व्यक्ति हैं। सरकारी अधिकारियों ने फायरिंग में इनकी मदद की इन्होंने उनको प्रोमोट कर दिया। तो इसी तरह से ये चुनाव में भी माहिर हैं। वहां कांग्रेस को चुनाव में जिता भी देंगे और अपने यहां के ऐसे एक्सपर्ट अधिकारियों को वहां बुला कर सारा मामला ठीक कर देंगे।

तो अगर कांग्रेस को बंगाल को बचाना है तो इनको वहां भेज दो।

श्री भैरोंसिंह: फिर चव्हाण क्या करेंगे ?

श्री नत्थीसिंह: वे नकली हैं। असली तो ये बैठे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद: इलेक्शन जिताने में भी ये होशियार हैं। वहां कांग्रेस की मेजोरिटी बना देंगे। ये तो इन मामलों में राजस्थान के लोग ही एक्सपर्ट हैं। और कोई नहीं हैं। होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री इसमें अपनी तारीफ समझ रहे हैं। राजस्थान में उनके कारण कमाल हासिल होता रहा है। आगे भी होता रहेगा। जब तक ये हैं।

तो सही बात तो यह है कि जब डिप्टी मिनिस्टर और पुलिस के बीच का झगड़ा यह है तो इसकी जांच सी. बी. आई. से करानी चाहिये। आप कहते हैं राजस्थान में जांच राजस्थान की सरकार से ही करानी चाहिये। पर मैं बताऊं झालावाड़ में जांच की बात आई तो एक अधिकारी को जांच के लिये भेज दिया। जांच ही नहीं हुई, और रिपोर्ट मंगवा ली। एम. एल. ए. को मौके पर नहीं देखा। कुछ नहीं किया। अब बताएं आप। राजस्थान का कौनसा विभाग किस से कम है। सब एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। ये तो सारे विभाग और मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एक से चढ़े बढ़े हैं। यहां कोई अन्याय, अत्याचार की बात नहीं है। राजस्थान में तो उनका राज्य है। जनता का राज्य नहीं है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। तीस तीस आदमी लिख कर दें तो उनकी सुनाई नहीं होती। डिप्टी मिनिस्टर तक को मजबूर होकर भूख हड़ताल करनी पड़ी। जनता और विरोधी पक्ष वाले समझेंगे कि राजस्थान में यह क्या हो रहा है। मैं कहता हूं इसके सिवाय अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, किसी थाने पर जायें तो वहां लिखा देखते हैं, 'जन रक्षा गृह'—'मेरे योग्य सेवा'। लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह उससे उलटा हो रहा है। आपसे मैं यह फिर कहूंगा कि जितनी देरी आप शराब बन्दी में करेंगे, उतना हो पापाचार बढ़ेगा। आप ऐसा कीजिए जो कि सब को रास्ता दिखाये। उसके लिए आप शराब बन्दी कीजिए। श्री शिवचरणसिंह जी ने उपवास किया तो मुझे आश्चर्य हुआ वह जा सकते थे मुख्य मन्त्री के द्वार पर जिस तरह से उन्होंने उपवास किया उससे मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने दोनों स्टेटमेंट अखबारों में पढ़े। जब श्री शिवचरणसिंह उपवास करते हैं तो लोगों के मन में शंका

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

होती है। चारों तरफ यह फैला हुआ है कि डिप्टि मिनिस्टर ने उपवास किया। लोग कहते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर ने उपवास किया? अगर यह सच है तो उनके द्वारा लगाये गये आरोप पुलिस के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर किसी का आप सीधे ट्रांसफर करते हैं, तो यह उचित नहीं है। यह डे टू डे सीधे ट्रांसफर करना प्रशासन में पार्टी का अनुचित हस्तक्षेप है। पार्टी का डे टू डे दखल है। यह कितनी चिन्ता की बात है? जब किसी सब-इन्सपेक्टर को बाला-बाला आप भेज देते हैं तो कार्य कैसे होगा? पुलिस वाला रिश्वत खाता है। भावना शुद्ध नहीं हैं और सुरा, सुन्दरी और सट्टा, पुलिस में तीनों बातों का जोर है। जब तक यह दूर नहीं करेंगे तब तक 'जन-रक्षा गृह' और 'मेरे योग्य सेवा', यह नहीं हो सकता है। शिवचरणसिंह ऐसी हालत में फंस गये हैं कि निगलते हैं तो मरते हैं और उगलते हैं तो मरते हैं। यह तो आप इनसे कहें कि बाहर आयें इस्तीफा देकर। मैं यह नहीं कहता हूं कि धन कैसे बढ़ गया है? आजादी के पहले कई लोगों के बीस बीस चेकाने लगाते थे, उनके आज बंगले हैं, कारें हैं, औरतें सोने से पीली हो रही हैं। यह गलत बात है। पार्टी के दखल से देश को बचाना है। डे टू डे जो हस्तक्षेप है उसको बन्द किया जाये। अगर पुलिस को निर्दोष करना है यह शिवचरणसिंह जी को निर्दोष सिद्ध करना है तो जांच करायें। रामकिशन जी ने बधाई दी है। मैं भी बधाई देता हूं। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति जभी कायम हो सकती है। नहीं तो बंगाल वाली स्थिति पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : दो बजे सरकार की ओर से उत्तर देना प्रारम्भ होगा।

श्री नत्थीसिंह : मैं माननीय उप मन्त्री जी के कुछ अनुभव सुनना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह उप मन्त्री पर है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर ऐसी व्यवस्था रख दें कि शिवचरण सिंह अपने अनुभव स्वयं रखदें और हम भी रख दें तो सदन का समय बचेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपनी बात कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय दे दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवचरण सिंह को भूख हड़ताल से कई प्रश्न सामने आये हैं। कुछ मौलिक प्रश्न सामने आये हैं। इस सरकार की पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की है, यह सबसे पहला मौलिक प्रश्न है। जिस सरकार की मशीनरी को वह भ्रष्ट समझते हैं। क्या उनका यह नैतिक कर्तव्य था कि वह उसके अन्दर बने रहें। शिवचरण सिंह जी अगर आप सरकार को भ्रष्ट समझते हैं, पुलिस के अत्याचारों को नाजायज मानते हैं, तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि आप एकदम हट जायें।

Page No 78

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : आप की भी बारी आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रि मण्डल की ज्वाइण्ट रिस्पांसिबिलटी हुआ करती है। एक नियम हुआ करता है। क्या मुख्य मन्त्री का कोई दायित्व नहीं है ? हमारे नेता साथी रामकिशन ने बताया है, पुलिस कैम्पों में कितना अनाचार, पापाचार हुआ है, लोगों को सताया गया, पीटा गया। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है। अगर आप चाहे तो हम सैकड़ों लिस्टें आप के सामने पेश कर सकते हैं। ये मामले कैसे चलते हैं, एक मिनिट में आपको बताऊं। कैम्पों में बैठे हुए लोग इनको कहते हैं कि देखो, फलां फलां आदमी हैं उनको पकड़ कर ले आना चाहिए। बस, गांव को चारों तरफ से सर्किल कर दिया। जो कोई मिल गया औरतें, बच्चे जो कोई मिला मोटर में डाल लिया। बीच में जाकर के 4 किलो घी ले लिया। या 100 रु० ले लिये। या 500 रु० ले लिये। तब उनको छोड़ दिया। अन्धाधुन्ध रिश्वत। जिसने नहीं दिया तो उसको ले जाकर रख दिया। मैं मातलपुर कैम्प में पहुंचा। उससे पहले यह रुदावल में था। वहां यही हाल। एस. पी. साहब पद्मश्री का खिताब लेने के लिए दिल्ली गये हुए थे। डी. एस. पी. लक्ष्मीकान्त थे। एस. पी. साहब ने लिख दिया। लेकिन लक्ष्मीकान्त ने कहा कि मैं इस इलाके से परिचित नहीं हूं। बयाना के प्रधान जी जो मन्त्री जी के रिश्तेदार बनते हैं। उन प्रधान जी ने कहा कि इन सबको पकड़कर बैठा दो। शिवचरणसिंह जी यह डाकू विरोधी अभियान अभी से नहीं चल रहा है। आपके दिल में वास्तव में दर्द था तो जब गरीब आदमियों पर अत्याचार हो रहा था, आपके प्रधान जी करा रहे थे तब आप कहां थे ? तब यह क्यों नहीं होना चाहिए था ? तो आपको आग-बबूला होना चाहिए था पर उस वक्त नहीं। उस वक्त में तो जो सी. ओ. थे, सर्किल इन्सपेक्टर जो थे, खुदराम उससे मिल कर कांग्रेस के नेता और प्रधान जनता का उत्पीड़न कर रहे थे और लोगों ने पचास-पचास हजार रुपया बनाया। आप चाहेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं कि किन किन लोगों से किस किस तरह से रुपया उगाया गया....

श्री रघुनाथ विश्नोई : दे दो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप चाहें तो अभी दे दूं।

तो मैं निवेदन करूं कि तब तो मामला नहीं जमा। यह लोग पुलिस वालों से मिलकर लाइन गलत बताने लगे-यह पकड़ लो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। मैंने एस. पी. का बयान देखा है, जो राजस्थान पत्रिका में छपा था, एस. पी. सवाई माधोपुर का, उसमें उसने कहा कि प्लाटून कमाण्डर की शिकायत की, लेकिन स्थानीय नेताओं के कहने से उसका ट्रान्सफर रुक गया। यह तथ्य है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से दखलअन्दाजी करते हैं। इस दखलअन्दाजी को रोकना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था मदद

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

की बात, जन साधारण के लोग पिट रहे थे, गरीब लोग पिट रहे थे, लोगों की इज्जत जा रही थी, तब कोई मुख्य मंत्री या कोई मंत्री या कोई आदमी उनकी मदद के लिए नहीं आया। परन्तु अन्त में जब यह मालूम पड़ गया कि इस तमाम डाकू गिरोह के पीछे इन प्रधान साहब का हाथ है, इन कांग्रेस के नेताओं का हाथ है, इन जिलेदार साहब का हाथ है, तब उनको पकड़ा, सरपंच को पकड़ा, प्रधान को पकड़ा और हमारे इलाके के, मेरे खुद के इलाके के, मेरे गांव के पास रहने वाले हैं, पांच मील दूर दाहिने गांव से लोगों को पकड़ा पीटा, और फिर दो, आदमियों को छोड़ दिया और वह बिना पैसा दिये वापिस आ गये तो यह करिश्मा क्या करते हैं, इन्होंने देखा कि अब राज खुलने लगा है तो उप मंत्री जी भूख हड़ताल पर बैठे। यह रास्ता है क्या ? उप मंत्री जी भूख हड़ताल पर तब क्यों बैठे ? जब हमारे दो आदमी बरामद हो गये तब आप भूख हड़ताल पर क्यों बैठे ? इस सोर्स का पता लगाया जाने को था कि यह डकैतों को संरक्षण किसके द्वारा होता है। यह वह तथ्य है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस संदभ में कई बातें और कहना चाहता हूं। बयाना पंचायत समिति ने गढ़ी बाजना के अन्दर कैम्प लगाया, किसान सम्मेलन किया। भाई शिवचरणसिंह को वहां विशेष तौर से बुलाया, किसान सम्मेलन का उद्‌घाटन करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया। मैं भी बेशर्मी से पंचायत समिति का मेम्बर होने के नाते वहां पर पहुंच गया (व्यवधान) नहीं, पंचायत समिति का मेम्बर था। वहां पर जो मैंने हाल देखा तो मैं चकित रह गया। अपने मन की भावनाओं को मैंने दबाना चाहा। उस इलाके में मैंने देखा, बीहड़ जंगल हैं, कुछ भी मेरे साथ में घटना घट सकती है। लेकिन जब मैंने वहां की स्थिति को देखा तो मैं अन्याय के सामने उस वक्त अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया, मैं अपने आपको रेसिस्ट नहीं कर सका। हुआ क्या, आपको मैं वह घटना सुनाना चाहता हूं। उप मंत्री महोदय ने डान के इलाके में कांस की बावड़ी को तोड़ने के नाम पर छः छः जीप खराब कर दीं, दो ट्रक खराब कर दिये और हजारों रुपये का नुकसान कर दिया। वहां बियावान जंगल है, जहां पर डाकू प्रश्रय पाते हैं, वहां पर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उस इलाके में बारह बजे तक उप मंत्री जी। हम आप से जवाब तलब करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उप मंत्री जी के बड़े बड़े आला हाकिम मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। बारह बजे के समय से किसान सम्मेलन रात को था, उस समय सात बजे यह घूम कर आये। इनकी वहां किस से वहां मुलाकात हुई ? किन किन से मुलाकात हुई। यह लम्बी चौड़ी बात है, आप चाहेंगे तो मैं सब डिटेल्स दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या, वहां डाकू महाराजसिंह की धर्मपत्नी, उसकी मां, उसकी चाची और उसके दूसरे परिवार के सदस्य बड़ी तेजी के साथ हमारे उप मंत्री महोदय के आगमन की बाट देख रहे थे। मैं उस गांव में चक्कर लगाने गया, हमारे एक कार्यकर्त्ता बीमार थे, यादराम खटीक मैं उसके घर की तरफ गया। तब कुछ फुस फुसाहट सी हुई, एक घर से तीन चार औरतें निकलीं। उसने बच्चा मेरे पांव पर डाल दिया शायद मुझे उप मंत्री समझ लिया, और वह मेरे सामने पेशकश करने लगी, हमारे बच्चे के लिए आप रहम खायें। आप जिस तरह से कहेंगे, हम हाजिर कर देंगे।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मैंने कहा, मैं शिवचरणसिंह नहीं हूं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। अब उनमें घुसुर पुसुर होने लगी। मुकुट बिहारी को कैसे पता लग गया। मैं इस बारे में निर्दोष था, मुझे पता लग गया। तो प्रधान और कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा कि उपमंत्री को बुलाया है, तो मैंने सोचा, आखिर इनका राज क्या है ? मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, चाहते क्या हो ? डाकू समस्या को ढील देना चाहते हो। यहां सिविलियन पापुलेशन है, उसमें जो उच्च कुल जाति के आदमी हैं इनको क्या यहां से निकाला जाय ? जब बात हुई तो यह अल्लाकी हुक्म लगा दिया—मुकुटबिहारी भाषण नहीं दे सकता। मै क्यों नहीं दे सकता भाषण ? पंचायत समिति की बैठक है। पंचायत समिति का किसान सम्मेलन है और मुकुटबिहारी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले ? फिर क्या हुआ ? इनके कांग्रेस के नेता बोले (समय-समाप्ति सूचक घंटी) दो मिनिट ! दूसरे बोले । हरिसिंह बोले, तिवाड़ी बोले, जिनका पंचायत समिति से मतलब नहीं और मुकुटबिहारी नहीं बोले—यह कैसे सम्भव हो सकता है। मैं बोला और जब मुद्दे की बात पर आने लगा और यह कहने लगा कि यह मेल जोल और साजिश नहीं चल सकती, डकैतों से सांठ-गांठ नहीं चल सकती तो इन्होंने झगड़ा करा दिया। प्रधान उठा, कहने लगा—क्या बात करते हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा—खबरदार, अगर गुस्ताखी की तो यहां खून खराबा हो जायगा। मैंने जबरी तौर से उसको फटकारा। शिवचरणसिंह जी मौजूद थे। यह सहम गये। मै अकेला गुण्डों से युद्ध करता रहा और····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गुण्डे नहीं, चोर, चोर, सब चोर हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि एक विधायक के साथ में इस प्रकार की गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैंने निर्भीकता के साथ उनको ललकारा, फटकारा। मैंने कहा यह मेलजोल डाकुओं से किसी की नहीं चल सकती। प्रधान साहब, आज तो बोल गये हो आयन्दा मत बोलना। उसने कहा, आयन्दा इलाके के अन्दर मीटिंग नहीं कर सकते। पूछ लो रामकिशन जी से, फिर भी मैं वहां गया मीटिंग करने। मतलब यह समझते थे कि आज एक महाराज सिंह, और रूपा इस इलाके के अन्दर मौजूद है, इसलिए उस क्षेत्र में इनका राज्य हैं। यह दूसरे विरोधियों को गोली से उड़ा देंगे। तो आज राजनैतिक हित को, उपाध्यक्ष महोदय, डाकुओं के साथ जोड़ा है, आज राजनीति डाकुओं के सहयोग से चलती है। पंचायत के इलेक्शन के दौरान हमने देखा, एक डाकू ने गांव में बन्दूक घुमा दी तो कोई आदमी खिलाफत में खड़ा नहीं हो सकता और चुनाव में निर्विवादित रूप से जीत गया। आज भी रामकिशन जी ने कहा, भाई भैरोंसिंह जी ने कहा कि आज जाति के साथ में डाकुओं की समस्या को जोड़ दिया गया है। गूजर जाति का अगर कोई डकैत हुआ तो उस डकैत को गूजरों के द्वारा वीर पूजा का स्थान दिया गया है। गूजरों में गूजर डाकू को वीर की तरह पूजते हैं, वह गौरव समझते हैं उसे प्रोटेक्शन देने में। यह परम्परा कैसे जन्मी ? आज कोई ब्राह्मण डकैत होता है, गृह मंत्री जी लज्जा राम की बात करते हैं, उसको धौलपुर के बहुत बड़े गेहरे परिवार ने सरक्षण दे रखा है क्योंकि वह

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
उसके रिश्तेदार हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजसिंह डकैत हटवाड़ी का रहने वाला है, ठाकुर था, दूसरे उप मंत्री का दोस्त था, उसके साथ इनका दोस्ताना था। तो आखिर यह समस्या कैसे सुलझे। तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री रामसिंह कुशी : दूसरे उप मंत्री कौन हैं ?

(3 म.प.)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज जितने भी डकैत बने हैं वे जिस किसी भी गांव में पहुंच गये उनको कोई कहने वाला नहीं। गांवों में जाकर किसी के घर में आराम से रहते हैं। आखिर इस तरह से जातीयता के आधार पर समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण मिलता है तो इस प्रकार की राजनीति चल गई तो इसका भयंकर परिणाम होगा। ये तमाम चीजें इस एक बात से भी सामने आती हैं कि एक प्लाटून कमाण्डर आर. ए. सी. का जिसको केवल सौ रुपया तनखा का मिलता है जो तीन तीन चुनावों की सरगर्मी से परेशान है। उसके तीन फार्म चल रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, लारियां चल रही हैं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, पचास पचास हजार लीज मनी का देता है, जिसकी रोलिंग मिल्स चल रही हैं आखिर इसने इतनी अतुल सम्पत्ति कहाँ से अर्जित की है ? क्या कहीं उसको जादू का पिटारा मिल गया या कोई महादेव का फंकारा मिल गया ?

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं। डकैत पुरा में शिवचरण के चचा के यहां दस रोज रहे, वहां पर उनका उसको संरक्षण रहा। रूपा डकैत को डेग में ले जाकर उसको शामिल किया गया और वह आज भी डकैत दल के अन्दर है।

जीप की बात कही गई। लॉग बुक में एन्ट्री मौजूद है। क्या आपने उस बारे में जांच करने की कोशिश की है, इनका डकैत दल से किस प्रकार का सम्बन्ध रहा है। इसके साथ-साथ सवाई माधोपुर के एस. पी. ने एक बार डिप्टी मिनिस्टर के लिए लिखा था कि फलां-फलां जगह इनका हाथ है। वह रिपोर्ट झूठी डाली गई या सच डाली गई इसका आपने कभी सोचा है, इसके बारे में जांच की है ? इस तरह से आंखमिचौनी साथ साथ नहीं चल सकती।

सरूपा मीना जो 307 के केस में फरार था वह पांच साल से लगातार फरार घोषित रहा है जिसको आखिर में जाकर उप मंत्री की कार में गिरफ्तार किया गया है। थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया। वह तो उस सरकारी गाड़ी को भी जब्त करने को तैयार था लेकिन किसी तरह से गाड़ी बच गई। जो 307 के केस में फरार था वह उप मंत्री की गाड़ी में पकड़ा गया। गाड़ी उनकी थी आखिर उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। यह तो केस रजिस्टर करने का मसला है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ मैं चन्द मिनिट में ही समाप्त

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कर रहा हूं। मनतासर, सतियापुर पंचायत समिति करौली की जीप किराये पर ली। उस जीप में डाणेपुरा के गोपी के माध्यम से रूपा डकैत को कारतूस सप्लाई किया गया जो मामला भी आपके विचाराधीन है।

इसके अलावा गंगापुर में शराब के ठेकेदार के यहां से आपके साथी के मार्फत शराब की बोतलें ली गईं। आपकी जीप और कार काचरोला ग्राम के मार्ग में पड़ने वाले गांव से एक मीणों की लड़की को भगा कर लाया गया उसको जीप में फरार किया गया। फिर भी उसको पुलिस ने बचाया इस पर शराब के ठेकेदार ने बयान दिये उसको कलमबन्द चिट्ठी भी है।

ढाणे गांव का गोपो सरपंच जो आपका रिश्तेदार है महाराजसिंह का रुपया रखता है। आखिर इन तमाम चीजों का क्या तरीका है? इन तमाम बातों के बारे में आपने कभी जाच की है?

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जरा उपसंहार कर दूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर हम इस बात का चार्ज लगाते हैं आज जिस प्रकार की इनकी तस्वीर है जनता के सामने, उस इलाके में जिस तरह को जन भावना है इनके प्रति इनके साथी तिवारी जगन्नाथ पहाड़िया के जो साथी रहे हैं इन्होंने जनता का जिस प्रकार का उत्पीड़न किया है उसी के कारण सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है। आप इस तरह के उप मंत्री को निकालिये नहीं तो जनता इनको बर्खास्त करेगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करता हुआ कि आज ये ही उप मंत्री हैं और इनके साथी हैं। इन्होंने उस इलाके में जनता में उत्पीड़न मचा रखा है, इन्होंने ही भ्रष्टाचार पनपाया है, वहां की जनता इन्हीं लोगों के आतंक से आतंकित एवं दुःखी है, नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज इनका इतना आतंक है कि जगह जगह इनके दलाल बने हुए हैं। आज इन्हीं के मुखबिर हैं वे सरकार के मुखबिर बने हुए हैं। आज मुखबिर भी किनको बनाते हैं। नॉन-बेलेबल ऑफेन्स में जो जनता के बीच बन्दूक लिये डोलते हैं, जिनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट्स लिख लिख कर हार गये लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। क्योंकि उनके ऊपर उप मंत्री का वरद्हस्त है। मजिस्ट्रेट पुलिस को लिखता है कि फलां-फलां आदमी को गिरफ्तार कर पेश करो लेकिन पुलिस ने लिख दिया कि ऐसा आदमी यहां कोई नहीं है। आखिर मजिस्ट्रेट क्या खुद पकड़ने जायगा? थानेदार को एस. पी. लिखता है लेकिन उसकी भी परवाह नहीं है आखिर यह ठहरा पुलिस राज इसमें क्या व्यवस्था हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं आज उस इलाके की यह भयावह स्थिति है जिसके बारे में विस्तारपूर्वक जांच होने की आवश्यकता है।

श्री मत्स्योसिंह : हम उप मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे वे यह कहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। वे नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री सत्यीसिंह : वे बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह !

श्री शिवचरणसिंह (उप मन्त्री, आबकारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भूख हड़ताल को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। और उसके साथ साथ अन्यान्य प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की। जहां स्थगन प्रस्ताव मेरी भूख हड़ताल से सम्बन्धित था वहां इस प्रश्न को लेकर उस इलाके की स्थिति के बारे में भी जिक्र किया गया। मैं अन्य बातों का उत्तर दूं उससे पहले मैं अपने पर लगाये गये आरोपों के बारे में बता देना चाहता हूं। जो व्यक्तिगत आरोप मेरे पर लगाया है उसका स्पष्टीकरण करना मेरे लिये आवश्यक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सवाई माधोपुर का इलाका इसका ईस्टर्न पार्ट और भरतपुर का साउथ ईस्टर्न पार्ट, धौलपुर और बयाना डिवीजन पूरा का पूरा इस डाकू समस्या से ग्रसित चला आ रहा है। पिछली बार सितम्बर-अक्टूबर महीने में काफी लोगों, अन्यान्य जातियों के लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस कस्टडी में लिया गया गैर कानूनी तरीके से। जब मैंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया तो पता चला कि वे करौली की तरफ गये हुए हैं। भरतपुर और सवाई मधोपुर के गांवों में गुमानसिंह गये थे। भरतपुर के इन गांवों में औरतों के साथ पुलिस ने मारपीट की थी। जब स्वयं ने मारपीट की तो खबर मेरे पास आई कि 12 औरतों के साथ यह घटना हुई है तो मैं मौके पर गया। रास्ते में पुलिस अधिकारी भी मिल गये। मैंने उनसे पूछताछ की। तो कहा गया कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। 200 आदमी थाने में और गिरफ्तार किये हुए इकट्ठे थे। मैंने यहां आकर पुलिस के उच्चाधिकारियों से बातचीत की। गृह मन्त्री से भी बातचीत की। मुझे पता लगा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अखबारों के माध्यम से 13 अक्टूबर को मेरे बारे में एक स्टेटमेन्ट दिया था और उसके समाचार अखबारों में छपे थे कि पुलिस सूत्रों के अनुसार मैं डाकुओं से मिला हुआ हूं। मेरे खिलाफ प्रेस के राजावत और बृजमोहन बंसल जनसंघ के लोगों की दिलचस्पी थी। उनके मार्फत ये समाचार मेरे खिलाफ प्रकाशित कराये गये। जब समाचार प्रकाशित हुए और मेरे ध्यान में जैसे ही आये, मैंने लिखित रूप में मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री को एक मेमोरेण्डम दिया और आग्रह किया कि इसकी जांच होनी चाहिये और जांच के पश्चात् अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जावे और अगर ये सारी ज्यादतियां पुलिस की हों तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इसके पश्चात् कार्यवाही चलती रही। बात डकैती उन्मूलन की आई। ऊपर के लोगों की तरफ से भी यह विचार था और स्वयं मैं भी चाहता था कि इस डकैती की समस्या को निपटाया जाय। इस बीच में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे इलाके में डकैती को

Page No 84

(श्री शिवचरणसिंह)

समस्या नहीं थी। पिछले साल इसी समस्या पर मैंने सदन में एक भाषण भी दिया था। करणसिंह सरपंच की हत्या के पश्चात् और कृष्णसिंह के मर्डर के पश्चात्। और उस समय से आज तक 60 सदस्यों का गेंग जगा फूला के नाम से पैदा हुआ। मुकुट जी स्वयं जानते हैं यह। कुछ लोगों को पता था। यू. पी. और मध्य प्रदेश से ये अपहरण करके डकैती करके यहां आ जाते थे और शरण लेते थे। अभी भी 15 सहमां इलाके थाने में से चार लड़कों को उड़ा कर लाये हैं और उस गेंग की छाया में छोटे-छोटे स्थानीय लोग थे। छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण पुलिस की ज्यादतियों के डर से ये लोग डकैतों के रूप में आ गये।

रूपा पुराना डकैत है। मैं जानता नहीं कि वह गूजर है या क्या है। महाराजसिंह आपसी झगड़ों के कारण, जमीन के झगड़े के कारण, अपने ही भाइयों को मारकर डकैत बन गया और आज डकैत के रूप में इस इलाके में ऑपरेट करता है। तो 13 अक्टूबर के निश्चय के बाद मैंने अपने इलाके में जाकर, घर घर जाकर कोशिश की कि सामूहिक तौर से लोग डकैतों का विरोध करें। उनको पनाह देने वाले, साथ देने वाले लोगों को सामान देने वाले लोगों को दूर रखा जावे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। और इस डकैती उन्मूलन अभियान में पुलिस की पूरी पूरी मदद की जावे। मैंने इसके लिये गांव गांव जाकर मीटिंगें की हैं। दस दस हजार आदमियों को एकत्रित करके उनको आह्वान किया है। पुलिस अधिकारियों ने जिस-जिस तरह से भी जो मदद चाही वह हमने उनको दी है और दिलाई है।

मुकुट जी ने जो किसान सम्मेलन की बात कही उसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। कांसी बावड़ी का जंगल है। मुख्य मन्त्री जी बयाना गये थे। भूमिहीन हरिजन किसानों ने दर्खास्त पेश की कि इस बावड़ी की जमीन काश्त के लिये उनको मिल जावे तो वे वहां आबाद हो जावेंगे। कलेक्टर और दूसरे पुलिस अधिकारी और चालीस पचास आदमी बावड़ी का मौका देखने गये कि यह काश्त के योग्य है कि नहीं, ताकि फिर उसके कन्वर्शन की कार्यवाही की जा सके। इसके लिये मुकुट जी ने आरोप लगाया कि ये सारे वहां बावड़ी पर गये तो डकैतों से मिलने गये। इस तरह से कहना यह माननीय सदस्य के लिये घोर लज्जा की बात है कि वे इस प्रकार का झूठ बोलते हैं, पर इसका भी कारण है। वहां हमारे जाने के बाद किसान सम्मेलन हुआ, जहां खेतीहर लोग ही अधिकांश में सम्मिलित हुए थे और वहां मुकुट जी का ओपनली क्रिटिसिज्म हुआ था। लोगों ने साफ साफ कहा था कि उनके पुलिस और डकैतों के साथ दोनों के साथ ताअल्लुकात ताल्लुक हैं। मीटिंग में मुकुट जी ने बोलने का प्रयास भी किया। पर बोल नहीं सके। पंचायत समिति का भी मामला था। मंत्रि-मण्डल के सदस्य के नाते पंचायत समिति के सदस्यों के बीच में निरीक्षक के रूप में गया था। मैंने वहां बोलना उचित नहीं समझा। मैंने समझा कि मुकुट जी इसके लिये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं सात तारीख से इन्तजार कर रहा था कि मुकुट जी कब भूख-हड़ताल पर बैठते हैं। पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब जो कुछ भी ज्यादतियां और अन्याय अत्या-

(श्री शिवचरणसिंह)
चार पुलिस द्वारा हुआ है वह उनके ही इलाके के लोगों के साथ हुआ है। पर उनमें हिम्मत नहीं है। उधर तो लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और इधर पुलिस अधिकारियों के साथ मिल कर कुछ और ही बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। कुछ लोगों की ये एक तरफ तो अनाचार और अत्याचार और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ गठबन्धन किया है। यही मुकुट जी एक तरफ नारायणसिंह को भ्रष्टाचारी कहते हैं और दूसरी तरफ उनका सार्वजनिक अभिनन्दन करते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री शिवचरणसिंह : आप जब बोलें तो स्पष्ट कर देना।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप परिवार के लोगों से.........

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग की बात मुकुट जी ने कही। उस दिन भी बात आई और इसके बाद एक दिन माननीय मुकुट जी महाराजसिंह की स्त्री को स्वयं लाये। उनके हाथ की दर्खास्त दी गई और उसके लिये कहा कि इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिये। यह जाति की गजर हो सकती है, महाराजसिंह मेरे इलाके का हो सकता है, मैं जाति से गूजर हो सकता हूं पर न मैं कभी महाराजसिंह के घर गया न उसके सम्बन्धियों के घर गया, मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई सम्पर्क नहीं है। इस पर भी अगर मेरे चरित्र पर कोई लान्छन लगाना चाहें और उसे साबित कर दें तो मन्त्री पद से ही नहीं मैं विधान सभा की सदस्यता तक से इस्तीफा देने को तैयार हूं। पर राजनैतिक कारणों से, मुझे बदनाम कोई करना चाहे और मेरी वजह से उनके स्वार्थों को कोई ठेस पहुंचती है, इसलिये बदनाम करना चाहें तो यह उन की गलती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इससे असेंट तो बढ़ेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं। जो कुछ बातें कही हैं, मैं बताना चाहता हूं। विधान सभा के सदस्य को अधिकार है, यहां जो चाहे वह कह सकता है, पर तोड़मरोड़ कर बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। ये बातें किसी ग्राम सम्मेलन या रूपवास इलाके में वे कहते तो मैं मानता। उनको पता भी चल जाता। मैं बताना चाहता हूं। मेरे बारे में, व्यक्तिगत बारे में कहा गया है कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति है, मैं डाकुओं से मिला हुआ हूं तो पहले मैं अपने बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, फिर असल मुद्दों पर आऊंगा। महाराजसिंह से मेरे लगाव की बात कही गई। मैं स्पष्ट अर्ज कर देना चाहता हूं कि अक्टूबर में पुलिस के माध्यम से जो मेरे बारे में कहा गया और जो कार्यवाही की गई, मेरे में बारे समाचार पत्रों में खबरें छापी गई, मैंने उसी समय मुख्य मन्त्री जी को कहा है कि आप इस बारे में जिस तरह से चाहें जांच करालें, अपनी पुलिस से चाहें तो उससे, सी. बी. आई. से चाहें तो उसकी

(श्री शिवचरणसिंह)

मार्फत, विधान सभा के सदस्यों की मार्फत चाहें तो उनकी मार्फत या जिस किसी एजेन्सी की मार्फत आप चाहें उससे जांच करवा लें। मेरी पीठ पीछे करवा लें। पर राजनैतिक कारणों से कोई मुझे लांछित करना ही चाहे तो इसके लिये मैं ही अपवाद नहीं हूं। यह स्वयं का भी अपमान है। इस तरह मैं भी सदन का मेम्बर हूं। राजनैतिक कारणों से सही बात नहीं कहना अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है। अगर इस तरह से आपको अधिकार है। तो मुझे भी हो सकता है। पर मैंने कभी किसी सदस्य के बारे में यह नहीं कहा। चर्चा इस बारे में पहले भी चली थी। पहली विधान सभा में भी मैंने डकैती समस्या के बारे में प्रकाश डाला था। सुझाव भी दिये थे। तो जो 13 अक्टूबर के समाचार-पत्रों के बारे में माननीय सतीश जी ने कहा, राजस्थान पत्रिका का भी हवाला दिया, उसके पश्चात् तुरन्त ही जांच करने के बारे में मैंने मुख्य-मन्त्री जी को कह दिया था जैसा कि भाई रामकिशन जी ने कहा, आगे कि प्लाटून कमाण्डर होते हुए भी मैंने इतनी सम्पत्ति कैसे अर्जित करली। मैं इस बारे में भी निवेदन कर दूं कि मैं पहले से ही अच्छे खाते पीते घर से हूं। मेरे पिताजी जागीरदार थे। अच्छे किसान परिवार में से थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलिटरी में सेकण्ड लेफ्टीनेन्ट था और आर. ए. सी. में प्लाटून कमाण्डर था। आर. ए. सी. की 11 साल की सर्विस करके आया हूं। तो इसमें भी आप सोच सकते हैं कि मैंने कुछ तो बचाया ही होगा। इस पर भी मेरी सम्पत्ति के बारे में रामकिशन जी कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी और मेरी सम्पति का आदान प्रदान हो जावे, परस्पर।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हो जावे, तत्क्षण हो जावे। एक मिनट में हो जावे। यह बहुत बढ़िया रही।

श्री शिवचरणसिंह : मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : यह बात फिर भी मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस के आपके अधिकारी ने कही है। मुझ से कही है।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे मालूम है कि आप और मुकुट जी ही पुलिस के अधिकारियों से क्यों मिलते हैं? 13 अक्टूबर का स्टेटमेंट पुलिस ने आपके मार्फत दिलवाया, बरसों से ये लोग आपके आगे पीछे लगे हुए हैं। नारायणसिंह जो की यह सारी साजिश है। आपने जो सम्पत्ति की बात कही। इसके बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं। मेरे पास फार्म हैं तो 62 में नौकरी छोड़ कर आया हूं। इस बारे में पिछली बार भी प्रश्न आया था। 60 में जमीन मिली है और 62 में राजनैतिक क्षेत्र में आया हूं और एम. एल. ए 67 में बना हूं। तो अगर इस तरह से मेरे पास फार्म है तो मैं कोई समाज में पाप नहीं करता। मुकुट जी आप जानते हैं किस घर में मेरा रिश्ता है और दस बीस साल से आप जानते हैं मेरी स्त्री का पीहर कैसा है?

श्री रामकिशन : मालदार है।

श्री शिवचरणसिंह : तो अगर कोई आदमी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति से, साधनों से कुछ कमा लेता है तो आपको क्यों शिकायत होनी चाहिये?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दहेज में तो आप 400 रुपये ही लाये थे।

श्री शिवचरणसिंह : मुकुट जी आप हम तो एक ही क्षेत्र से हैं। रोज मिलेंगे, सुनेंगे और सुनावेंगे। यहां क्यां डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर, आडर। माननीय सदस्य। आपस में बातचीत नहीं।

श्री शिवचरणसिंह : अगर मेरी स्त्री कोई व्यापार करती है·······

एक माननीय सदस्य : ××× तो नहीं करती है ?

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज। कृपया भाषा में नियन्त्रण रखें।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे अगर किसी कम्पनी में शेयर हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, यह भी तो आगरे के एक सेठ को लाये थे। चार महीने पहले की बात है। एक लखपति सेठ को आगरे से लाये थे कि आप बिजनेस को ज्यादा समझते हैं, मेरा भी गुजारा कर दें। यह इन्कार कर दें हाउस के अन्दर ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं याद दिला दूं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

नैतिकता है या नहीं ? चरित्र शेष रह गया है या नहीं ?

श्री शिवचरणसिंह : नैतिकता नहीं होती तो मुकुट जी ·······

श्री उपाध्यक्ष : आसन को सम्बोधित करके बात करें, उप मन्त्री महोदय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस सेठ का नाम क्या था ? आगरे वाले का ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय भैरोंसिंह जी ने जो कहा कि यह जातीयता से सम्बन्धित है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी जाति का होने से वह सारी जाति डाकू नहीं हो जाती है। अगर यही आधार रखना चाहते हैं तो गंगानगर में राजपूत डकैत हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण डकैत हो सकते हैं तो फिर रामकिशन जी भी हो सकते हैं।

श्री रामकिशन : बृजसुन्दर जी को क्यों नहीं बताया, वह पास में ही बैठे हैं।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे नौकरी में रहने के अन्दर धौलपुर में सारे डकैत गूजर मारे गये। मेरे जमाने में मारे गये। ऑपरेशन कैम्प में गुमानसिंह जी काम करने वाले थे। मैं भी गूजरों को मरवाने वालों में हूं। 11 साल का मेरा सर्विस रिकार्ड रहा है। लेकिन एक भी ऐसी बात आप नहीं पायेंगे। मेरे जीवन की खुली जांच करा ली जाये। मेरा जीवन भ्रष्ट रहा है या कैसा रहा है ? इन सारे माध्यमों से जो कुछ भी आरोप लगाये गये हैं, यह अखबारों के माध्यम से लगाये गये हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को लिख कर दे चुका हूं। मैंने खुद ने यह मांग की है। मेरे खिलाफ कार्यवाही हो, मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत आरोप मुकुट जी ने लगाये हैं। उनकी सूची किसी ने दी होगी। मैं आपको याद दिलाऊं। ज्वाइंट रेस्पोन्सिबिलटी के बारे में आपने कहा, मैं निश्चित रूप से मन्त्रि-मण्डल का सदस्य होने के नाते रेस्पांसिबिल्टी फील करता हूं। जबकि मेरी पार्टी के, भरतपुर के और दूसरी जगह के मेरे साथी भूख

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री शिवचरणसिंह)

हड़ताल पर मेरे साथ बैठने के लिए आये, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यह व्यक्तिगत अनशन है। व्यक्तिगत रहेगा। अगर किसी कारण से गलती होगी तो मैं सजा भुगतने को तैयार रहूंगा। जैसाकि उन्होंने कहा कि जगनप्रसाद डकैतों के जरिये प्रधान बने हुए हैं। उनको प्रधान से हटाने में यह नाकामयाब रहे।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री शिवचरणसिंह : अगर सुनने की हिम्मत नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। बयाना के सी. ओ. के बारे में कहा है तो आप वहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाते। नारायणसिंह जी वहां के इंचार्ज हैं। उनको कहा। ऐसी किसी भी बात के बारे में मैं खिलाफ में रहा हूं। करौली में डकैती पड़ी है। वहां के एस. पी. गुप्ता ने जो कार्य किया वह हिस्ट्री में एक घटना है। एस. पी. की ईमानदारी है। मैंने गवर्नमेन्ट को चिट्ठी लिखी है। जिन आदमियों ने काम किया है, उनको इनाम दिलाने के लिए लिखा है। अच्छे काम भी पुलिस ने किये हैं। लेकिन अगर खराब काम किया है तो विरोध करता हूं। अगर कोई पकड़ा गया है और वापिस आ गया है, पैसा नहीं देना पड़ा है, तो यह अच्छी बात है। यह तो बाद में पता चलेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी कई पैसा देकर आये हैं।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे ख्याल नहीं है। आप के वोटर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरणसिंह : आप ने एक डाकू के बारे में कहा है, सरपंच को मार कर फरार हुआ है। तो एक पुलिस कान्स्टेबिल था। 80) रु० में सेठ को माल गिरवी रखा था। बाद में सेठ ने हिसाब करके 8000) रु० बताये। उसका मित्र फरार हुआ। उन्होंने कहा कि बीकमपुरा गया। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार सत्तर साल से करौली में रहा है। वहां पर दो तीन मकान हैं, जायदाद है वह करौली में है। बीकमपुर है वहां मेरा पुश्तैनी मकान है। मेरे गांव से कोई आदमी जाये। मैं इस बात को नहीं कहता कि मुझे जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन डाकू गिरोह को पनाह देने में, उसको मदद देने में मेरा हाथ है तो मैं दोष का भागी हूं। वह यह बात कहना चाहें कि मेरे गांव से निकल गया है, या इस बात का डाउट करते हैं कि उसको निकाल दिया है तो इस बात को साल भर हो गया, पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं हुई। इसलिए यह बातें बतलाई गई हैं वह इसलिए बतलाई गई हैं ताकि मेरे गांव की हवा बने और मुझे बदनाम कराया जाय। इसके अलावा इसका कोई और मन्तव्य नहीं है। कोई सबूत हो तो वह पेश करें और उसको प्रूव नहीं करें तो मुकुट जी सजा बर्दाश्त करें और मैं दोषी हूं तो मैं सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं·······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सजा के लिए तैयार हैं, साहब !

श्री शिवचरणसिंह : अभी सुनते जाइये।

(श्री शिवचरणसिंह)

दूसरी बात, जीप के दुरुपयोग के बारे में कही। जीप के दुरुपयोग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

दूसरे उन्होंने सरूपा मीणा की बात कही कि वह मेरी कार में गिरफ्तार हुआ यह सरासर गलत है। रगियापुरा गांव है, वहां मीणे रहते हैं, वहां पर एक कैम्प लगा और वहां पर मीणे इकट्ठे हुए। मैं उस समय प्रधान था। भगताराम सरपंच था। उसको साजिश करके एक झूठे मर्डर केस में फंसाना चाहा। उसको फंसाने की साजिश करी तो उसको मैंने गिरफ्तार कराया और पन्द्रह दिन पुलिस की कस्टडी में रहा। उसका चचाजात भाई सरूपा था, गज्जा डकैत का सरूपा का आपस में रास्ते में झगड़ा हुआ। गज्जा डकैत और सरूपा का झगड़ा था—वह बाद में पता लगा। वह बाद में गिरफ्तार हुआ। तो मेरी गाड़ी से वह गिरफ्तार हुआ—यह मुकुटबिहारी ने झूठ बोल कर सदन को धोखा दिया है।

तीसरी बात उन्होंने भंता की बात कही। भंता जाति का मीणा है। हथिया-पुरा के आदमी भंता को झूठे मर्डर केस में फंसा रहे थे। विधान सभा के माननीय सदस्य इस मामले को जानकारी करके मालूम करलें कि भंता दोषी था या नहीं, उसको यातनायें मिलीं वह गलत मिलीं या सही मिलीं? और उसमें जो मैंने इन्टरफि-अर किया वह गलत किया या सही किया? मैं इस मामले को होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया और उसको निर्दोष साबित होने पर छोड़ दिया गया।

कचरोल के मीणे की लड़की के बारे में कहा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा उस लड़की से सम्बन्ध नहीं है, कचरोल का मीणा है, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। रामकुमार जो विधान सभा सदस्य हैं उनके गांव की वह लड़की है। मेरा क्षेत्र जो सालमपुर है, वहां वह लड़की अपनी मर्जी से गई है। रामकुमार जी ने मजबूर किया कि उसको पकड़वाओ, क्योंकि वह मेरे क्षेत्र का आदमी है इस-लिए मैं उसको पकड़वाने की कार्यवाही करूं। इसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी बताया है वह निराधार है और पक्का झूठ है। यह घटना पुलिस में दर्ज है। उसमें अगर कोई इस प्रकार की घटना हो और पक्की बात हो तो मैं जो भी सजा हो उसको भुगतने को तैयार हूं। वैसे यह झूठे लोगों की झूठ है जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। आपने सारी कहानी को रचा है, यह सरासर झूठ है और कोई भी इस बात को नहीं मानेगा।

गोपी सरपंच के लिए कहा कि वह मेरा रिश्तेदार है। मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि करोली के आस पास रिश्तेदारी नहीं हैं। ससुराल भरतपुर में है, झालावाड़ में बहिन है और मुजफ्फरपुर और सहारनपुर में रिश्तेदार हैं। लेकिन करोली के आस पास के गांवों में मेरी रिश्तेदारी नहीं है। गोपी सरपंच है वह एक मोअज्जिज आदमी है, बाइज्जत आदमी है और आप जैसे लोग-बागों से गोपी परेशान होकर करौली का गांव छोड़ कर बयाना के इलाके में चला गया है। वह आदमी जो जमीन जायदाद बची है उसके सहारे बयाना में इज्जत से रहना चाहता है, आपके पास बयाना में रहना चाहता है। आपको विशेष नाराजगी हो तो आप और कोई बात कहें। गोपी के बारे में मेरा जो लेना देना है वह आपको मालूम

(श्री शिवचरणसिंह)

है। जो चोथान चढ़ती है उसको आप कभी नहीं छोड़ते। जो लेना देना है वह आपका चलता है। आप सारी पुलिस के इन्फार्मर हैं, उनकी लिस्ट आपके पास है, आपको जानकारी होगी, आप चोथान छोड़ते नहीं हैं। आपने जो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला है, वह कोई दबाव के कारण डाला है। मैं स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मिले, मैं इस विधान सभा में चार्ज को पेश करने के लिए तैयार हूं और जो भी सजा मिले उसको भुगतने को तैयार हूं।

यह मेरे क्षेत्र का विषय था, 22 तारीख को महिलाओं तक को नंगा किया और औरतों को 22 को पकड़ा गया। मैं टोंक में 25 तारीख तक था, वहां पर आदमी गया तो 27 को गांव गया तो पता लगा कि स्त्रियों वगैरह को, बच्चों को और दूसरे लोगों को पकड़ा जा रहा है और वहां पर कुछ रास्ते चलते लोगों को कोली चमार को पकड़ा जा रहा है तो मैंने वहां पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क किया। मासलपुर के गांव से महिला पकड़ी उनके बारे में गृह मन्त्री से कहा, आई. जी. को एप्रोच किया, लेकिन उससे सारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 4 तारीख को मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की जिससे कि समस्या का समाधान हो, समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कोशिश करे, सरकार समस्या का समाधान करती है लेकिन आप जैसे झूठे लोग झूठा प्रचार करते हैं और सरकार समस्या का सही समाधान करती है तो आप गलत प्रचार करके उस समाधान को होने नहीं देते हैं। भ्रामक प्रचार अक्टूबर के महीने में आपने आपके दोस्तों से कराया। इस कारण मैंने यह उचित समझा कि सारी सफाई करने के लिए और जो गड़बड़ी हुई है, जो केम्प में अनियमितता हुई है। उनकी ओपन जांच करने के लिए यह जरूरी है कि मैं उपवास करूं ताकि सारे मामले की जांच हो जाय और मेरा स्पष्टीकरण भी हो जाय और तुम्हारे दोस्त जो गलत कार्यवाही करते हैं उसकी भी सबको जानकारी मिल जाय। इस सदन को जानकारी मिल जाय। 27 को सारी इत्तला देने के साथ मेरे इस्तीफा देने का प्रश्न आता, और मेरी कोई व्यक्तिगत कैपिसिटी नहीं होती तो मैं इस्तीफा देने से भी गुरेज नहीं करता। मैंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में उपवास करके एक मौका दिया आपको इस सारी समस्या के बारे में विचार करने का। मैं इस सारी समस्या को बड़ा गम्भीर मानता हूं हमेशा से। आपको या तो आफिसरों ने दवाया, या व्यक्तिगत कारणों से नहीं चाहते थे, न जाने किन कारणों से आपने इस समस्या को नहीं रखा, कभी नहीं रखा। आपने कभी नहीं सोचा कि अपने इलाके के लोगों की तकलीफ के बारे में सदन के सामने कुछ रखा जाय। उल्टे आपने कोशिश की और जनसंघ के माध्यम से मेरे खिलाफ एक पर्चा निकाला। करौली में जनसंघ पार्टी के सेक्रेटरी हैं, रामजीलाल सारस्वत, आपके सेक्रेटरी हैं, पार्टी सेक्रेटरी जनसंघ के जो हैं वह स्वयं रिश्तेदार हैं लज्जाराम डकैत के...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गलत है।

श्री शिवचरणसिंह : तो मेरे खिलाफ जो प्रचार किया गया है इससे समस्या

(श्री शिवचरणसिंह)
सुलझने के बजाय उलझी है। मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं डकैतों को पनाह दूं या मदद दूं। मैंने निजी तरीके पर राज्य सरकार के माध्यम से सारी समस्या को सुलझाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने यह मान लिया है कि यह गिफ्तारियां की हैं, यह अनियमित की हैं। 22 तारीख से 9 तारीख तक जो भी गिरफ्तारी हुई हैं, दो सौ से ज्यादा को गिरफ्तार किया है गैर कानूनी तरीके से, अभी भी जो गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ जब तक कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती अदालत के द्वारा, तब तक मैं उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी मानता हूं।

जो रिश्वतखोरी की दूसरी शिकायत की उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आई. जी. साहब वहां थे, उनको मैंने एक इन्स्टान्स बताया, ढांढा गांव में रामचरण गूजर है, उसको ले जाकर कम्पनी कमाण्डर ने 180 रुपये उससे लिये हैं। एक खटोक से बकरी और चार बोतल ली हैं। आई. जी. साहब ने आश्वासन दिया और कार्यवाही की। आई. जी. साहब ने माना कि जो भी अनियमित कार्यवाही होंगी उनके बारे में वह एक्शन लेंगे और किसी आदमी की तरफदारी नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने सारी चीजों के बारे में आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार निष्पक्ष तरीके पर, जो गलत काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी, जो अरेस्ट हुए हैं उनकी जांच पड़ताल करके, जिन्होंने गलत काम किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेगी। मैंने मेरे साथियों के कहने पर भूख हड़ताल समाप्त की है। जो आपने कहा है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके इलाके के इस तरह के जो भी अभाव-अभियोग हों, जो आपके इलाके में लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, अन्याय हुए हैं, जिनकी आप वकालत नहीं करना चाहते हैं किसी कारण से, उनकी मुझे लिस्ट दे दीजिये। मैं राज्य सरकार को वह लिस्ट देकर उन पर एक्शन लिवाने की कोशिश करूंगा। और हम कोशिश कर भी रहे हैं, गांव गांव में फिर कर कि किनको गिरफ्तार किया गया है, स्त्रियां कौन कौन पकड़ी गई हैं इस बारे में सारी जांच कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जनता के उत्पीड़न का मामला है कोराड़ का पंच है बीसलपुर कस्बे में एण्टी-डेकाइटी पोस्ट कायम हुई। वहां का जखेडीसिंह जो आर. ए. सी. में था जिसका पोस्टिंग कलकत्ता में हो रखा था उसके पीछे यहां उसकी पत्नी रहती थी। वहां जो आपकी पोस्ट नियुक्त है उसमें वहां की औरतों को लाया गया उनको नग्न करके उनके लड़कों से कहा गया। XXXमुकुट जो जहां पर इस प्रकार के काण्ड होते रहे हैं उसकी आपने कभी चर्चा नहीं की? आप ऐसे मामलों की वकालात नहीं कर सके? क्या ऐसी वरदातें होते हुए भी विरोधियों पर पानी कैसे फिर गया? हो सकता है इनको चौथान मिलता हो। आज आपकी यह हिम्मत नहीं। आप सच बात कहने से डरते हैं। मैंने अपने मन से सोचा कि मुझे इस प्रकार के जो आतंकपूर्ण कृत्य हो रहे हैं उनका मुकाबला करना चाहिये, और इसके लिये मैंने महात्मा गांधी के बताये हुए मार्ग का अनुसरण

XXXअध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ये शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री शिवचरणसिंह)
किया और उपवास किया। जिस पर मुझे सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी शिकायतें हैं उनके बारे में कार्यवाही करेंगे इस पर मैंने अपना अनशन समाप्त किया। मेरे पास उस इलाके में पुलिस के द्वारा क्या क्या घृणित कार्य हुए उन सब घटनाओं का पूरा ब्यौरा है। भविष्य में भी इस प्रकार की घटनायें नहीं घटें इस बारे में भी मैंने सरकार से निवेदन किया है। उस समय मेरे साथ मेरे नजदीकी रिश्तेदार पत्रकार बन्धु जो भी मौजूद थे उन्होंने मुझसे प्रश्न किया उस पर मैंने स्पष्ट कहा है मैं आपका आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया जिससे मैं सरकार को यहां की स्थिति के बारे में स्पष्ट अवगत करा सका। मैं पुलिस विभाग को जानता हूं। पुराना पुलिस अफसर रहा हूं। डकैतों के उन्मूलन में मेरी काफी दिलचस्पी है। मैं किसी जाति-पांति में विश्वास नहीं करता और न मैं किसी एक जाति विशेष के वोटों से यहां आया हूं मैंने जो कुछ भी अपना सार्वजनिक जीवन बनाया है उसमें मैंने अपने कार्य करने की लगन का परिचय देकर ही सार्वजनिक क्षेत्र में आया हूं। जाति विशेष से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मुकुट जी जातीयता के पोषक होंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बनिये तो खिलाफ हैं।

श्री शिवचरणसिंह : मैं कांग्रेस के उसूलों को मानता हूं। चाहे मैं सरकार में रहूं या न रहूं इससे मुझे ज्यादा वास्ता नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने जो मार्ग बताया है उसी रास्ते को मैंने अपनाया है। जो रास्ता महात्मा गांधी ने बताया है वह सही रास्ता ही मैंने अपनाया है। इस रास्ते को अपनाने से भी किसी को हानि हुई हो या कोई यह समझते हों कि मैंने गलत रास्ता अपनाया है तो आप मुझे जो भी सजा दें मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। डाकू उन्मूलन के नाम पर जो जनता का उत्पीड़न हो रहा है इस गलत काम को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहां पर जो बातें कही गई हैं वे काफी तोड़-मरोड़ कर कही गई हैं। सारी बातें मुकुट जी भी जानते हैं वे रात दिन मेरे साथ रहते हैं। हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं। वहां की क्या स्थिति है यह उनसे छिपी नहीं है।

(3.42 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत चरित्र पर लान्छन न लगाते हुए वहां की स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करते। मैं उनका आभारी होता यदि मेरी गलती होती तो मैं भी उसे ठीक करता। मैं राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि सरकार ने हमारे इलाके की जो वास्तविक कठिनाइयां थी उनकी ओर तवज्जह देकर उनको ठीक करने का आश्वासन दिया। मैं यह कह सकता हूं हमारी राज्य सरकार का मन्तव्य साफ है लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे राज्य सरकार की मन्शा को ध्यान में नहीं रखते। प्रशासन गलत काम करता है। राजस्थान सरकार का कसूर नहीं है उनकी इन्छा के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते। मेरे

(श्री शिवचरणसिंह) पास उस जगह की पुलिस की ज्यादती की, सारी बातें चार्जशीट के रूप में लिख कर लाया हूं। आज जो लोग उनकी वकालात कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जंगा, फूला डकैत के बारे में आपने कभी कहा जिसने आपके इलाके में बड़ा आतंक मचा रखा है जिससे आपके यारदोस्त रोजाना जाकर मिल कर आते हैं। जिसकी दुनियां भर में पब्लिसिटी हो रही है जिसकी चर्चा पिछली बार सदन में भी हुई है। क्या बात है उसमें से कोई हिस्सा मिल गया होम मिनिस्टर पर बड़े जोरों से आरोप लगाये थे लेकिन न मालूम उनके बाद वे ठंडे क्यों पड़ गये ?

गूजरों से हो सकता है आपकी व्यक्तिगत नाराजी हो सकती है। व्यक्तिगत कारणों से आप गूजरों से नाराज हो सकते हैं। मैंने कभी अपने को गूजर समझ कर बात नहीं की है। जातीयता के आधार पर बात करने का और काम करने का आपका ही तरीका हो सकता है। मेरी जातीयता की भावना नहीं है और न मैं जातीयता को मानता भी हूं। मेरे बारे में आप कहते हैं कि मैं गूजर जाति के बल पर आया हूं मैं आपसे निवेदन कर दूं, मेरा घर जिस जगह है, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं करौली की जहां की तीस हजार की आबादी है वहां केवल एक ही मैं गूजर जाति का हूं मेरा एक ही घर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जातीयता का लांछन मेरे पर आप मत लगाइये मेरे इलाके के दो तीन ब्राह्मणों ने, पांच चमारों ने आकर मुझे कहा रामपुरा और फतेहपुरा के चमार भी मेरे पास आये, हमें पुलिस वाले तंग कर रहे हैं वह मैंने आई. जी. साहब को कही उन्होंने तत्काल उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही की। मेरे पास मीणे आये जब वहां मीणों के लीडर नहीं पहुंचे तो मेरे पास आये, मुसीबत जब भी चाहे ब्राह्मण पर पड़ी, मीणों पर पड़ी मेरे पास आये और मैंने अपनी भरसक मदद उनकी की। इसी कैम्प के अन्दर गवाई गांव के गूजर पकड़े गये थे वह भी इन्हीं की साजिश से इनकी क्या इन लोगों के साथ घसड़-पसड़ है वह मैं सदन की जानकारी में नहीं लाना चाहता। हम सदन के सदस्यों के लिए भी कुछ लिमिटेशन्स हैं। हमारे अधिकार हैं वहां हमारे लिए मर्यादायें भी हैं। उसी में रहते हुए हम अपने सोचने विचारने और कहने का स्तर रखेंगे तो इससे समाज को लाभ मिलेगा। इसी तरह से हम समाज के अन्दर जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं उनका समाधान करा पायेंगे और शासन से सुव्यवस्था की आशा कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : सभापति जी, गूजरों के बारे में बातचीत चल रही है। आज हमारे गूजरों का मंत्री होने से विरोधी दल के लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं। जो बात शिवचरणजी ने कही है सब सही है। मुझे पता है वहां पर पुलिस वहां के लोगों के साथ किस प्रकार से अन्याय कर रही है। मैं आपसे कहता हूं कि, जो गूजर डकैत है उसको मैं खुद मारने के लिए तैयार हूं आप भी जो ब्राह्मण डकैत हैं उसको मारने के लिये आगे आयें। यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा आप भी दूसरी जाति के डकैतों को मारने को तैयार हो जाओ मैं गूजर डकैत

(श्री जगन्नाथ पटेल)

को मारूंगा। उप मंत्री जी के लिये जो यह कहा जा रहा है कि वे डकैतों से मिले हुए हैं यह गलत बात है। आप ब्राह्मण को मारने के लिये तैयार हों इसमें गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूरे इलाके का दौरा किया मैं पुलिस की कार्यवाही के सारे सबूत लाया हूं जो मेरे पास हैं। क्या मैं उस चिट्ठे को खोलूं? यह पुलिस का कानून जो 1857 में बना था क्या उसमें पुलिस को जनता को मारने का अधिकार है बताओ ना? बतलाइये ना माथुर साहब, मंत्राणी जी बतलाइये क्या अधिकार था मारने का। मैं आज पुलिस की पोल खोलूं। गृह मन्त्रीजी आपने तो मेरे पर थानेदार लगा रखा है उसको कह रखा है कि जगन्नाथ का सर दबाओ यह अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, उपमंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने हमारी पार्टी पर कुछ लांछन लगाये इसलिये मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जिस तरह से उप मंत्री महोदय ने जिस तरह से कहा है उससे निश्चित तौर से एक गलत धारणा पैदा हुई है उसको स्पष्ट करना मेरे लिये जरूरी है....

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री नत्थीसिंह : इस तरह से आरोप लगाये गये उनका निराकरण नहीं किया जाता है गलत फहमी रहने की संभावना है इसलिये मैं सारी बातें स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : जो आरोप मुकुटजी पर व्यक्तिगत तौर से लगाये हैं-तो इसका स्पष्टीकरण करने के लिये, मैं नहीं चाहता, वे एक घण्टा ले। पर स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर तो देना ही पड़ेगा आपके रूल्स में यह है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलेंगे।

श्री सभापति : फिर तो इसका कोई अन्त नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : आप पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति : इसका फिर कोई अन्त नहीं है, ये फिर आरोप लगावेंगे और फिर वे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इन आरोप-प्रत्यारोपों का कहीं अन्त नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आप इस सभा का संचालन करिये। आप सदन के सामान्य सदस्य की हैसियत से वहां नहीं हैं। आसन पर हैं तो नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिये और हमारे अधिकारों पर आघात मत पहुंचाइये। मैं ओन दी पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बोलूंगा।

हमें आप लोगों का किसी तरह का भय नहीं है। डर नहीं है। धमकी भी नहीं है। हमारा चरित्र इस तरह से आरोप लगाने वालों से हजार गुना अच्छा है। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो माननीय उपमन्त्रीजी ने यह कहा है कि....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : सभापतिजी, हम अपनी बात कहेंगे। रुकेंगे नहीं। आप शान्ति से थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : पूरा समय लेंगे। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर।

श्री सभापति : मुकुटजी बोल चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : पर उन पर आरोप लगाये गये हैं। इसलिये उनका हक है जवाब देंगे।

(अश्रव्य : शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : तो सभापति महोदय, हमारे नेता ने दिल्ली के नेता ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जिस तरह से पुराने जंगली तरीकों से काम लिया जाता था उसी तरह से आज पुलिस के ये कैम्प लगाये जा रहे हैं। और लोगों के साथ निरपराध लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपने अपने भाषण में मुकुटजी की तरफ इशारा करते हुए इतना कहा, पिछली बार भी इतना बोले पर उस समय कुछ नहीं कहा इनके बारे में। आज क्या हो गया ? मैं सदन की सूचना के लिये साफ तौर से बताना चाहता हूं कि हम न कभी नारायणसिंह से डरें, न तुम्हारे आई. जी. से डरे, न गृह मन्त्री से और न मुख्यमन्त्री से डरे हैं। भरतपुर में अत्याचार होता है तो हमने उसका सामना किया है। इसकी आपको सूचना नहीं है। आपने सात तारीख को अनशन किया। 19 अप्रेल को जिला संयुक्त सोशियोलिस्ट पार्टी की बैठक हुई। हमने फैसला किया कि जिस तरीके से कैम्प लगाये जा रहे हैं पुलिस का जिस तरह का तीव्र अनाचार और अत्याचार बढ़ रहा है, और जिस तरह से ये कैम्प लूट और रिश्वत और अनाचार और अत्याचार के अड्डे बन गये हैं इस सबके खिलाफ संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी 25 मई को उन थानों को घेरेंगे, कलेक्टर के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे और किसी भी हालत में इन जंगली तरीकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आप कहते हैं वह हम पहले से कहते आये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सरकार ने तो उनको पद्म श्री का खिताब दिलाया है। उन कैम्पों में उन्होंने कई निरपराध लोगों को भी मारा है। डकैतों को भी मारा है, पर इससे हमें सन्तोष नहीं हो सकता। फिर भी वे कोई डकैत मारते हैं तो हम उनकी इसके लिये तारीफ भी करते हैं। इसमें भी हमें संकोच नहीं है। पर यह मानकर चलिये कि भरतपुर में वह हांडिया, तिवारी आपके पास आकर बैठे थे। नारायणसिंह एस. पी. के घर पर मिलकर कहते हैं रामसिंह कि यह डकैती काण्ड है इसमें ज्यादा इनवेस्टिगेशन मत करो। इसमें हमारी पार्टी के लोग फंसते हैं। इसको दबा दो नहीं तो हम कैम्पों का विरोध करेंगे। मैंने गृह मन्त्रीजी को इसके बारे में कहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग डकैतों को उनके मामलों को दबवाना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि नहीं दबायेंगे। पर इस एक धमकी में एस. पी. नारायणसिंह और इन्चार्ज की बात कहता हूं। पहाड़िया और तिवारी दोस्त जो आपके बंगले में आकर बैठे। उन्होंने कुम्हेर की सात हजार की डकैतियों को पकड़वाया। इसकी मुझे खुशी है। मैं तो कोशिश

(श्री नत्थीसिंह)

करता हूं आपने हिम्मत बढ़ाई। हमारी पार्टी ने इसकी तारीफ की है। लेकिन हम इस बात से दबने वाले नहीं हैं। आपके खिलाफ आपके मुख्य मन्त्री के खिलाफ एक चर्चा है कि ये पुलिस के अन्याय, अनाचार और अत्याचार इसलिये बढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सदस्य चेलेंज देते हैं। मुख्यमन्त्री पर सदस्य पुलिस अधिकारियों के अनेकों प्रकार के दबाव और प्रभाव हैं और इसलिये आपके खिलाफ जो वातावरण है वह दूर नहीं हो सकता। हिम्मत तो आपकी तब होती जैसा पहले कहा था कि मेरी जांच करावें। ऐसा ही आज कहते। मुख्यमन्त्री ने टाइम नहीं दिया। मिले नहीं। यह आपकी गलती है। आपने मिलने से इन्कार किया। आप जोर देते मेरी जांच कराइये, मेरे खिलाफ आरोप हैं इसलिये। पर आप दूर रहे। जो आपके सम्बन्ध उस इलाके में हैं उस ओर मुकुटजी ने इशारा किया। सारे वातावरण को बदलकर आपने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया है। सात तारीख को आपने जरूर हिम्मत की थी, पर अब वह टूट गई। इसलिये कि जो अफसरों की साजिश पर, बदमाशों की साजिश पर टिके हुए हैं उन्होंने आपकी हिम्मत पस्त कर दी। आप में हिम्मत तो आई पर बाद में वह किन किन दबावों के कारण टूट गई यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शिवचरणजी आप में दम होना चाहिये। किशमलालजी ने तो ठोकर मार दी पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीशिप को। आप इस्तीफा दे दें इस मुद्दे पर ? या आप सुखाड़ियाजी से कहें कि आप जांच करावें। पर आप बर्दाश्त करते हैं उनको। हम आपका साथ देने को तैयार हो सकते हैं पर आप हमारी बात पर गौर क्यों करेंगे ? आपको सुखाड़ियाजी का डर है। पर हम न सुखाड़ियाजी से डरे हैं, न व्यासजी से डरे हैं न मथुरादासजी से डरे हैं। न आपके आई. जी. से डरते हैं न नारायणसिंह से डरते हैं। भरतपुर में इनका मुकाबला करने वाले कांग्रेसी नहीं हैं। उनका मुकाबला तो हम ही करेंगे और यह बतावेंगे कि पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ग्रोन ए पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने तो एक इस तरह की बात कर दी। आप मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने के लिये समय देना नहीं चाहते ? मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पहले यह हुक्म करिये कि मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दूं जिसका मुझे अधिकार है। आप किस अधिकार से मुझे रोकना चाहते हैं?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम ऑर्डर को नहीं समझते। आप हिन्दी में बोलिये। ब्रिटिश आर्डर को हमने कभी

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
नहीं माना, पुलिस आर्डर को नहीं माना, हमने उनका भी मुकाबला किया है। हम ऑर्डर को नहीं समझते। ओन दी पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर।

श्री सभापति : आप कुछ और कहेंगे फिर उधर से परसनल एक्सप्लेनेशन आवेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं केवल अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच मिनिट का समय दे दीजिये।

श्री सभापति : आप फिर इस बात का ख्याल रक्खें कि वापिस आप व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं लगावें। केवल अपना एक्सप्लेनेशन देंगे।

(4 म. प.)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक निवेदन करूं सभापति महोदय, आपको इतनी क्या चिन्ता है? मैं आरोप लगा रहा हूं।

श्री सभापति : इसका वापिस फिर कोई उत्तर नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, जो हमारे उप मन्त्री महोदय ने भूख-हड़ताल की 7 तारीख को, 17 अप्रेल को नव भारत टाइम्स में वक्तव्य छपवाया। गृह मन्त्री जी ने उसका नोटिस लिया, 32 के करीब इन्स्टांसेज हैं। मैं 50 ऐसी घटनाएं दूंगा। चोरी और रिश्वत खोरी की मैं बताऊं कि भरतपुर जिले में, मैंने उसमें लिया था, विशेष कर बयाना क्षेत्र में, निर्दोष लोगों को झूठे मुकद्दमों में फसाया गया है। मैं कहता हूं कि प्लाटून कमाण्डर है, उसके खिलाफ शिकायतें हैं। मैंने निवेदन किया था कि उसका प्रधान बैठ गया, सरपंच बैठ गया। अगर आप भूख हड़ताल नहीं करते तो महाराजसिंह सरेंडर करने वाला था। आप जाति की बात करते हैं? जो कोई उठाया जाता है बनिया उठाया जाता है। कोई ठाकुर नहीं उठाया गया है। जाटव नहीं उठाया गया है? गूजर नहीं उठाया गया। केवल बनिया उठे हैं।

श्री जगन्नाथ पटेल : (अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं उस गरीब आदमी के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप ने यह कहा था कि मुकुटबिहारी, रिश्वत खोरी भला यह कहीं हो सकता है? मुकुट-बिहारी और रिश्वत खोरी? (हंसी) हम टूटना पसन्द करते हैं लेकिन झुकना पसन्द नहीं करते हैं। 18 हजार की रिश्वत ली है। इस रिश्वत में उप मन्त्री जी आपका कितना हिस्सा है? तिवारी जी का कितना हिस्सा है? सुखाड़िया जी का कितना हिस्सा है? इस बात को··

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह क्या तरीका है स्पष्टीकरण का।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : ऐसे व्यक्ति के नाम से आरोप लगाते हैं जो इस सदन में है नहीं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं कहना चाहता हूं ...

श्री सभापति : आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने आपको किसी भी परीक्षा के लिए तैयार करता हूं । अपने आपको प्रस्तुत करता हूं ! मैं आपकी तरह से नहीं हूं । लोग जानते हैं, आप कह दो, वह आदमी आपकी कार से बरामद नहीं हुआ है । महाराजसिंह से ताल्लुक है । रूपावास वाला भी हमारे घर पर नहीं रहा है । आप तैयार हो जाइये । हम चुनौती देते हैं । पहले मुकुटबिहारी की जांच हो ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बैठे बैठे क्या बोलते हैं, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें । तुम....

कई माननीय सदस्य :(एक साथ बोलने के कारण (अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आप आसन के प्रति किस प्रकार बोल रहे हैं :

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बैठिये, बैठिये ।

श्री रोशनलाल शर्मा : तुम, चेयर को कहा है, यह क्या तरीका है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसी क्या बात है । आप का राज्य है । आप के राज्य में अनाचार हो भ्रष्टाचार हो रहा हो, उप मन्त्रियों का उसमें हाथ हो, उन से सम्बन्धी हो ।

श्री मूलचन्द डागा : गलत है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : गलत है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डागा जी और रोशनलाल जी, आपके इलाके की समस्या होती, आप के आदमियों को उठाकर ले जाया गया होता तो आप को पता चलता ।

श्री सभापति : यह आपका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस बात की जांच हो । केवल मुकुटबिहारीलाल के खिलाफ ही नहीं, रिश्तेदारों और नातेदारों के खिलाफ भी । किसी से भी भ्रष्टाचार को आप थोड़ा भी सबूत ला दें तो मैं वह सब स्वीकार करूंगा, जो आप कहते हैं । इस सदन के प्रांगण में सच्चाई से सामने आइये । मैं ऐसी बातों के बीच में नहीं जाना चाहता था । यह हंसना और गाल फुलाना दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं । मुख्य मन्त्री महोदय ऐसे सन्देहास्पद चरित्र वाले व्यक्ति को तत्काल बरखास्त कर दें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो कह चुके हैं । एक बार कह दिया है । दो बार कह दिया है ज्यादा कहने से अच्छा नहीं लगता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, जहां तक स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित मामला है। मैं उसी के सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा जो भी सम्बन्धित मामलों के बारे में उसके लिए माननीय मन्त्री जी, उप मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। आप सब इससे परिचित हैं कि चम्बल एरिया डाकू ग्रस्त एरिया है। यह आज की समस्या नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि डाकुओं का काफी सफाया पहले किया जा चुका है। ये डाकू राजस्थान में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी डकैती करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक उनका सफाया करने में कामयाब नहीं हुई है। हमने हमारे क्षेत्र के अधिकांश डाकुओं को खत्म किया है। डाकू लोग डाका करने में तभी सफल हो पाते हैं जब कि लोकल लोगों की मदद हो। लोकल लोग रसद पहुंचायेंगे। उसके बिना वह कामयाबी नहीं पा सकते हैं। चम्बल रेवीन्स के अन्दर डाकुओं का छुपना बहुत आसान है। इसके साथ साथ जो लोकल पापुलेशन है, वह उनको हर तरह से मदद दे उनको रसद पहुंचाई जाये तो पुलिस का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए यह बात जरूरी है कि जहां कहीं डकैती हो जाती है, जहां कहीं किडनैपिंग हो जाता हैं तो उसका पता लगाने के लिए पुलिस को उन लोगों को इन्ट्रोगेट (पूछताछ) करना पड़ता है जो लोग उन डकैतों से सम्बन्ध रखते हैं। पुलिस के चेंज करने पर उनका हारबरिंग करते हैं या उनको रसद पहुंचाते हैं। लाजिमी तौर पर पुलिस को उनको इन्ट्रोगेशन के लिए बुलाना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि जाति विशेष को लेकर इस मामले को एक अहमियत दी जा रही है। वास्तव में चम्बल घाटी में डेकोइट्स सारी कौम के हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, चमार भी हैं और बहुत सी कौम के हैं....

श्री रामकिशन : कोई बनिया नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : और वह डकैत....

श्री रामकिशन : सब जाति के लिए नहीं कह सकते, कोई बनिया डकैत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बनिया नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप उप मन्त्री को कह दें वह बन जायं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे कहा कि इन्ट्रोगेशन के लिए कहना कि जाति विशेष के लोगों को बुलाया जाता है यह सही बात नहीं है। इन्ट्रोगेशन के लिए सारी कौम के, जिनके ऊपर शक होता है, जिनके ऊपर शुबाह होता है, लोगों को पुलिस बुलाती है और इन्ट्रोगेट करती है। रहा सवाल इस बात का कि इन्ट्रोगेशन के दौरान पुलिस के किसी ऑफिसर ने या पुलिस के किसी सिपाही ने किसी प्रकार की कोई ज्यादती की है और उसकी शिकायत होने पर और सही साबित होने पर यदि उसको कोई सजा नहीं दी जाय तो ऐसी स्थिति में वह कसूरवार होंगे।

जहां तक इस मामले का प्रश्न है, जिस बात को लेकर उप मंत्री जी भूख हड़ताल पर बैठे उसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि आज तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स किसी आदमी को टॉर्चर करने का, किसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

औरत के साथ पुलिस के ऑफिसर ने किया हो दुर्व्यवहार— ऐसा आज तक स्पेसिफिक इन्स्टान्स (शिकायत) नहीं आया है। मैंने कहा है कि ऐसा इन्स्टान्स दीजिये, किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस के मुलाजिमों के द्वारा जिन लोगों के साथ ज्यादती की गई है, मारपीट की गई है, या दुर्व्यहार किया गया है या जिन लोगों से रिश्वत ली गई है उनकी डिटेल्स दीजिये, हम बराबर उसकी जांच करवायेंगे, उसकी एन्क्वायरी करवायेंगे। यह जरूर है, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल कम्प्लेन्ट्स में तो न कोई जांच हो सकती है और न जांच मुमकिन है। मुकुटबिहारी जी ने मेरे पत्र के बारे में, जो बात मैंने कही सो उस पत्र में लिखा था कि आपने पत्र की आपने इस स्टेटमेंट में बहुत जनरल कम्पलेन्ट की है। इससे जांच मुमकिन नहीं है। आप महरबानी करके स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें। मैं फिर आपको अर्ज करता हूं कि आप किसी ऑफिसर के खिलाफ स्पेसिफिक इन्स्टान्स देंगे, स्पेसिफिक चार्ज लगायेंगे और डिटेल्स देंगे तो हम बराबर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे चाहे वह डाकू अभियान में काम कर रहा हो, या कहीं और काम कर रहा हो। दूसरी तरफ मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस डाकू समस्या को आप ध्यान में रखें और इसको राजनैतिक रंग कतई न दें। यह एक सामाजिक समस्या है जो आपके, हमारे और सबके लिए खतरनाक है। वहां की जनता मुसीबत में है और उसका जीवन खतरे में रहता है, इसलिए इसको राजनीति से दूर रखें और जो सारी मुश्किलात पुलिस की हैं उनके ऊपर भी विचार करें कि किस प्रकार की मुश्किलात पुलिस को डाकुओं का सफाया करने में उठानी पड़ती है और क्या उसकी दिक्कतें हैं।

दूसरा सवाल मैं आपको अर्ज करता हूं कि गूजर जाति या कोई और जाति के खिलाफ पुलिस या सरकार द्वारा कोई अभियान शुरू किया गया हो—यह बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि महाराजसिंह या किसी डकैत जिसकी कौम गूजर है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास उसका आना जाना स्वाभाविक है जिन लोगों के पास उन्हें पनाह मिलती है केवल उन लोगों को बुलाया गया है, और यह कैम्प कोई ऐसी चीज नहीं जिस प्रकार के कन्सेन्ट्रेशन कैम्प बनते हैं, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर लोगों को इन्ट्रोगेशन के लिए बुलाते हैं और इन्ट्रोगेशन करने के बाद वह वापिस चले जाते हैं। इसके लिए कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है। इसलिए इसको जाति की राजनीति का रूप न दिया जाय। राजनैतिक दृष्टि से न देखा जाय। जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, यदि कोई स्पेसिफिक चार्जेज या शिकायत दी जाय तो मैं अवश्य उसकी जांच कराऊंगा और कोई गलती पाई गई तो गलती करने वाले अभियुक्त को सजा दी जायगी।

श्री रामकिशन (वैर): सभापति महोदय, मैंने कुछ स्पेसिफिक चार्जेज लगाये थे, उनकी जांच करवा लेंगे या लिख कर दूं तब जांच करवायेंगे? सम्पतराम को रोदेला कैम्प में रखा गया····

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि मैं इस एडजर्नमेंट मोशन से सम्बन्धित

(श्री दामोदरलाल व्यास)
मामले पर ही अपना वक्तव्य दे रहा हूं। माननीय सदस्य उस बात से परे जा रहे हैं।

श्री रामकिशन : कैम्प के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : कैम्प के बारे में कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री रामकिशन : यह सारा मामला है ही कैम्प्स के बारे में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने चार्जेज के लिए शुरूआत में ही कह दिया था, अगर आप लिख कर दे देंगे जांच करवा लूंगा।

श्री रामकिशन : प्रोसीडिंग्स में सारी बातें हैं :

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको देने में यदि दिक्कत हो तो मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जो उप मंत्री के बारे में चार्जेज लगाये गये हैं उनके बारे में आपने क्या कहा ? उप मन्त्री ने जो अनशन किया उसके बारे में आपने क्या किया ?

श्री सभापति । ऑर्डर प्लीज, माननीय श्री भैरोंसिंह ।

श्री रामकिशन : माननीय शिवचरण जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत चरित्र के बारे में मुख्य मन्त्री जी को कह रखा है कि उनके व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में जो जांच चाहें करवा लें। तो आप जांच क्यों नहीं करवाते ? क्या आप चाहते हैं कि उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाय ? तो आप जांच करवा लें और अगर वे निर्दोष हैं तो मालूम पड़ जायेगा, और अगर वे दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाये।

दूसरा गृह मंत्री जी ने कहा कि लिख कर दें। तो अगर नहीं लिख कर दें तो क्या परिणाम होगा ? लेकिन जो स्पेसिफिक चार्जेज कैम्प आदि की भरतपुर की मैंने लगाई हैं उनका क्या करेंगे ? आप केवल कानून की बात न करें और खुद इसमें दखल देकर मालूम करें कि वहां पर पुलिस वालों ने क्या कर रखा है। वहां पुलिस वालों ने इतना पैसा कमाया है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उनसे चन्दा मांगने लग जाओगे। एक एक थानेदार ने पंद्रह-पंद्रह और बीस-बीस हजार रुपये केवल इस बात से कमाये हैं कि पकड़ कर कैम्प में ले जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। आज तक 1483 आदमी बुलाए गए हैं और वे कितना पैसा देकर छूटे हैं, इसकी जांच करवा दी जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि अभी माननीय उप मन्त्री ने जिस समय अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने इस बात का समर्थन किया जो कि समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी थी, और आपने अपने भाषण में भी यह कहा कि पुलिस सूत्रों के द्वारा उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, इसकी जांच करवाई जाये। उन्होंने कहा कि पुलिस के आदमी इस तरह से प्रचार कर रहे हैं उनकी डकैतों से सांठ-गांठ है। तो गृह मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस वाले इस तरह का प्रचार कर रहे हैं यह बात सही है क्या ? और दूसरा उप मन्त्री जी ने जो गोपनीय चिट्ठी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

को लिखी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि उप मन्त्री महोदय ने यह कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री को शिकायत की कि कुछ पुलिस वाले ज्यादतियां कर रहे हैं, और इधर गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उप मंत्री ने बिना बात ही अनशन किया।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो जो बात उप मंत्री जी न कही और गृह मंत्री जी ने कहीं, इनमें से कौनसी सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न यहां यह उठाया गया कि उप मंत्री जी के बारे में जो कुछ कहा गया है, और दूसरा उन्होंने मुझसे स्वयं भी कुछ समय पहले जब मिले थे तब कहा था कि उनके बारे में जांच करवा ली जाये, उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में यहां एक प्रश्न उठाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय जिस समय समाचार-पत्रों में ये इधर उधर की, इस प्रकार की चर्चाएं सामने आई तो उप मन्त्री जी मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, तो अगर किसी प्रकार का भ्रम हो तो जैसे भी चाहें जांच करवालें। मैंने उनसे यह कहा था कि किसी समाचार-पत्र में इस तरह की बात आने पर या किसी व्यक्ति के इस प्रकार कह देने पर हम जांच का सिलसिला शुरू करें तो यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि जब तक कोई डेफिनेट एलीगेशन जिस पर कोई प्राइमा फेसी केस बनता हो, वह सामान न हो तब तक कोई जांच आवश्यक है। अभी भी, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सदन में चर्चा आई उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों पर यही असर पड़ा होगा कि पोलीटीकली मोटीवेटेड एलीगेशन्स क तौर पर यह बात सामने आई, और इस तरह की बात पर एक जांच की बात शुरू कर दी जाये, मैं समझता हूं वह उपयुक्त नहीं होगा।

यहां पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा के अन्दर जो उप मन्त्री जी ने जवाब दिया है, उस जवाब के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास हो जो कि तथ्यों के आधार पर साबित किया जा सकता हो कि उन्होंने जो कुछ कहा वह गलत कहा है और तथ्यों के आधार पर बात दूसरी है, तब तो उस पर चर्चा की जा सकती है, पर आज की स्थिति के अन्दर उस पर कोई जांच शुरू करवाने का विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने इसको बड़ी कुशलता से साइड ट्रेक करने की कोशिश की है। प्रश्न यह था कि पुलिस के सूत्रों ने इनके विरुद्ध जो प्रचार किया है वह क्या राजनैतिक आधार पर भी पुलिस वाले प्रचार करते हैं इसका उत्तर नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं इस प्रकार का कहना उप मंत्री जी का रहा है, और उधर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी पुलिस सूत्रों की बात कही है। किस पुलिस सूत्र द्वारा इस प्रकार की सूचना प्रसारित की गई यह बात निश्चित तौर से नहीं आई। उप मंत्री महोदय ने जो जिक्र किया है मैं उनसे बात करूंगा कि किन आफिसर्स के खिलाफ विशेष तौर से इस सम्बन्ध में उनको शिकायत है उसके लिये उनके पास क्या तथ्य हैं?

श्री नत्थीसिंह : उपमंत्री जी यहीं पर बैठे हैं बता दें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : धौलपुर से आने वाले माननीय उपमंत्री के सम्बन्ध में और भूख हड़ताल करने वाले उपमन्त्री के संबन्ध में पुलिस अधिकारियों की तरफ से डाकुओं के उन्मूलन के सम्बन्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें उनका हस्तक्षेप हो रहा है इस प्रकार की शिकायत मुख्य मंत्री जी या गृह मन्त्री जी को मिली है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिकायत तो कई प्रकार की आती रहती हैं।

श्री दौलतराम सारण : पुलिस कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की और डाकुओं के उन्मूलन के कार्य में बाधा डालने के बारे में इन दोनों उप मन्त्रियों के बारे में पुलिस अधिकारियों द्वारा आपको शिकायत प्रेषित की हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की बात की शिकायत का मुझे याद नहीं है।

श्री रामकिशन : इससे तो मालूम पड़ता है आपकी याद बहुत कमजोर है राज्य नहीं कर पाओगे।

श्री दौलतराम सारण : भरतपुर के एस० पी० और सवाई माधोपुर के एस० पी० ने लिखित रूप में राज्य सरकार के गृह मन्त्री को और मुख्य मन्त्री को और आई० जी० को शिकायत भेजी है कि डाकुओं के गिरोह के उन्मूलन करने के बारे में उप मन्त्री धौलपुर और सवाई माधोपुर के बराबर हस्तक्षेप करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने समझ कर ही उत्तर दिया है कि उनको याद नहीं है।

श्री रामकिशन : इन्होंने इन्कार नहीं किया है लिखा है या नहीं यह उनको याद नहीं है। आज जबकि इनकी पार्टी के लोगों के बारे में जब शिकायत आती है उनकी पार्टी के लोगों पर एलीगेशन लगते हैं तो उसको सदन में इन्कार करके आप लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं मुख्य मन्त्री जी की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं भंवर गोविन्दसिंह ने इन्हीं उप मन्त्री के खिलाफ लिखा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मन्त्री) : यह बिल्कुल गलत है झूठ है। सरासर झूठ है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत मिली है कि इन्होंने डाकुओं के उन्मूलन के अभियान में बाधा डाली है, हस्तक्षेप किया है या इनकी डाकुओं से सांठगांठ है? क्या इस बारे में किसी पुलिस अधिकारी ने सूचना नहीं दी? क्या इस बारे में गवर्नमेंट ने जांच करवाई थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कब की बात पूछ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी को याद नहीं पड़ता कि उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आई हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मन्त्री जी की याददाश्त कमजोर पड़ गयी है। अब उनके सुपुत्र आ गये हैं वे चार्ज देकर चले जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के पास सरूपा और मेवा काण्ड के बारे में क्या राज्य सरकार के पास पुलिस अधिकारी ने अपने डी० ओ० द्वारा सूचना दी थी जो रिपोर्ट आपकी फाइल में मौजूद है।

श्री नत्थीसिंह : गृह मन्त्री महोदय को भी इस सम्बंध में याद है या नहीं कि आपके पास इस सम्बंध में कुछ शिकायतें आई हैं ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं यह जो केम्प लगाये जाते हैं उसका कोई कानून में प्रावधान है ? क्या आपकी जानकारी में है इस तरह के कैम्प जहां महिनों के लगते हैं उनमें लोगों को लगातार रखा जाता है और यहां तक कि 9-9 महीने तक लोगों को रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुख्य मन्त्री जी को और गृह मत्री जी को अपने रेकार्ड से वेरीफाई करना चाहिये कि इस प्रकार की एस० पी० की शिकायत है यदि रेकार्ड में मिल जाय तो क्या वे जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस समय गृह मंत्री जी भी मौन हैं और मुख्य मंत्री जी भी मौन हैं क्या इसी तरह से राजस्थान का उद्धार होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पुलिस के जरिये से किसी डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत आयी होगी तो ऑफिस के अन्दर होगी। आपने कहा है मैं चेक अप कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपके ऑफिस में आयी होगी तो आप चेक करा लेंगे गृह मंत्री महोदय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ऑफिस में आयी होगी तो जरूर चेक अप कर लूंगा। इन दिनों में मेरे पास शिकायत नहीं आयी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एस० पी० द्वारा कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई पुरानी होगी तो चेक अप कर लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अक्टूबर, 69 में गृह मन्त्री महोदय के पास इस प्रकार की शिकायत आयी थी कि पंचायत समिति की जीप जिसमें उप मंत्री ने दौरा किया उसी जीप के जरिये से डाकुओं से सम्पर्क किया इस प्रकार की शिकायत आपके पास आयी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे याद नहीं पड़ता।

श्री श्रवणलाल : कल आप रेकार्ड देखकर जवाब दिलवा दें।

एक माननीय सदस्य : इस मेटर को चेक अप करवा लिया जाय।

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो प्रश्न किया गया है उसके बारे में मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि इस सम्बन्ध में उनको जानकारी नहीं है इस तरह से जानकारी होते हुए टाला जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या वास्तव में आपको जानकारी नहीं है या इसको टाल रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इनको बाउण्ड डाउन किया जाए। कल जानकारी हो जाए उसके बाद इन तथ्यों के सम्बन्ध में प्रकाश डालें। जो बात सभी अखबारों में आयी है उनके बारे में इस तरह से सदन को गुमराह करना अच्छी परम्परा नहीं है। आखिर आपका सदन के प्रति दायित्व है। आपके मार्फत हम यह जानना चाहते हैं कि आप कल गृह मंत्री जी को बाध्य करें कि वे जानकारी करके सदन को अवगत करायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : याददास्त खराब हो गई है तो मेन्टल होस्पिटल में भेज कर ठीक करवा लिया जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब एक मूल मुद्दा जिस पर कि जानकारी उधर बैठने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं और वह मुख्य मुद्दा है। खेद इस बात का है कि मुख्य मंत्री और गृहमंत्री दोनों पता नहीं क्यों दबाने की चेष्टा कर रहे हैं? माननीय उप मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया इसके बारे में इम्पोर्टेंट पाईन्ट्स के मैंने नोटस लिए हैं। उन्होंने एक बात कही कि सितम्बर-अक्टूबर में काफी लोगों को, 12 औरतों को कैम्पों में पकड़ कर रोक रक्खा था। शिकायतें की गई। उनकी मारपीट का मसला था, आई. जी. पी. का मसला था, एस० पी० का मसला था। राज्य सरकार को उन्होंने शिकायत की खुद शिवचरण जी ने और राज्य सरकार को उन्होंने पुलिस की शिकायत की, तब पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत की। और इसके बाद 13 अक्टूबर, 69 को समाचार-पत्रों में सारी बातें छपी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर को मामला दिया गया यह बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। वक्तव्य में कही है, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने तुरन्त समाचार-पत्रों की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की? उन्होंने साफ साफ लिखा है 13 अक्टूबर, 69 के समाचार-पत्रों में पुलिस आरक्षी निरीक्षक के राजनैतिक हस्तक्षेपों के कारण अत्यधिक क्षुब्ध हैं और स्थानान्तरण कराने की इच्छा व्यक्त की है और यह भी लिखा है समस्त परिस्थितियों से मैंने अवगत करा दिया है। और लिखा है आरक्षी पुलिस निरीक्षक ने पंचायत समिति की लाग बुक अपने कब्जे में कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन प्रमुख व्यक्तियों को एक उप मंत्री का समर्थन प्राप्त बताया गया है जिनके निरन्तर हस्तक्षेप के कारण उनमें तीव्र असन्तोष व्याप्त है। फिर लिखा है कि सवाई माधोपुर के उच्च पुलिस अधिकारियों के कथनानुसार उप सरपंच का इसमें हाथ है और इसके कारण डकैत विरोधी अभियान में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

13 अक्टूबर 69 को समाचार प्रकाशित हुए। इससे एक बात स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर के पुलिस अधिकारियों ने पंच, सरपंचों और उप मन्त्री के खिलाफ राजनैतिक तौर पर हस्तक्षेप करने की बात कही है और इसकी शिकायत भी की है और यह भी कहा है कि इनकी डाकुओं के साथ सांठ गांठ है, इनका उनसे मेलजोल है, करौली पंचायत समिति की जीप पकड़ी गई उसकी लाग बुक पकड़ी गई और उसके आधार पर यह शिकायत है तो मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को यह पुलिस की शिकायत मिली यह बात झूंठ है ? क्या पुलिस ने इस तरह की कोई शिकायत मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से नहीं की ? अगर की है तो क्या की है ? क्या आपने फिर उसकी जांच करवाई है ? उप मंत्री ने भी इत्तला दी। उस पर भी आपने कोई जांच करवाई ? और उस जांच के आधार पर क्या पुलिस की शिकायत झूंठ पाई गई ? और अगर नहीं पाई गई तो आपने फिर आगे क्या कार्यवाही की ? आप इसका स्पष्टीकरण करें और स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो मैं कह चुका हूं, उससे ज्यादा मुझे कुछ एड नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष . चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चर्चा समाप्त नहीं हुई। इसमें ही बहुत समय लग गया है।

श्री नत्थीसिंह : राजस्थान के मुख्य मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन जुल्म और अत्याचार के अड्डे इन पुलिस केन्द्रों को स्थायी रूप से रखना चाहते हैं और इस तरह से खुली लूट-खसोट, रिश्वतखोरी और जुल्म ज्यादती को स्थायी रख कर अपने लोगों को अपने घर भरने की छूट जारी रखना चाहते हैं ? क्या रूख है आपका इसके प्रति ? कृपया स्पष्ट शब्दों में कहें। आपने यह नाजायज लूट की छूट पुलिस वालों को दे रखी है और यहां जो कुछ अन्याय अत्याचार होते हैं और इनके खिलाफ जो शिकायतें आपके उप मंत्री तक ने की है क्या फिर आप उनकी खुली जांच कराना चाहते हैं या नहीं ? यह भी स्पष्ट कर दें। आप इन दोनों में से कोई जवाब हां या ना में नहीं दे रहे हैं। यह आपका बिल्कुल गलत रवैया है। आप पुलिस से मिलकर राजस्थान की जनता के साथ हो रही इस लूट और अनाचार और अत्याचार के अड्डों को कायम रखना चाहते हैं, यह स्पष्ट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्री या गृह मंत्री अब कोई उत्तर देना नहीं चाहते। राजस्थान का कोई उप मंत्री, पंच, सरपंच मन्त्री डाकुओं को पनाह दे, डकैतियां डलवाये, पुलिस की शिकायत जो मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के पास है उस पर ये कोई एक्शन नहीं लें इसका स्पष्ट अर्थ है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता को ये इन डाकुओं के हवाले कर देना चाहते हैं, उस पर लूट खसोट, अनाचार और अत्याचार रिश्वतखोरी आदि को बरकरार रहने देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अब दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके बारे में आपके पास अधिकारियों की ओर से पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई जांच रिपोर्ट है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई उत्तर नहीं दिया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव विधान सभा में रखा गया। उप मंत्री को रिपट करने के लिए, स्पष्ट मंशा थी इसके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : वह अच्छी तरह से हो गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हुआ नहीं। यही तो बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि इसमें अधिक से अधिक दो घंटे का समय होता है जिसकी जगह तो आपने साढ़े 4 घन्टे ले लिए हैं। इसलिए अब अधिक समय दिया जाना संगत नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि अगर ईमानदारी से, सच्चाई से इस स्थगन प्रस्ताव की मंशा को देखते हुए उत्तर दिया जाता तो यह समय नहीं लगता और यह परिस्थिति भी पैदा नहीं होती। पर सारे सदस्यों की भावना को कुचला गया है और इस समस्या को हल करने के बजाय टालने का प्रयास किया गया है और सही और सीधा जवाब भी नहीं दिया गया है। हमने स्पष्ट लिखा है कि शिवचरण सिंह जी ने भूख हड़ताल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है और डाकू उन्मूलन अभियान में बाधा डाली है। यह भी स्पष्ट पुलिस अधिकारियों ने सरकार को लिखा है और जीप के नम्बर दिये हैं उसकी लॉग बुक दी है और उन प्रमाणों के साथ कहा है कि इनका डाकुओं से सम्बन्ध है। इस आधार पर उप मंत्री को इस्तीफा दिलाया जाकर जांच कराई जानी चाहिए थी, और अगर पुलिस की शिकायत सही साबित होती तो इनको जेल में डालना चाहिए था, सजा दिलानी चाहिए थी, और अगर पुलिस की शिकायत गलत साबित होता तो उनके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। स्पष्ट और सीधा सा यह मामला था। पर यहां तो मामला ही टाला जा रहा है, गृह मंत्री कहते हैं ऐसी कोई भी शिकायत उनके पास आई हो इसकी जानकारी उनको नहीं। मैं समझता हूं यह काफी नहीं है। वे तो कोई भी उत्तर देना निरर्थक समझ रहे हैं। पर जब तक सही सीधा उत्तर नहीं आ जाता है तब तक हम भी नहीं रुकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये सारी बातें डिबेट में आ गई हैं।

××× अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। वाद-विवाद उन्होंने सब सुना है। वे एक मिनिट में यहां बैठे बैठे बता सकते हैं कि उप मंत्री जी के बारे में सवाई माधोपुर के एस. पी. की जीप के सम्बन्ध में और लाग बुक के सम्बन्ध में वहां के पंच, सरपचों के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र आया या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अक्टूबर-नवम्बर की बात तो अब कह रहे हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह तो शुरू में ही कह दी थी। यह कोई बड़ा मसला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन को भी इससे तसल्ली हो जावेगी। उपमन्त्रीजी भी निर्दोष साबित हो जावेंगे। इस सम्बन्ध में वे बता दें कि आया इस तरह की एस. पी. की चिट्ठी उनको मिली या नहीं। अगर आई है तो फिर उन्होंने क्या किया ? जांच कराई ? और अगर जांच कराने पर सही साबित हुए हैं वे चार्ज तो फिर उपमन्त्रीजी मन्त्रीमण्डल से इस्तीफा दें। नहीं तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने जिन्होंने झूठा शिकायती पत्र दिया उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। हम तो मन्त्रीजी को सरकारी तलवार से बचाने के लिये यह जानकारी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो तुरन्त कह सकते हैं कि वे निर्दोष हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्पैसिफिकली वे कह दें। गृहमन्त्रीजी को सब कुछ याद है। पूरी रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है। सात पेज की रिपोर्ट है। पढ़ने के बाद गृहमन्त्रीजी कह रहे है मुझे ध्यान नहीं है तो आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि दो मिनिट के लिये या तो आप सदन को स्थगित कर दें या ये सरकारी अधिकारियों से जानकारी ले लें अपने दफ्तर से, इस बीच में दूसरी कार्यवाही कर लें। अपने विभाग से पूछ कर ये बता दें कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी या नहीं। और आई तो उस पर क्या एक्शन लिया यह नहीं पूछूंगा चलो। पर रिपोर्ट ऐसी आई या नहीं, यह बता दें।

उनको याद न हो, दुनियां का कोई इन्सान इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह बात कह दी। होम कमिश्नर साहब का ताल्लुक है, मैंने पूछ लिया उनको, उनके पास कोई शिकायत ऐसी नहीं पहुंची।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह भी याद नहीं आता। क्रॉस एग्जामिनेशन तो नहीं होगा यहां पर। यह सदन छिपाने का स्थल भी नहीं है। आपको ध्यान हो तो आप बता दें। आप चिट्ठी पेश कर दें।

एक माननीय सदस्य : वह भी कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास एस. पी. सवाई माधोपुर की चिट्ठी नहीं आई, यह आप स्पष्ट कह दें। गवर्नमेन्ट चाहेगी तो हम पेश भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह यह कह कर समस्या को न टालें कि जानकारी नहीं है। पुलिस मन्त्री होने के अलावा आज

(श्री रामकिशन)
से आप की हैसियत बदल गई है। आप का लड़का भी विधान सभा का सदस्य हो गया है। वह आप से सीखेगा कि मेरा बाप किस प्रकार का उत्तर देता है। इसलिए सच्चाई से सदन में पेश आयें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री नत्थीसिंह : यह तो बिल्कुल जवाब देना नहीं चाहते है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : (व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा कि मैंने यह मोशन मूव किया है, उसमें मैंने यह नहीं कहा है कि उपमन्त्री का सम्बन्ध है। मैंने यह कहा है कि समाचार पत्रों में यह छपा हैं। क्या जानकारी देंगे, आया उपमन्त्री महोदय की डाकुओं के साथ सांठगांठ है या नहीं? क्या यह मानकर चला जाये कि समाचार पत्रों में जो छपा है, वह सत्य है?

श्री उपाध्यक्ष : आप जो मानें वह मान लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडजोर्नमेंट मोशन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैने कहा साढ़े 4 घण्टे ले लिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृहमन्त्री महोदय, मैं समझता हूं जानकारी को छुपा रखना चाहते हैं। आप कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य। मुझे विवश होकर स्थगित करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आॅर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं.... ....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

(शोरगुल–अश्रव्य)

आॅर्डर, आॅर्डर।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि आप जांच करवालें, जैसे कि सीतामाता अग्नि परीक्षा से निकली थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिस पत्र को माननीय मैरोंसिहजी ने दिया है, जितने भी आरोप लगाये गये हैं, वह उसमें मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बात साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार एक मन्त्री को प्रश्रय देने के लिए क्या कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी क्षमता को क्यों नष्ट करते हैं। मंत्री महोदय ने अपना जवाब दे दिया है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आप इन्हें इस योग्य समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभी सदस्यों को अधिकार है कि वह राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करें। सरकार जानकारी दे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थगन-प्रस्ताव की जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य आप व्यर्थ में तकलीफ कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं प्रार्थना करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप कितनी बार डिबेट में हिस्सा लेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक कमेटी बना दी जाये जिसमें गृहमन्त्री हों, अधिकारी हों, उनको शपथ ग्रहण कराके...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको शपथ ग्रहण कराके उनसे पूछा जाये कि क्या गड़बड़ घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : शिवचरणसिंह एक्स जागीरदार हैं। मैं भी एक एक्स जागीरदार हूं। इस कलंक को किस प्रकार से धो सकते हैं। इसकी एन्क्वायरी करवालें। जांच करवा ली जायें।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 111

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले आ चुकी है।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया जी, आपने कितनी बार हिस्सा ले लिया है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

अंकित न हो।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसी घटना हो गई कि रात भर रोये और एक नहीं मरा। जो एक मरा वह भी सुबह उठकर भाग गया। गृहमन्त्री जी जवाब नहीं दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार की आये दिन घटनायें होती जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री श्रवणलाल : असत्य वक्तव्य दिया है, कोई तथ्य नहीं है। जो आरोप लगाये गये हैं, वह सत्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवणलाल : करौली में जी जनसंघ के प्रधान रहे थे···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप कह दीजिये, हम मान लेंगे।

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री भैरोंसिंह : इससे तसल्ली हो जायगी अगर गृह मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि इस प्रकार की चिट्ठी नहीं आई। बस इतना सा कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और इसका

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)
उत्तर माननीय गृह मन्त्री जी ने दे दिया है। उसके बाद भी वह अनुभव करें कि कुछ कहना बाकी है तो वह पूर्ण स्वतन्त्र हैं, वह कह सकते हैं, बाद में भी कह सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने प्रार्थना की थी आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, कि गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बाध्य करें, इस प्रकार का आश्वासन दें कि अधिकारियों से सच्चाई जानने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन को अधिकार है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप अन्तर आत्मा की आवाज सुनाने दीजिये।

श्री आईदानसिंह : यह भावना व्यक्त करते रहें और आप ...

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि याद नहीं रहना है—यह गद्दारी की बात है। हम क्या समझें दिन भर की बहस के बाद भी एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया है। कहते हैं, कमजोर याददाश्ती के कारण याद नहीं रहता है। यह कहते हुए शर्म नहीं आती है। आपको याद नहीं रहता है तो क्यों कुर्सी पर बैठे हैं; कुर्सी छोड़ दीजिये। यह नहीं हो सकता, आपके खिलाफ चार्जेज लगें और आप यह कह कर टाल दें कि हमें तो याद नहीं है। याद नहीं है तो किस प्रकार दो करोड़ जनता को खत्म करवाने के लिए बैठे है ?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन का समय ले रहे हैं। चर्चा समाप्त हुई।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अंकित भी नहीं होगा, राज्य सरकार जवाब भी नहीं देगी, फिर व्यवस्था किस बात की है ?

श्री आईदानसिंह : यह अच्छा नहीं है। अंकित भी नहीं हो और हाउस भी चलता रहे। इससे अच्छा तो पहले ही एडजोर्न हो रहा था।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी निवेदन कर दिया ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह कह दें कि चिट्ठी आई या नहीं !

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आपकी अन्तरात्मा की आवाज आज कुछ नहीं कह रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी अन्तरात्मा की आवाज बहुत मजबूत है । बहुत कुछ कह रही है ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : प्रेसीडेंट के इलेक्शन में तो आपको अन्तरात्मा की आवाज सुनाई दे गई । आज आपकी अन्तरात्मा नहीं बोल रही है ।

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का सदन है, यह डिबेटिंग हाउस है, इस पर हजारों रुपये रोज खर्च होते हैं । हमें इसलिए ही इस गर्मी में बुलाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक फर्मा रहे हैं । इसलिए ही बार बार निवेदन कर रहा हूं । चर्चा समाप्त कर दी जाय । इस पर लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सेन्ट्रल सी. आई. डी. से इसकी एन्क्वायरी कराई जाय तब हमें विश्वास होगा । आप इस प्रकार की बातों को दबाना चाहते हैं तो राजस्थान की दो करोड़ जनता इसको दबने नहीं देगी । हम इस बात को जानते हैं, आप कहते हैं; अंकित नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री आईदानसिंह : इससे अच्छा तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी कर देंगे थोड़ी देर में ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नहीं, कल फिर यह प्रश्न आयेगा, कल फिर बोलेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बहस...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान कुछ प्रश्न उठाये गये थे और उन प्रश्नों पर माननीय उप मंत्री शिवचरणसिंह ने अपना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जिन कारणों, जिन वारदातों को लेकर उन्होंने अनशन किया था...

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त हो गई, वह फिर शुरू हो गई ।

श्री दौलतराम सारण : अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है ।

घटनाओं के बारे में, चार्जेज के बारे में और जो पुलिस के बारे में कहा गया था कि मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री को उसकी

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री दौलतराम सारण)

जानकारी दे दी है। अब पहली जानकारी कब भेज दी थी? यह दो बातें इसके सम्बन्ध में कही गई हैं। माननीय गृह मन्त्री जी ने यह कहा कि इस समय से पहले इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। तो इस जानकारी के सम्बन्ध में उप मन्त्री जी सही हैं या गृह मन्त्री जी सही हैं—यह नहीं समझा जा सकता। वह कहते हैं कि अनशन करने से पूर्व उपवास करने से पहले मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री को स्थिति से अवगत करा दिया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सैंतीस सही हैं और सारा सदन गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : उनके पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं है—यह उन्होंने कहा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सही हैं, बाकी की जनता कहती है वह गलत कहती है। इन्होंने जो कहा है वह ही सही है।

श्री दौलतराम सारण : दूसरी बात यह है, उन घटनाओं के सम्बन्ध में मैंने एक डाक्यूमेंट का उल्लेख किया, क्या भरतपुर के एस. पी., सवाई माधोपुर के एस. पी. दोनों एस. पी. ने किन्हीं प्रभावशाली मन्त्री महोदय या मन्त्रियों के सम्बन्ध में आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को लिखा, आई. जी. को, गृह मन्त्री को या किन्हीं को यह लिखा कि यह डाकू उन्मूलन अभियान में हस्तक्षेप करते हैं, कार्यवाही नहीं करने देते? इनके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं आया है। इससे स्थिति अस्पष्ट रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : चार्जेज जो यहां तक आ गये हैं कि उनको डाकुओं से सांठ-गांठ है—यह भी आरोप आ गया। वह कार्यवाही नहीं करना चाहें तो वह पूर्ण स्वतन्त्र हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं कहना चाह रहा हूं...

श्री रामचन्द्र आर्य : जीवित मक्खी को खा गये हैं यह।

श्री दौलतराम सारण : सदन की बहस का आखिर उद्देश्य होता है। उस बहस का औचित्य नहीं जिस बहस के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष की तरफ से उठाये गये मुद्दों का उत्तर नहीं दिया जाता, तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जाता तो बहस बेकार है, और सदन के समय का दुरुपयोग मात्र है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिलाया जाय। वह ना कह दें या हां कह दें। हां या ना में से कुछ कह दें, कल जानकारी देने के लिए कह दें। इसके लिए कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर हां या ना या कल जवाब देंगे—यह कह कर इसको समाप्त करें। लेकिन वह मौन हैं तो क्या इसको मौन-स्वीकृति स्वीकार कर लें?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जो कुछ कहना था इस मामले में वह सदन में कह चुका, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, न आज न कल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि डाकुओं के साथ सांठ-गांठ उप मन्त्री शिवचरणसिंह की नहीं, डाकुओं के साथ सांठ-गांठ रखने उनको प्रश्रय देने के वह अपराधी नहीं हैं, वह पापी नहीं हैं, डाकुओं को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री (शोर गुल-

Page No 115

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवधान) तुम्हारी जोइन्ट रैस्पोन्सिबिलिटी है। संविधान के अन्तर्गत जोइन्ट रैस्पान्सिबिलिटी है। डाकुओं के साथ सांठ-गांठ उप मन्त्री की है इसका मतलब सारा मन्त्रि-मण्डल उसके लिए दोषी है ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सचाई को व्यक्त मत करो (शोरगुल-व्यवधान) और सही बात को दबाना चाहते हो। इस प्रकार की परिस्थिति (शोरगुल-व्यवधान) कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री विजयसिंह : ×××

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने प्रार्थना की थी आपके माध्यम से कि राजस्थान भर में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और पुलिस विभाग में (शोरगुल-व्यवधान) अत्याचार और भ्रष्टाचार की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। यह पाप कहां जन्म लेता है, यह भ्रष्टाचार कहां पनप रहा है—यहां पर उस भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ना पड़ेगा। यह शासन तन्त्र डाकुओं का शासन तन्त्र है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह : हमारा राइट ऑफ रिप्लाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा राइट ऑफ रिप्लाई है। मुझे इस सम्बन्ध में जवाब देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अब आप शान्ति रखें। काफी हो गया है।

श्री नत्थीसिंह : डकैतों की तरफ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बजे मंगलवार, दिनांक 12 मई, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

ढील बांध से गत 10 वर्षों से सिंचित क्षेत्र

वर्ष	प्रथम पानी	द्वितीय पानी	तृतीय पानी	चतुर्थ पानी	कुल रकम (एकड़ में)
1960-61	524	3972	573	—	5069
1961-62	1177	4049	989	—	6215
1962-63	636	4132	506	180	5454
1963-64	1337	4480	1047	113	6977
1964-65	2704	4656	1030	43	8433
1965-66	928	73	11	312	1324
1966-67	758	4399	252	—	5409
1967-68	1904	4919	490	—	7313
1968-69	2446	4624	960	14	8044
1969-70	2464	4288	2389	146	9297

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

लिस्ट वन भूमि जो राणा प्रताप बाध के विस्थापितों को बसाने व स्थानीय आवश्यकताओं के लिए वन विभाग से राजस्व विभाग को दी गयी।

तहसील रामगंज मण्डी वन मण्डल कोटा।

क्रम संख्या	नाम ग्राम	तादाद भूमि बीघा	तादाद भूमि बिस्वा	विवरण
1	2	3	4	5
1.	जामूनिया	506	13	
2.	धरली बावडी	263	4	
3.	बिन्दा पचाड़	329	13	
4.	कूकड़ा कलां	1103	14	
5.	भटवाड़ा	647	00	
6.	ईश्वरपुरा	601	00	
7.	कालिया कुई	500	00	
8.	अतरालिया	240	03	
9.	मापड़ा	419	07	
10.	गूजरिया खेड़ी	30	00	
11.	धनी	300	00	
12.	बड़ोदिया	316	00	
		5256	14	

मण्डल वन अधिकारी,
कोटा।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (1) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

बाड़मेर जिले के प्रा० स्वा० केन्द्र व उप-केन्द्रों की सूची

स्वीकृत स्टाफ

प्रा. स्वा. केन्द्र		भवन	डा०	कम्पाउन्डर प्रथम श्रेणी	कम्पाउन्डर द्वि० श्रेणी	तृतीय श्रेणी	एम. डब्लू.	एल. एच. वी.	एस. आई.	ए. एच. डब्लू.	चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	समदरी	सरकारी	1	—	2	1	4	1	1	1	1	8
2.	गुंगा	,,	1	—	2	2	4	1	1	—	1	7
3.	गुडामालानी	,,	1	—	2	2	4	1	1	—	1	7
4.	मांडाली	,,	1	—	2	2	4	1	1	—	1	7
5.	रामसर	किराये का भवन	1	—	2	2	4	1	1	—	—	8
6.	बायतू	जनता द्वारा व्यवस्था	1	1	1	2	4	1	1	3	1	7
7.	सिन्दरी	किराये का भवन	1	—	—	1	4	1	1	—	—	1

8. चौहटन	,,	1	1	--	2	4	1	1	3	1	7

केन्द्र	उप-केन्द्र	उपकेन्द्र जो चालू नहीं हैं।
1. समदरी	सण्डाय, रमनिया, पाडरू	
2. गुंगा	वीपाड, बालेवा, गडरारोड	बालेवा, गडरारोड
3. रामसर	× × × × ×	
4. गुडामालनी	हरियामाना, भुंमिया, नगर	
5. मांडाली	कल्याणपुरा, कनाना, पटोदी	
6. बायतू	गिडा, कवास वटाडू	गिडा, कवास, वटाडू
7. सिन्दरी	नोसडा, पायला, रावतसर,	नोसडा, पायला, रावतसर
8. चौहटन	सेडवा, बकासर, बेडूसर	

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 (98) वन मं.) के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

नगरपालिकाओं/परिषदों की सूची जिनमें प्रशासक नियुक्त हैं।

क्रमांक	नगरपालिका का नाम	अवधि समाप्ति का दिनांक	प्रशासक की नियुक्ति का दिनांक
1	2	3	4
	जिला अजमेर		
1.	अजमेर	23-1-1967	24-1-1967
2.	ब्यावर (मूल अवधि 19-3-68 को समाप्त हुई)।	30-6-1968	1-7-1968
3.	किशनगढ़	20-6-1969	21-6-1969
4.	केकड़ी	20-6-1969	21-6-1969
5.	पुष्कर	20-6-1969	21 6-1969
6.	सरवाड़	20-6-1969	21-6-1969
	जिला जयपुर		
7.	जयपुर	23-1-1967	24-1-1967
8.	सांभर	23-1-1967	24-1-1967
9.	चोमू	20-6-1969	21-6-1969
10.	दौसा	20-6-1969	21-6-1969
11.	फुलेरा	2[illegible]-1-1967	24-1-1967
12.	कोटपुतलो	19-3-1967	20-3-19[illegible]7
13.	जोबनेर	23-1-1967	24-1-1967
14.	बांदीकुई	23-1-1967	24-1 1967
15.	आमेर	20-6-1969	21-6-1969
16.	चाकसू	23-1-1967	24-1-1967
	जिला सीकर		
17.	सीकर	20-6-1969	21-6-1969
18.	फतेहपुर	23-1-1967	24-1-1967
19.	रामगढ़	20-6-1969	21-6-1969

1	2	3	4
20.	लक्ष्मणगढ़	20-6-1969	21-6-1969
21.	खण्डेला	23-1-1967	24-1-1967
22.	नीमकाथाना	20-6-1969	21-6-1969
23.	श्री-माधोपुर	20-6-1969	21-6-1969
	जिला झुंझुनूं		
24.	झुंझुनूं	20-6-1969	21-6-1969
25.	पिलानी	23-1-1967	24-1-1967
26.	चिड़ावा	20-6-1969	21-6-1969
27.	नवलगढ़	20-6-1969	21-6-1969
28.	सूरजगढ़	20-6-1969	21-6-1969
29.	खेतड़ी	20-6-1969	21-6-1969
30.	मण्डावा	20-6-1969	21-6-1969
31.	मुकन्दगढ़	23-1-1967	24-1-1967
32.	बगड़	23-1-1967	24-1-1967
33.	उदयपुरवाटी	20-6-1969	21-6-1969
34.	बिसाऊ	23-1-1967	24--1-1967
	जिला सवाईमाधोपुर		
35.	सवाई माधोपुर	23-1-1967	24-1-1967
36.	करौली	23-1-1967	24-1-1967
37.	गंगापुर	23-1-1967	24-1-1967
38.	हिण्डौन	23-1-1967	24-1-1967
39.	टोडा भीम	20-6-1969	21-6-1969
	जिला टोंक		
40.	टोंक	20-6-1969	21-6-1969
41.	निवाई	23-1-1967	24-1-1967
42.	मालपुरा	19-2-1967	20-2-1967
43.	उनियारा	20-6-1969	21-6-1969
44.	देवली	20-6-1969	21-6-1969
45.	टोडा-रायसिंह	23-1-1967	24-1-1967

Page No 122

1	2	3	4
		जिला अलवर	
46.	अलवर	20-6-1969	21-6-1969
47.	राजगढ़	19-3-1967	20-3-1967
48.	खेरली	20-6-1969	21-6-1969
		जिला भरतपुर	
49.	भरतपुर	23-1-1967	24-1-1967
50.	धोलपुर	23-1-1967	24-1-1967
51.	डीग	23-1-1967	24-1-1967
52.	कामां	20-6-1969	21-6-1969
53.	बयाना	20-6-1969	21-6-1969
54.	नदबई	23-1-1967	23-1-1967
55.	बाड़ी	20-6-1969	21-6-1969
56.	वैर	20-6-1969	21-6-1969
57.	राजाखेड़ा	20-6-1969	21-6-1969
		जिला बीकानेर	
58.	बीकानेर	23-1-1967	24-1-1967
59.	नोखा	20-6-1969	21-6-1969
60.	गंगाशहर	23-1-1967	24-1-1967
61.	भीनासर	23-1-1967	24-1-1967
62.	देशनोक	20-6-1969	21-6-1969
		जिला चूरू	
63.	चूरू	23-1-1967	24-1-1967
64.	सुजानगढ़	20-6-1969	21-6-1969
65.	रतनगढ़	23-1-1967	24-1-1967
66.	राजगढ़	20-6-1969	21-6-1969
67.	सरदारशहर	23-1-1967	24-1-1967
68.	राजलदेसर	23-1-1967	24-1-1967
69.	तारानगर	23-1-1967	24-1-1967

1	2	3	4
70.	छापड़	23-1-1967	24-1-1967
71.	बीदासर	20-6-1969	21-6-1969
72.	डूंगरगढ़	23-1-1967	24-1-1967
	जिला गंगानगर		
73.	गंगानगर	23-1-1967	24-1-1967
74.	हनुमानगढ़	23-1-1967	24-1-1967
75.	रायसिंहनगर	22-4-1966	23-4-1966
76.	श्रीकरनपुर (मूलअवधि 23-5-68 को समाप्त हुई)	31-8-1968	1-9-1968
77.	गजसिंहपुर	23-1-1967	24-1-1967
78.	सांगरिया	20-6-1969	21-6-1969
79.	नोहर	23-1-1967	24-1-1967
80.	भादरा	23-1-1967	24-1-1967
81.	सूरतगढ़	20-6-1969	21-6-1969
82.	अनूपगढ़	20-6-1969	21-6-1969
	जिला जोधपुर		
83.	जोधपुर	23-1-1967	24-1-1967
84.	फलोदी	18-8-1969	19-8-1969
85.	पीपाड़	23-1-1967	24-1-1967
	जिला नागौर		
86.	नागौर	23-1-1967	24-1-1967
87.	मेड़ता	23-1-1967	24-1-1967
88.	लाडनूं	23-1-1967	24-1-1967
89.	नावाँ	—	1-7-1966
90.	डीड़वाना	23-1-1967	24-1-1967
91.	मकराना	23-1-1967	24-1-1967
92.	कुचामन सिटी	23-1-1967	24-1-1967
93.	परबतसर	23-1-1967	24-1-1967

1	2	3	4
		जिला पाली	
94.	पाली	20-6-1969	21-6-1969
95.	बाली	20-6-1969	21-6-1969
96.	सोजत	20-6-1969	21-6-1969
97.	सादड़ी	23-1-1967	24-1-1967
		जिला जालोर	
98.	जालोर	20-6-1969	21-6-1969
99.	भीनमाल	20-6-1969	21-6-1969
		जिला बाड़मेर	
100.	बाड़मेर	23-1-1967	24-1-1967
101.	बालोतरा	20-6-1969	21-6-1969
		जिला जैसलमेर	
102.	जैसलमेर	20-6-1969	21-6-1969
103.	पोकरण	23-1-1967	24-1-1967
		जिला सिरोही	
104.	सिरोही	20-6-1969	21-6-1969
105.	आबू रोड़	20-6-1969	21-6-1969
106.	माउण्ट आबू	—	1-10-1967
107.	पिण्डवाड़ा	20-6-1969	21-6-1969
108.	शिवगंज	20-6-1969	21-6-1969
		जिला उदयपुर	
109.	उदयपुर	23-1-1967	24-1-1967
110.	नाथद्वारा	20-6-1969	21-6-1969
111.	राजसमन्द	23-1-1967	24-1-1967
112.	देवगढ़	20-6-1969	21-6-1969
113.	सलुम्बर	20-6-1969	21-6-1969
114.	भीण्डर	23-1-1967	24-1-1967

1	2	3	4
		जिला डूंगरपुर	
115.	डूंगरपुर	23-1-1967	24-1-1967
116.	सागवाड़ा	20-6-1969	21-6-1969
		जिला चित्तौड़गढ़	
117.	चित्तौड़गढ़	23-1-1967	24-1-1967
118.	प्रतापगढ़	20-6-1969	21-6-1969
119.	निम्बाहेड़ा	20-6-1969	21-6-1969
120.	कपासन	23-1-1967	24-1-1967
121.	छोटी सादड़ी	20-6-1969	21-6-1969
122.	बड़ी सादड़ी	20-6-1969	21-6-1969
		जिला भीलवाड़ा	
123.	भीलवाड़ा	23-1-1967	24-1-1967
124.	शाहपुरा	20-6-1969	21-6-1969
125.	गंगापुर	23-1-1967	24-1-1967
		जिला बांसवाड़ा	
126.	बांसवाड़ा	20-6-1969	21-6-1969
127.	कुशलगढ़	20-6-1969	21-6-1969
		जिला कोटा	
128.	कोटा	20-6-1969	21-6-1969
129.	बारां	23-1-1967	24-1-1967
130.	रामगंजमण्डी	23-1-1967	24-1-1967
131.	छबड़ा	23-1-1967	24-1-1967
132.	इन्द्रगढ़	23-1-1967	24-1-1967
		जिला बूंदी	
133.	बूंदी	23-1-1967	24-1-1967
134.	नैनवा	20-6-1969	21-6-1969

1	2	3	4
135.	लाखेरी	20-6-1969	21-6-1969
136.	केशोरायपाटन	31-10-1969	1-11-1969
		जिला झालावाड़	
137.	झालावाड़	20-6-1969	21-6-1969
138.	भवानीमण्डी	23-1-1967	24-1-1967
139.	झालरापाटन	20-6-1969	21-6-1969
140.	सुनेल	20-6-1969	21-7-1969

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नों के उत्तर)

सरपंच के विरुद्ध आरोप

16. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत झाडली, पंचायत समिति खंडेला, जिला सीकर के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग एवं गबन के गंभीर आरोप हैं ?

(2) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचारों के सिलसिले में कोई जांच प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है एवं जांच पूरी कराने में ढिलाई क्यों की जा रही है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त सरपंच को राज्य सरकार के आदेशों से पांच माह पूर्व निलम्बित किया जा चुका है किन्तु उसको अभी तक पंचायत का चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां, तो इस गफलत का दोषी कौन है और राज्य सरकार ऐसे दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(4) इस निलम्बित सरपंच को पंचायत के कार्यभार से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही, कब तक करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) दो जांच चल रही हैं, जांच विधिवत् चालू है व जांच में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हो रहा है।

(3) जी हां। सरपंच को अप्रेल, 1969 में निलम्बित किया गया था व उनका चार्ज दिला दिया गया है।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बीकानेर के मन्दिरों का जेवर

17. श्री गंगासहाय (कहूमर सु.) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के मंदिरों का जेवर बीकानेर ट्रेजरी व लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर में डबल लोक में रखा हुआ है ?

(2) देवस्थान के मन्दिरों के जेवर आदि का फिजिकल वेरीफिकेशन कितने दिनों में किया जाता है ?

(3) उक्त मन्दिरान के जेवर का फिजिकल वेरिफिकेशन पिछली बार कब हुआ था तथा उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) (क) लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में रोजाना काम में आने वाले जेवरात का फिजिकल वेरीफिकेशन पिछली बार तारीख 24-11-69 को हुआ और मुताबिक रेकार्ड जेवरात सही पाये गये।

(देवस्थान मंत्री)

(ख) मंदिर श्री रतन बिहारी जी का फिजिकल वैरीफिकेशन 26-9-69 से 28-9-69 तक किया गया। वहां मुखिया लालचंद के कब्जे का कुछ सामान कम पाया गया जिसकी रकम उससे वसूल करने का मामला आयुक्त, देवस्थान के पास विचाराधीन है।

(ग) बीकानेर ट्रेजरी की तहवील में रखे गये मंदिरान के जेवरों का फिजिकल वेरिफिकेशन सन् 1952-53 में मुकर्रर शुदा कमेटी द्वारा हुआ था।

(घ) इसी तरह, मंदिर लक्ष्मीनाथ जी के सभा मंडप में कुछ जेवरात जो रोज काम में नहीं आते हैं उन्हें सील मोहर करके सुरक्षित रख दिया गया है। उनका फिजिकल वैरीफिकेशन सन् 1962 में हुआ था।

INSTRUCTIONS REGARDING INSPECTION BY DEPARTMENTAL OFFICERS OF DEVASTHAN DEPARTMENT

(Approved by the Government of Rajasthan vide No. 7293/F. 41 (183) Dev/A/56, dated August, 1958).

1. INTRODUCTION

In order to exercise vigilance in respect of public expenditure and public funds and to watch the efficiency, expeditious disposal of work and the punctual submission of return etc., the following instructions regarding inspections by the officers of Devasthan Department have been framed.

2. PERIODICITY

The inspections should be conducted as under: –

Name of Inspecting officer	Officers to be inspected	Period of Inspection
(a) Commissioner.	Own Office.	Once a year.
	Divisional Office.	Once a year.

1	2	3
	Inspector's Office.	Every alternate year.
	Big Temples with an Annual expenditure over Rs. 10,000/-	Once a year.
(b) Asstt. Commissioner, Headquarters.	Head Office.	Twice a year. (half yearly)
(c) Asstt. Commissioner.	Own Office.	Twice a year. (half-yearly)
	Office of the Inspectors in his Division.	Once a year.
	Temples with an annual expenditure over Rs, 5,000/-	Once a year.
	Temples with an expenditure of Rs. 1,000/- to 5,000/-	Every alternate year.
	Temples with an expenditure below Rs. 1,000/-	Every third year.
(d) Inspectors.	Own Office.	Twice a year.
	Temples of his circle with an annual expenditure of Rs. 1,000/- & over.	Once a year.
	Temples with an expenditure below Rs. 1,000/-	Every 2nd year.

Notes;—1. In addition to the above, surprise Inspections will also be taken at the discretion of the superior Officers.

2. In case the required number of Inspections cannot be carried out during the prescribed period the Inspecting Officer will report in writing to the next superior Officer giving explicit reasons for his inability to carry out the required number of Inspections.

कुआ चलाने के बिल का भुगतान

18. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नीमला, तहसील नोहर के गांव खुदेरा में कुआ चलाने का बिल फर्जी बनाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस फर्जी भुगतान की शिकायत की है ? यदि हां, तो कब और उस शिकायत की जांच कब हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांव का कुआ गत वर्ष से ही खराब हालत में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो फिर कुआ चलाने का पेमेन्ट किस आधार पर किया गया ?

(4) उक्त फर्जी भुगतान कब हुआ व किसके नाम से कितने रुपयों का किया गया है ?

(5) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो, कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर सब-डिवीजन के बांध

19. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे—

(1) सवाई माधोपुर सब-डिवीजन में लघु एवं मध्यम सिचाई के कौन कौन से राजकीय बांध बने हुए हैं और इनका निर्माण कार्य कब कब पूरा हुआ ?

(2) इन बांधों के निर्माण में काश्तकारों की कितनी जमीन व कितने कुए डूब में आये हैं ? गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने डूब में आई जमीन व कुओं का काश्तकारों को मुआवजा दे दिया है ? यदि हां, तो किस-किस बंधे में आई जमीन, कुओं का दिया गया है और किस किस का नहीं दिया गया और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारोंकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है उन पर डूब में आई जमीन को लगान कायमी प्रति वर्ष की जाती है और वसूली

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

के नोटिस दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) जिन काश्तकारों को बंध में आई जमीन व अन्य सम्पत्ति का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं और अब यह मुआवजा कब दे दिया जायगा?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा सवाई माधोपुर सब-डिवीजन में 6 बांधों का निर्माण हुआ है जो इस प्रकार है:-

नाम बांध	निर्माण कार्य पूरा होने का वर्ष।
1. मोरेल	56-57
2. जैतपुरा	52-53
3. भगवतगढ़	53-54
4. मुई	53-54
5. पांचोलास	57-58
6. सूरवाल	56-57

(2) इन बांधों में निम्न कुए, जमीन एवं मकान डूब में आये:—

नाम बांध	भूमि	कूप	मकान
1	2	3	4
मोरेल	6511	82	1031
जैतपुरा	955	—	—
भगवतगढ	1157	—	—
मुई	611	—	—
पांचोलास	693	2	31
सूरवाल	1848	22	776

(3) कूप व मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम बांध	कूप संख्या	मकानों की संख्या
मोरेल	82	1031
पांचोलास	2	31
सूरवाल	22	776

भूमि के मुआवजे का चुकारा नहीं किये जाने का कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी नहीं किया जाना है।

(4) जी हां, लेकिन लगान को वापस करने की कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

(5) इन बांधों की डूब में जो कूप एवं मकान आये थे उनका मुआवजा दिया जा चुका है। केवल भूमि का ही मुआवजा दिया जाना शेष है। जिसके नहीं दिये जाने का कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी नहीं किया जाना है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किए जाने पर मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

Page No 132

PANCHOLAS

Village	Tehsil	Area in Bigha Biswa.
	For Bund	
1. Pancholas.	Sawaimadhopur	197-14
2. Sankli	,,	399-10
3. Rawanjan Chor	,,	484-2
		1081-6
	For Canal	
1. Pancholas	,,	26-6
2. Sankli	,,	1-1
		27-7
	Grand Total:	1108-13

MUI

1. Mui	Sawaimadhopur	991-7
2. Canal	,,	0-12
3. Kusstala	,,	45-18
4. Gambhira	,,	14-1
5. Dhuman Khurd	,,	6-6
		1058-4

SURWAL

1. Autuna Kala	Sawaimadhopur	1563-6
2. Autuna Khurd	,,	189-7
3. Mathurapur	,,	523-18
4. Mhau	,,	222-16
5. Ramri	,,	123-19
6. Gothra	,,	271-4
7. Atuda.	,,	61-15
		2956-5

JAITPURA

1.	Mayapur	Khandar	463-12
2.	Nor Dungari	Sawaimadhopur	551-1
3.	Bodal.	,,	400-15
			1495-8

BHAGWATGARH

1.	Bhagwatgarh	Sawaimadhopur	1369-7
2.	Bundha	,,	464-17
3.	Khetpura.	,,	92-17
			1927-1

MOREL TANK TEH. LALSOT

Sl. No.	Name of village	Tehsil	Area in Bigha	Biswa
1	2	3	4	
1.	Mundia	Lalsot	728	18
2.	Mudria	,,	188	7
3.	Karathi	,,	206	19
4.	Karati	,,	710	19
5.	Kherli	,,	202	17
6.	Aonia	,,	367	6
7.	Deoli	,,	38	5
8.	Bairadi	,,	820	3
9.	Sundaipura	,,	509	5
10.	Kankaria	,,	350	1
11.	Badai kuan	,,	47	5
12.	Shri Rampura	,,	30	2
13.	Khatwa.	,,	1818	17

Page No 134

MOREL TANK TEH BONLI

Sl. No. 1	Name of village 2	Tehsil 3	Area in Bigha 4	Biswa
1.	Dhanwala	Bonli	565	19
2.	Nantora	,,	99	10
3.	Gotor	,,	987	9
4.	Manpur	,,	183	16
5.	Lalmain	,,	799	15
6.	Peelukhera khurd	,,	1728	16
7.	Peelukhera kalan	,,	39	3
8.	Uda Gaon	,,	93	14
	Total Morel Tank....		10,417	12

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं० 14 के भाग (4) में निर्दिष्ट सूची)

खोले गये सहायता कार्यों की सूची व उन पर हुई अभिकरणवार स्वीकृति।—

क. सं.	नाम जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व विभाग	भू-संरक्षण विभाग	सिंचाई विभाग	वन विभाग	पंचायत समिति	योग	स्वीकृत धनराशि	प्रतिदिन व्यय (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अजमेर	54	—	20	83	13	79	249	40,00,000)	1,75,000)
2	अलवर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	बांसवाड़ा	8	—	—	50	—	—	58	30,00,000)	1,12,000)
4	बाड़मेर	3	—	—	7	—	—	10	60,00,000)	4,000)
5	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	भीलवाड़ा	30	—	10	261	10	—	311	40,00,000)	2,50,000)
7	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	15,00,000)	—
8	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	बून्दी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	चूरू	22 कैम्प	—	—	—	—	—	22	40,00,000)	50,000)
11	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	84	40,00,000)	2,50,000)
12	गंगानगर	2	—	—	—	—	—	2	5,00,000)	750)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	जैसलमेर	9	—	—	11	—	—	20	10,00,000)	6,600)
15	जालौर	35	—	10	30	9	—	84	60,000)	1,80,000)
16	झालावाड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	झुन्झुनू	2	—	—	—	—	—	2	2,80,000)	2,000)
18	जोधपुर	63	—	24	23	—	—	110	60,00,000)	1,50,000)
19	कोटा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	नागौर	47	—	18	24	—	—	89	60,00,000)	1,30,000)
21	पाली	48	—	17	40	23	12	140	60,00,000)	2,50,000)
22	सवाई माधोपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	सीकर	1	—	—	—	—	—	1	4,85,000)	250)
24	सिरोही	13	—	6	14	5	10	38	40,00,000)	76,000)
25	उयदपुर	54	—	15	90	24	105	288	60,00,000)	3,17,000)
26	टोंक	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के भाग (i) में निर्दिष्ट सूची)

Notwithstanding anything contained in the Ordinance Regulations of the University, students who join the Armed Forces may be allowed during and/or after the Emergency is over to resume studies at the stage at which they left them and special classes be arranged for them to make up the deficiency after they have resumed their studies, provided their number makes the arrangement feasible. The attendance of such a student be counted from the date he rejoins studies as a regular student, and the attendance put in by him prior to his joining the Defence Services be also taken into account. A special University Examination could also be conducted for such a student, sometime in September or October, if found feasible. Such a student may also be permitted, except in the Faculties of Medicine, Ayurveda, Law, Engineering, to take examination as private candidate, if he so chooses.

The above concession be also extended to (i) students who joined the Defence Service before the National Emergency (arising out of the Chinese Invasion of territory) was declared, and (ii) to such N.C.C. cadets as have been appointed as N.C.C, instructors (0.198 A).

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर

नागौर जिले के उन अध्यापकों की सूची जिन्होंने बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

1967 में बी० एड० का प्रशिक्षण

क्र० सं०	अध्यापक का नाम, कार्य स्थान	सीनीयरिटी संख्या	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री भंवरलाल रामावि. वासनी	72	28-9-67
2.	,, पुष्पसिंह रामावि. निम्बीजोधां	127	5-10-67
3.	,, मदनमोहन रामावि. परबतसर	141	20-9-69
4.	,, सीताराम रामावि. साजूं	262	26-12-67
5.	,, सत्यनारायण रामावि. मीठड़ी (ला)	289	—
6.	,, गोकुलदास रामावि. आयल	1502	1-10-69 वाणिज्य
7.	,, किशोरसिंह	1183	—

1968 में बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त

1.	श्री पुखराज रामावि. रैण	75	28-11-68
2.	,, बाबूलाल रामावि. परबतसर	89	5-12-68
3.	,, रतनलाल उमावि. सविसर	111	2-12-68
4.	,, घनेशचन्द्र रामावि. अलाय	122	30-11-68
5.	,, ओमकारसिंह रामावि. परबतसर	130	पदोन्नत
6.	,, इन्द्रसिंह रामावि. साजूं	152	6-12-68
7.	,, नारायणलाल रामावि. रैण	176	7-2-69
8.	,, गोपालनारायण रामावि. रियां	188	पदोन्नत
9.	,, कुंजबिहारी मावि. घांवला	214	पदोन्नत
10.	,, पाबूराम पंचायत समिति मूण्ड़वा	217	पदोन्नत 1-1-70
11.	,, रामाकिशन रामावि. मीठडी (ला)	233	3-2-69
12.	,, मो. सहाबुद्दीन पं. स. कुचामनसिटी	312	—
13.	,, हरदानसिंह पं. सं. उप्राधि. बहू	326	—

1	2	3	4
14.	श्री उमाशंकर रामावि. नावां	335	—
15.	„ मानसिंह मावि. घांवला	338	—
16.	„ बली मो. रामावि. कुचामनसिटी	344	—
17.	„ राधेश्याम रामावि. मकराना	347	—
17अ.	„ जवाहरमल	352	—
18.	„ उस्मानगनी रामावि. परबतसर	359	—
19.	„ रामनिवास रामावि. रियां	470	—
20.	„ पन्नाराम पं. सं. मेड़तासिटी	543	—
21.	„ वली मो. राउप्रावि. नं. 1 नागौर	642	—
22.	„ नन्दकिशोर पं. सं. मकराना	924	—
23.	„ रमाकान्त रामावि. निम्बी जोधां	1011	—
24.	„ सैयद अहमद अली रामावि. परबतसर	1093	—
25.	„ जगदीशप्रसाद पं. सं. डीडवाना	1103	—
26.	„ मनमोहन रामावि. जसवन्तगढ़	1295	—
27.	„ उम्मेदमल रामावि. जावला	1303	—
28,	„ रामेश्वरलाल उप्रावि. नं. 2 नागौर	1518	—
29.	„ सम्पतराम रामावि. मोलासर	1521	—
30.	„ खुर्शीद अहमद पं. सं. नागौर	1577	—
31.	„ सत्यनारायण पं. सं. नागौर	1609	—
30.	„ लिखमाराम पं. सं. नालय	1616	—
33.	„ गुलाबचन्द मावि. कुचेरा	—	21-10-69 (सीधी भर्ती)
34.	„ नथमल उप्रावि. नं. 1 नागौर	1761	—
35.	„ नरोत्तम वैष्णव मावि. अलाय	1866	—

1969 में बी० एड० ट्रेण्ड अध्यापकों की सूची

1.	श्री मदनसिंह उप्रावि. बूड़सू	81	10-12-69
2.	„ रामदेव रामावि. रेंण	135	दिसम्बर, 69
3.	„ गुलाबचन्द उप्रावि. गंडवा	143	20-12-69
4.	„ आशि अली राउप्रावि. खूड़ेसावड़	148	20-12-69
5.	„ माधोसिंह रामावि. जसवन्तगढ़	198	20-12-69
6.	„ महावीरप्रसाद राउप्रा. डीडवाना	219	20-12-69
7.	„ श्रीकिशन उप्रावि. जाखेड़े	265	20-12-69

1	2	3	4
8.	श्री हरिप्रसाद रामवि. घांटवा	290	—
9.	„ निर्भयसिंह रामावि. मकराना	333	—
10.	„ बजरंगसहाय रामावि. साजू	345	—
11.	„ सज्जनसिंह रामावि. तोषीण	353	—
12.	„ चौथमल राउप्रावि. नागौर	364	—
13.	„ श्रीकिशन रामावि. मकराना	465	—
14.	„ रामचन्द्र राउप्रावि. रोल	468	—
15.	„ जगदीशचन्द्र पं. सं. रियां	536	—
16.	„ पूसाराम उप्रावि. बड़	539	—
17.	„ पन्नाराम पं. स. मेड़तासिटी	543	—
18.	„ शकूर खां पं. स. जायल	592	—
19.	„ नागरमल उप्रावि. लेडी	912	—
20.	„ दामोदरप्रसाद रामावि. मकराना	972	—
21.	„ रामकिशन रामावि. मेड़तासिटी	985	—
22.	„ पदमचन्द उप्रावि. नं. 1 नागौर	1003	—
23.	„ सरदार खां रामावि. जसनगर	1025	—
24.	„ विजयसिंह प्रावि. जायल	1117	—
25.	„ फेर्फसिंह रामावि. जायल	1259	—
26.	„ मन्नालाल वायप्रावि. डीडवाना	1274	—
27.	„ भिवां राम रामावि. मेडतारोड़	1311	—
28.	„ वधमतलाल रामावि. डीडवाना	1335	—
29.	„ महेशचन्द रामावि. कोलिया	1710	—
30.	„ रामकुमार उप्रावि. गोगोलाव	1897	—
31.	„ रामदेव रामावि. जसवन्तगढ़	1904	—
32.	„ बालकिशन रामावि. डीडवाना	1918	—
33.	„ अस्त अली खां रामावि. जात्रला	—	—
34.	„ हरिदास उप्रावि. कुनकनवाली	—	—

ह० विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, नागौर ।

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागोर

1967 में पदोन्नत हुए अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	अध्यापक का नाम व कार्य स्थान	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नत तिथि	पदोन्नति का आधार
1.	श्री भंवरलाल रामावि. बासनी	72	28-9-67	वरिष्ठता
2.	,, पुष्पसिंह रामावि. निम्बीजोधां	127	5-10-67	,,
3.	,, सीताराम रामावि. साजू	262	26-12-67	,,

1968 में पदोन्नत हुए अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	अध्यापक का नाम व कार्य स्थान	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नत तिथि	पदोन्नति का आधार
1.	,, पुखराज रामावि. रेण	75	28-11-68	,,
2.	,, बाबूलाल रामावि. परबतसर	89	5-12-68	,,
3.	,, रतनलाल राउमावि. सींवसर	111	2-12-68	,,
4.	,, घनेशचन्द मावि. अलाय	122	30-11-68	,,
5.	,, ओंकारसिंह रामावि. परबतसर	130	पदोन्नत अन्य जिला	,,
6.	,, इन्द्रसिंह रामावि. साजू	152	6-12-68	,,

1969 में पदोन्नत हुए अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	अध्यापक का नाम व कार्य स्थान	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नत तिथि	पदोन्नति का आधार
1.	,, मदनमोहन रामावि. परबतसर	141	29-9-69	,,
2.	,, गोकुलदास मावि. आयल	1502	1-10-69	(वाणिज्य)
3.	,, नारायणलाल मावि. रेण	176	7-2-69	,,
4.	,, गोपालनारायण मावि. रियां	188	पदोन्नत (अन्य जिला)	,,
5.	,, कुंजबिहारी मावि. थांवाला	274	अन्य जिला	,,
6.	,, बाबूराम पं. स. मूण्डवा	217	1-1-70	,,
7.	,, रामकिशन मावि. मोठड़ी	233	3-2-69	,,
8.	,, मदनसिंह उप्रावि. बूड़सनू	81	10-12-69	,,
9.	,, रामदेव मावि. रेण	135	दिसम्बर, 60	,,
10.	,, गुलाबचन्द उप्रावि. ईडवा	143	20-12-69	,,
11.	,, आशिक अली उप्रावि. बोरावड़	148	20-12-69	,,
12.	,, माधोसिंह मावि. जसवन्तगढ़	198	20-12-69	,,
13.	,, महावीर प्रसाद उप्रावि. डीडवाना	219	20-12-69	,,
14.	,, श्री किशन उप्रावि. जाखेड़ा	265	20-12-69	,,
15.	,, हरिप्रसाद मावि. घाटवा	290	20-12-69	,,

ह० विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, नागोर ।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची "क")

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

संख्या एफ. 4 (23) एफ. डी./एक्स./68/724 जयपुर, दिनांक 11-3-69

राज्यपाल महोदय अगले वर्ष 1969-70 के लिए देशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स देने हेतु निम्न आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं:—

1. देशी शराब की दुकानों के ऐकाकी विशेषाधिकारी के लिये लाइसेन्स देने की वर्तमान प्रणाली ही अगले वर्ष भी चालू रक्खी जावे। वर्तमान लाइसेन्सधारियों को प्रस्ताव एवं स्वीकृति (offer to and acceptance) की प्रणाली से लाइसेन्स दिये जावें।

2. चूँकि अगले वर्ष के सप्ताह में शराब की दुकानें 2 दिन बन्द रखी जायेंगी, एकाकी विशेषाधिकार की रकम चालू वर्ष की प्रत्येक दुकान की एकाकी विशेषाधिकार की रकम को ही आधार माना जाकर उसमें 11.50 प्रतिशत (साढ़े ग्यारह प्रतिशत) कमी की जाकर निर्धारित की जावे। जिन दुकानों को इस वर्ष खुले नीलाम द्वारा दी गई हैं, उनकी एकाकी विशेषाधिकार की रकम उनकी नीलाम की प्राप्त बोली या आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार की रकम, जो भी ऊंची हो, उसको आधार मान कर 11.50 प्रतिशत (साढ़े ग्यारह प्रतिशत) की कमी की जावे।

3. चालू वर्ष में मद्य-निषेध क्षेत्र के विस्थापित देशी शराब के लाइसेन्सधारियों को वर्तमान लाइसेन्सधारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने पर, प्रस्ताव देने का नियमों में प्रावधान रक्खा गया था, यह प्रावधान अगले वर्ष में नहीं रक्खा जावे। जो दुकानें प्रस्ताव प्रणाली (offer to and acceptance system) से नहीं उठे उनको नीलाम द्वारा उठाई जावे। यदि नीलामी द्वारा दुकानें नहीं उठें तो आयुक्त आबकारी ऐसी दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति से निगोसियेशन द्वारा उठायेंगे।

1. शराब की खुदरा विक्रय मूल्य के नियन्त्रण के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जो स्थिति इस वर्ष में है वह ही अगले वर्ष में रक्खी जावे। अगले वर्ष शराब (देशी, विदेशी, भारत निर्मित विदेशी) की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को बन्द रक्खी जावें। इसका प्रभाव शुष्क दिवस (Dry-days) पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही स्वीकृत है, सिवाय उस हालत में जबकि ऐसा दिवस सोमवार या शुक्रवार को आता है। सभी शराब की दुकानें रात्रि को 10-00 बजे के बजाय 9-00 बजे तक ही खुली रक्खी जावें।

राज्यपाल के आदेश से,

ह० विष्णुदत्त शर्मा,

वित्त आयुक्त (आय) एवं शासन सचिव।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPTT.
ORDER

No.F.4 (50) F.D./Ex./68. Jaipur, dated the 12-3-70

The Governor has been pleased to order the Prohibition/Excise Settlement policy for the year 1970-71 as under:—

(1) The existing policy of achieving prohibition by gradually increasing the number of dry days in a week be replaced by the policy of gradually increasing the area under prohibition each year.

(2) In 1970-71 in addition to the already prohibited areas of districts Dungarpur, Banswara, Sirohi and Tehsils of Kherwara, Kotra and Phalasia of Udaipur districts, the following areas be added—

(a) Districts of Barmer, Jaisalmer and Jalore.

(b) Tehsil Gogunda, Lasadia and Sarada of Udaipur district.

(3) (a) Licence fee for each shop or group of shops would be determined by the Excise Department at 120% of the licence fees obtained for the year 1969-70. This amount of licence fee, so determined shall be referred to as Up-set Price.

(b) The Primary method of allotment of shops shall be by auction.

(c) The final bids received in the auction which are equivalent or more than the up-set price can be accepted by the Excise Department according to the existing rules.

(d) Shops not lifted in accordance with (c) above and if the up-set amount of these shops is less than Rs. 5 lacs, the Excise Commissioner may allot the shops by method of negotiations provided the amount offered is not less than 90% of the up-set price. If the up-set price is Rs. 5 lacs or more or if the final negotiated figure is lower than 90% or the up-set price, then Excise Commissioner shall allot the shops only with the approval of the Government in the Finance (Excise) Department.

(e) (i) The earnest money fixed for the bidders at the time of auction should be 5% of the determined fee of the shop.

(ii) Security deposit should continue to be one-twelfth of the total licence fee of the shop as at present in vogue.

By Order of Governor,

Sd/Arun Kumar,
Dy. Secretary to Government.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 11 मई, 1970)

स्कम्भ संख्या		पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
2		9	गो ालपुरा	गोपालपुरा
3		17	करन	करने
10		19	तारांकिन प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
19	अन्तिम से	11	पोस्टपन	पोस्टपोन
23		16	टीचस	टीचर्स
24	अन्तिम से	5	श्री देवीदत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
25	अन्तिम		ा	का
27	अन्तिम से	7	वन भन्त्री	वन मंत्री
35		2	मले	मेले
38		9	ब ााना	बसाना
38		11	श्री जुझारसिंह	श्री जुझारसिंह
48		13	घोपणा	घोषणा
62		1	( )	(3)
65 से 72 तक शीर्षक			तारांकित प्रश्नोत्तर–11 मई, 1970–तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर–11 मई, 1970–अतारांकित प्रश्नोत्तर
65	अन्तिम से	11	क	के
66		15	श्री जयनारायण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
66	अन्तिम		जा नहीं	जो नहीं
67		14	रखन का कृपा करें	रखने की कृपा करें
67	अन्तिम से	10	घाषणायें	घोषणायें
69	,,	2	नेगोसयेशन्स	नेगोशियेसन्स
74		15	पचायत	पंचायत
76	अन्तिम से	6	निलबित	निलम्बित
82	,,	9	स्थगत	स्थगन
90		1	मकुटमें	मुकटमें
91	अन्तिम से	12	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
91	,,	8	अध्यक्ष	अध्यक्ष
91	,,	3	व्ययस्था	व्यवस्था
92		3	निर्भाण	निर्माण
96		13	गह मंत्री	गृह मंत्री
96	अन्तिम से	3	ब्रारे	बारे।
102		12	Shal	Shall
107	शीर्ष		(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

2

1		2	3	4
110		18	ब्वक्तियों	व्यक्तियों
110	अन्तिम		नह	नहीं
111	शीर्ष		(श्रो सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
113		4	कोन	कौन
113		9	श्री देवीदत्त गड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
113	अन्तिम से	9	जान ी	जानती
115	,,		नहा	नहीं
115	,,		सटी	सही
116	,,	12	में	मे
117	,,	10	जी	कि
122		3	भयकर	भयंकर
124		15	का	को
127		14	जल्म	जुल्म
137	अन्तिम से	4	ज्यादती	ज्यादतियां
138	,,	9	भ्रन्ति	भ्रान्ति
141		17	रिश्वन	रिश्वत
142	,,	9	उसको	उसकी
145		20 व 21	चनोती	चुनोती
147		11	को	का
147		12	गभीर आरो	गंभीर आरोप
150		7	स्तीफा	इस्तीफा
153	अन्तिम से	11	घेकाने लगाते	थेगले लगते
153	,,	6	यह	या
154	,,	13	को	की
162		3	पुरा	पूरा
163	अन्तिम से	10	चाज	चार्ज
165		15	चाइता	चाहता
166	अन्तिम से	2	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
167		7	जगा	जगा
167	अन्तिम से	6	कायवाहो	कार्यवाही
169	,,	3	गजर	गुजर
170	,,	5	मेरे में बारे	मेरे बारे में
173		8	क्यां	क्यों
173		4	आडर	आर्डर
181	अन्तिम से	3	करेगो	करेंगी
193		12	समम	समय
198		1	दा	दो
221		9	(शोरगुल-अश्रय)	(शोरगुल-अश्रव्य)
223		14	अकिव	अंकित
232		3	बाघ	बांध
245		18	शिक यत	शिकायत